



वार्षिक रिपोर्ट 2008 - 2009



दूरसंचार विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09



सत्यमेव जयते

दूरसंचार विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

अनुक्रमणिका

I.	भारतीय दूरसंचार क्षेत्र : संक्षिप्त विवरण	1-10
II.	दूरसंचार आयोग	11
III.	दूरसंचार विभाग	13-26
III. 1.	बेतार आयोजना एवं समन्वय	27-34
III. 2.	दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र	35-36
III. 3.	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि	37-44
III. 4.	संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय	45-46
III. 5.	सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप	47-48
III. 6.	दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा	49-51
III. 7.	महिला सशक्तिकरण	53-55
III. 8.	अशक्त व्यक्ति	57-58
IV.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	59-62
V.	दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण	63-64
VI.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा-परीक्षा संबंधी टिप्पणी	65-70
VII.	टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट)	71-77
VIII.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	79
VIII. 1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	81-95
VIII. 2.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	97-110
VIII. 3.	आईटीआई लिमिटेड	111-117
VIII. 4.	टेलीकम्युनिकेशंस कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	119-124
IX.	सांख्यिकीय परिशिष्ट	125-131
X.	ग्राफ एवं चार्ट	133-140
	परिवर्णी शब्द	141-143
	संगठनात्मक चार्ट	144



I. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र : संक्षिप्त विवरण


विश्वभर में दूरसंचार सेवाओं को किसी भी राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण उपादान माना गया है। दूरसंचार, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के तीव्र विकास और आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक एक प्रमुख सहायक सेवा है। हाल के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए अत्यधिक विकास और अर्थव्यवस्था के शेष क्षेत्रों पर इसके कारण पड़ने वाले उल्लेखनीय संभावित प्रभाव के दृष्टिगत दूरसंचार का महत्व और अधिक बढ़ गया है।

दूरसंचार भारत के कुछ ऐसे क्षेत्रों में शामिल है जिसमें वर्ष 1991 से सर्वाधिक मौलिक ढाँचागत और संस्थागत सुधार हुए हैं। आर्थिक क्रियाकलापों में त्वरित वृद्धि के साथ टेलीफोन की मांग में काफी अधिक वृद्धि होने की संभावना के दृष्टिगत भारत सरकार ने वर्ष 1994 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति और वर्ष 1999 में नई दूरसंचार नीति की घोषणा की। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में बुनियादी टेलीफोन सेवाओं में दूरसंचार विभाग के प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात की गई है। बुनियादी सेवाओं को सभी के लिए खोल देने से निजी और विदेशी निवेशकों को एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। अन्य नीतिगत पहलों में एनटीपी-1999 का अनुशेष, ब्रॉडबैंड नीति 2004 तथा ब्रॉडबैंड नीति 2004 में संशोधन जारी करना शामिल हैं।

अब यह संपूर्ण क्षेत्र सभी के निर्बाध प्रतिस्पर्धा हेतु खोल दिया गया है। इस क्षेत्र को खोलने से न केवल इसमें तीव्र विकास हुआ है बल्कि इससे उपभोक्ताओं को भी अधिकतम लाभ प्राप्त हुए हैं। स्वस्थ और निर्बाध प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप प्रशुल्क में निरंतर कमी हो रही है तथा आज भारत में प्रशुल्क सर्वाधिक कम है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों के परिणामस्वरूप अब भारत एक प्रमुख दूरसंचार राष्ट्र के रूप में तेजी से उभर रहा है।

दूरसंचार क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया अभी भी जारी है जिसका लक्ष्य शेष बाधाओं और सीमाओं को समाप्त करना है।


1.1 बिलियन से भी अधिक विशाल जनसंख्या वाला देश होने के कारण भारत विश्व में सर्वाधिक विकासोन्मुख तथा संभावनाओं से युक्त दूरसंचार बाजार बन गया है। हाल के वर्षों में भारत विश्व का एक सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रहे दूरसंचार बाजार के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क तथा दूसरा सबसे बड़ा वायरलेस नेटवर्क काम कर रहा है।





नेटवर्क विस्तार

- 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार टेलीफोनों की कुल संख्या 4297.25 लाख तक पहुंच गयी है जबकि 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार यह 3004.92 लाख थी।
- 2008-09 के 12 महीनों के दौरान 1292.33 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए, परंतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह में लगभग 108 लाख टेलीफोन कनेक्शनों की वृद्धि हुई।
- जैसाकि नीचे ग्राफ में दिया गया है, पिछले कुछ वर्षों के दौरान टेलीघनत्व में सतत वृद्धि हुई है। मार्च, 2008 में टेलीघनत्व 26.22% था जो बढ़कर मार्च, 2009 में 36.98% हो गया।
- 2009 में ग्रामीण टेलीघनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।



टिप्पणी : मार्च, 2007 से पहले वायरलेस फोनों की संख्या को ग्रामीण फोनों की संख्या में नहीं जोड़ा गया था।


संगठनात्मक संरचना

➤ वायरलाइन बनाम वायरलेस


- दूरसंचार के क्षेत्र में विकास के संगठन और संरचना में मोबाइल बनाम स्थिर फोनों और सरकारी - निजी भागीदारी के नजरिए से भारी परिवर्तन हुए हैं। 2003 से 75.7 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर(सीएजीआर) से वायरलेस उपभोक्ताओं की वृद्धि होने से वायरलेस सेवाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ है।
- आज देश में वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या वायरलाइन उपभोक्ताओं की तुलना में न केवल बहुत अधिक है, बल्कि बहुत तेज गति से बढ़ भी रही है। 2002 में वायरलाइन और वायरलेस टेलीफोनों की संख्या क्रमशः 382.91 लाख और 66.77 लाख थी। मार्च, 2009 में यह संख्या बढ़कर क्रमशः 379.65 लाख और 3917.61 लाख हो गयी है। अतः मार्च, 2002 में वायरलेस फोनों की हिस्सेदारी 14.85 प्रतिशत थी जो बढ़कर मार्च, 2009 में 91.17 प्रतिशत हो गयी।



मार्च 2002 में वायरलाइन और वायरलेस फोनों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)




मार्च 2009 में वायरलाइन और वायरलेस फोनों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)



➤ सरकारी बनाम निजी क्षेत्र

- सरकार के उदारीकरण प्रयासों का यह प्रमाण है कि कुल टेलीफोन कनेक्शनों में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ रही है। 2004 में यह 39.27% थी जो तेजी से बढ़कर मार्च, 2009 में 79.16% हो गयी है।
- हालांकि, निजी क्षेत्र मुख्य रूप से वायरलेस खंड में ही सक्रिय है, जबकि वायरलाइन के खाते में इसकी हिस्सेदारी केवल लगभग 1.17 प्रतिशत ही है।
- निजी क्षेत्र का विकास बहुत तीव्र गति से होता आ रहा है। 2009 में सरकारी क्षेत्र 20.84% की दर से बढ़ा है जबकि निजी क्षेत्र 79.16% की दर से बढ़ा है।

निजी क्षेत्र के शेयर प्रतिशत में हो रही वृद्धि





ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीफोन की पहुँच

ग्रामीण टेलीफोन सेवाओं का उन्नयन और दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीफोन की पहुँच संबंधी कार्यकलाप विभाग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सभी यह मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के व्यापक प्रावधान से लोगों की बाजार अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने की सामर्थ्य बढ़ती है जिससे उनकी उत्पादकता में सुधार होता है और उनकी आय में बढ़ोत्तरी होती है।

मार्च 2009 को ग्रामीण क्षेत्रों में 15.11% टेली-घनत्व के साथ 1235.13 लाख टेलीफोन थे और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार की रणनीति में मुख्यतः गैर-व्यवहार्य क्षेत्रों में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के मार्फत और बाजार तंत्र के मार्फत व्यवहार्य क्षेत्रों में फोनो का प्रावधान शामिल है। जहाँ ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) और ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी) से जनता को यह सुविधा हासिल होगी वहीं ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अवसरंचना तैयार करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के अंतर्गत ग्रामीण सामुदायिक फोनो (आरसीपी) की एक स्कीम प्रारंभ की गई है।

भारत निर्माण योजना के अंतर्गत 66822 गाँवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें से मार्च, 2009 तक 57181 गाँवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध करा दिए गए हैं।

विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में, लोगों की सुविधा, क्रय क्षमता और आम जनता तक इसके पहुँचने की बेतार टेलीफोनो की भूमिका महसूस करने के बाद सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के अंतर्गत, इन क्षेत्रों में बेतार फोन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अवसरंचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए गए हैं। बेतार फोन सेवाओं के प्रावधान के लिए देश के 27 राज्यों के 500 जिलों में 7871 अवसरंचनात्मक स्थलों की स्थापना करने और उनका प्रबंधन करने के लिए सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। इस प्रकार तैयार की गई अवसरंचना को विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बेतार फोन सेवाओं का प्रावधान करने में प्रयुक्त किया जाएगा जहाँ कोई मौजूदा नियत बेतार या मोबाइल कवरेज नहीं है। स्कीम के दूसरे चरण में 11000 अतिरिक्त टावरों की स्थापना कर मोबाइल सेवाओं के मार्फत देश के अभी तक शामिल नहीं किए गए ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

आज बेतार फोन सेवाओं ने शहरी अर्थव्यवस्था को बदल दिया है और शहरी टेली-घनत्व को बढ़ाने में मदद की है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेतार फोनो की शुरुआत से, ग्रामीण टेली-घनत्व भी लगातार बढ़ रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बढ़ोत्तरी को प्रोत्साहन मिलने और ग्रामीण-शहरी अंतराल में कमी आने की आशा है। उपर्युक्त प्रयासों के मद्देनजर 200 मिलियन ग्रामीण कनेक्शन उपलब्ध करवाकर 25% ग्रामीण टेली-घनत्व प्राप्त करने के ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य व्यवहार्य प्रतीत होते हैं।

ब्रॉडबैंड

ज्ञान-आधारित समाज को तेजी से बढ़ावा देने और आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने की दृष्टि से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाना आवश्यक है। देश में ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतियों की घोषणा की गई है और उन्हें कार्यान्वित किया गया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या, जो मार्च, 2005 में केवल 0.18 मिलियन थी, बढ़कर मार्च 2009 तक लगभग 6.22 मिलियन हो गई। यह भी परिकल्पना की गई है कि इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 2010 तक क्रमशः 40 मिलियन और 20 मिलियन हो जाएगी।

ग्रामीण जनता को ई-गवर्नेंस और डाटा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत,



माननीय प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह नई दिल्ली में 'इंडिया टेलीकॉम-2008' का उद्घाटन करते हुए



श्री ए. राजा, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने 11 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में 'इंडिया टेलीकॉम-2008' प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए



माननीय प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह 11 दिसंबर, 2008 को नई दिल्ली में भारत की पहली एमटीएनएल 3जी मोबाइल सेवाओं का शुभारंभ करते हुए



माननीय प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह 'इंडिया टेलीकॉम-2008' में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए



5000 प्रखंडों को वायरलेस ब्रॉडबैंड द्वारा जोड़ा जाएगा और तालुक/ब्लॉक मुख्यालयों से 10 कि.मी. की परिधि के भीतर आने वाले गांवों को ऐसी कनेक्टिविटी से कवर किया जाएगा।

निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार ने ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम (बीडब्ल्यूए) सेवाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बीडब्ल्यूए सेवाएं शुरू होने पर ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी।

विनिर्माण

भारतीय दूरसंचार उद्योग देश के विविध भू-भागीय और जलवायु दशाओं के अनुकूल विशेष रूप से अभिकल्पित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार के दूरसंचार उपकरणों का विनिर्माण करता है। विशेषकर मोबाइल दूरसंचार के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के दूरसंचार उपकरणों की बढ़ती मांग ने विनिर्माण क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेशकों को उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया है। विगत चार वर्षों के दौरान अनेक जानी मानी दूरसंचार कंपनियों ने भारत में अपने विनिर्माण आधार स्थापित किए। इस क्षेत्र में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2 बिलियन डालर से अधिक रहा है। सरकार की पहल पर दूरसंचार उपकरण बनाने वाली विश्व की प्रमुख कंपनियां जैसे नोकिया, मोटरोला, सोनी एरिक्शन, सैमसंग, फ्लेक्सट्रॉनिक्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आदि अपनी-अपनी मोबाइल फोन विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर चुकी हैं और उन्होंने देश के भीतर 50% से अधिक मांग को पूरा करते हुए उत्पादन शुरू कर दिया है तथा वे निर्यात भी कर रही हैं। नोकिया-सीमेन्स नेटवर्क, एरिक्शन और तेजस नेटवर्क आदि ने देश के भीतर बीटीएस सहित सभी प्रकार के वायरलेस उपकरणों तथा समग्र पारिषण उपकरण के लिए अपनी-अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित की है। देश से निर्यात के संवर्द्धन और उसे बढ़ावा देने हेतु, सरकार दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्द्धन परिषद स्थापित कर चुकी है।

2008-09 के दौरान दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन 412,700 मिलियन रुपये (2007-08) से बढ़कर 518,000 मिलियन रुपए हो जाने की आशा है। 2007-2008 के दौरान, सर्वाधिक वृद्धि मोबाइल फोन सहित वायरलेस उपकरण विनिर्माण में दर्ज की गई है जहां उत्पादन 2006-07 के 105,450 मिलियन से बढ़कर 2007-08 में 286,000 मिलियन हो गया है जो 171% की वृद्धि है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

किसी देश के दीर्घावधि आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) न केवल पूंजी के स्रोत के रूप में बल्कि प्रौद्योगिकी अंतरण, अवसरचनना सुदृढीकरण, उत्पादन बढ़ाने तथा रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने के माध्यम से घरेलू अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्यात में वृद्धि करने में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूरसंचार क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूंजी प्रधान प्रकृति का है अतः इसके विस्तार हेतु भारी निवेश अपेक्षित होता है।

नेटवर्क का तीव्रता से विस्तार किए जाने हेतु अत्यधिक निधियों की आवश्यकता पूरी करने के महत्वपूर्ण 'स्रोत' में से एक 'स्रोत प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) है। एफडीआई नीति दूरसंचार क्षेत्र के विकास हेतु निवेशक के अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। 'स्रोत प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) है। एफडीआई नीति दूरसंचार क्षेत्र के विकास हेतु निवेशक के अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। भारत सरकार की नीति एफडीआई के विकासात्मक प्रभाव और स्पिन ऑफ को अधिकतम बढ़ाने का प्रयास करने की है। इस समय विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए 74% से 100% तक एफडीआई की अनुमति है। 2008-09 (अप्रैल-फरवरी, 2009) के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में कुल एफडीआई इक्विटी निवेश 2447 मिलियन अमरीकी डालर रहा है।

विनियामक ढांचा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदा ही बेहतर



गुणवत्ता और वहनीय कीमतों सहित दूरसंचार के क्षेत्र में अधिकाधिक प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। दूरसंचार क्षेत्र का स्वरूप बदलने की दृष्टि से वर्ष 2008-09 में अनेक नीतिगत कदम उठाए गए हैं ताकि भारत में दूरसंचार सेवाओं के कार्य क्षेत्र, इनकी उपलब्धता और पहुँच का विस्तार किया जा सके। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ 3 जी स्पेक्ट्रम के आबंटन के लिए नये संगठन को अनुमति, प्रसारण क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश की सीमाएं, 2.3-2.4 गीगाहर्टज, 2.5-2.69 गीगाहर्टज बैंड और 3.3-3.6 गीगाहर्टज बैंडों का आवंटन और मूल्य-निर्धारण, स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार और एककालिक स्पेक्ट्रम वृद्धि प्रभार, केबल टीवी सेवाओं का पुनर्गठन, मोबाइल श्रोता मापन/टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश और प्रचालनात्मक मुद्दों" इंटरनेट टेलीफोनी से संबंधित मुद्दों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों द्वारा कॉलिंग कार्ड उपलब्ध कराने, फिक्स्ड लाइन टेलीफोनों के लिए समेकित टेलीफोन निर्देशिका के प्रकाशन के लिए निबंधन और शर्तों पर सिफारिशें और राष्ट्रीय समेकित निदेशिका पूछताछ सेवा (एनआईडीक्यूएस) के लिए लाइसेंस के निबंधन और शर्तों पर सिफारिशें शामिल हैं।

उपर्युक्त सिफारिशों के अलावा, ट्राई ने विशेष रूप से उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा से संबंधित सिफारिशें और सेवा की गुणवत्ता में सुधार की ओर लक्षित सिफारिशें कीं। इनमें प्रशुल्क आदेश जारी करना तथा अभिगम सेवा में प्रशुल्क संबंधी पेशकशों में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु अनेक नियामक उपायों हेतु निदेश देना शामिल था। इसके अलावा प्राधिकरण ने क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित करने का कार्यक्रम शुरु किया जिसका उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए की गई विभिन्न पहलों के बारे में उपभोक्ता संगठनों में जागरूकता पैदा करना है।

उपर्युक्त उपायों से यह आशा की जाती है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देकर और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के अतिरिक्त निवेश दक्षता को बढ़ाकर दूरसंचार क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास का कार्य सुकर हो जाएगा।

अनुसंधान एवं विकास

नई प्रौद्योगिकियों के अधिकाधिक प्रयोग, निगमीकरण, प्रतिस्पर्द्धा की दिशा में कार्यवाही करने और विनियामक कार्यों को प्रचालनात्मक सेवाओं से अलग करने के लिए उच्च स्तर की नीति, विनियामक, प्रबंधकीय तथा प्रौद्योगिकीय सुविज्ञता होना अपेक्षित है। ऐसी सुविज्ञता उत्पन्न करने की क्षमता विकसित और सुदृढ़ करने की दृष्टि से इस क्षेत्र में कार्यरत सभी स्टेकहोल्डरों के साथ सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) की पद्धति से दूरसंचार उत्कृष्टता केन्द्र (टीसीओई) की अवधारणा स्थापित की जा रही है। अनुप्रयोग के अनुकूल अनुसंधान के अतिरिक्त, इन केन्द्रों को उच्च स्तर पर निर्णय करने वाले दूरसंचार संगठनों को क्षेत्र में सुधार कार्यों को व्यवस्थित करने तथा कार्पोरेट प्रबंधकों को नेटवर्क तथा सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए दोनों वर्गों को सहायता प्रदान करने तथा प्रशिक्षण देने की दृष्टि से डिजाइन किया गया है। देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में आठ टीसीओई होंगे तथा प्रत्येक केंद्र को सहायता प्रदान करने हेतु सात प्रमुख दूरसंचार प्रचालक होंगे। स्पैक्ट्रम प्रबंधन केंद्र को उद्योग कंसोर्टियम की सहायता से स्वायत्त मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

विनिर्माण तथा अनुसंधान एवं विकास संबंधी हमारे प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु, संचार सुरक्षा, अनुसंधान एवं निगरानी के लिए दूरसंचार परीक्षण एवं सुरक्षा प्रमाणन केंद्र की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया है। अल्काटेल, सिस्को, इत्यादि जैसी अनेक कंपनियों ने भी भारत में अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना की है।

दूरसंचार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

एमटीएनएल और बीएसएनएल विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम हैं जिनका टेलीफोन एवं अन्य संबंधित सेवाओं की बढ़ती अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु काफी विकास हुआ है। एमटीएनएल, जिसकी स्थापना मुख्यतः दूरसंचार नेटवर्क की गुणवत्ता में वृद्धि करने तथा भारत के प्रमुख महानगरों-दिल्ली एवं मुम्बई में दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए राजस्व जुटाने करने हेतु की गई थी, ने 1986 में अपने गठन के समय से ही भारत की अग्रणी कंपनी बनने एवं एशिया की सबसे बड़ी दूरसंचार प्रचालक कंपनियों में अपना नाम शुमार करने के लिए तीव्र गति से प्रयास किया है।



एमटीएनएल की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ है और इसके ग्राहकों की संख्या वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही के अंत में 8.06 मिलियन हो गई है। कंपनी ने 2008-09 की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान 695500 ग्राहकों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन तथा 1428626 ग्राहकों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किए। कंपनी ने अपने 100% टेलीफोन एक्सचेंज नेटवर्क को अत्याधुनिक डिजिटल मोड में परिवर्तित करके प्रौद्योगिकी को लागू करने की दिशा में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। फिलहाल, भारत सरकार का कंपनी में 56.25% स्टिक है।

बीएसएनएल, जिसका गठन अक्टूबर, 2000 में हुआ था, विश्व की 7वीं सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है। यह कंपनी भारत में दूरसंचार सेवाओं का व्यापक रेंज उपलब्ध कराती है जिनमें वायरलाइन, सीडीएमए मोबाइल, जीएसएम मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, वाहक सेवा, एमपीएलएस-वीपीएन, वीएसएटी, वीओआईपी सेवाएं, आईएन सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। यह आठ वर्षों की अल्प अवधि में देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का सेवा प्रदाता बन गया है जो मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 52.14 मिलियन बेतार ग्राहकों सहित 81.49 मिलियन उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। बीएसएनएल ग्रामीण टेलीफोनी पर अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ विशेष ध्यान दे रहा है। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, इसने 5.49 लाख गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 292.04 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) की सुविधा उपलब्ध करायी है। बीएसएनएल ने जनवरी, 2005 से ब्रॉडबैंड सेवाएं आरंभ कर दी हैं तथा इसने मार्च, 2009 तक 35.57 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध करा दिए हैं।

प्रमुख नीतिगत पहलें

टेलीघनत्व के तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के एनटीपी -99 के मुख्य लक्ष्य और "शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी सेवा प्रदाताओं के लिए प्रतिस्पर्धा के समान अवसर प्रदान करते हुए दूरसंचार के क्षेत्र को समयबद्ध तरीके से व्यापक प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश के लिए रूपांतरित करने" के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विभाग ने नीचे दी गई विभिन्न नीतिगत पहलों को अपनाया है जिसने दूरसंचार क्षेत्र के विकास में सहायता की है और वहनीय तथा गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं के हित में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की है:

- यह निर्णय लिया गया है कि किसी सेवा क्षेत्र में अभिगम प्रदाताओं की अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं होगी।
- समान यूएस/सीएमटीएस लाइसेंस के अंतर्गत दोहरी प्रौद्योगिकी स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के लिए 8 कंपनियों को अनुमति दी गई है जिनमें बीएसएनएल और एमटीएनएल शामिल हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल को ऐसे उपयोग के लिए निर्धारित शुल्क से छूट दी गई है।
- 3जी और बीडब्ल्यूए सेवाओं हेतु दिशा-निर्देशों की घोषणा 12 नवंबर, 2007 को की गई। 3जी और बीडब्ल्यूए सेवा हेतु स्पेक्ट्रम आवंटन करने के लिए एक नियंत्रित, एककालिक, आरोही, ई-नीलामी की प्रक्रिया संबंधी व्यापक दिशा-निर्देश दिनांक 1 अगस्त, 2008 को जारी किए गए। 3जी और बीडब्ल्यूए सेवाओं हेतु स्पेक्ट्रम आवंटन से दूरसंचार क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- जीएसएम और सीडीएमए स्पेक्ट्रम के आवंटन हेतु संशोधित उपभोक्ता आधारित मानदंड 17 जनवरी, 2008 को जारी किए गए। अभिगम सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम का आवंटन करने और स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण करने हेतु समितियां गठित की गई हैं।
- दिनांक 11 जुलाई, 2008 को भारतीय सीमा क्षेत्र के भीतर अंतरराष्ट्रीय सीमा के 500 मीटर के भीतर मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है।
- सरकार ने 3जी स्पेक्ट्रम हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें रेडियो फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने हेतु आरक्षित मूल्य की व्यवस्था है। इन दिशा-निर्देशों में विदेशी सेवा प्रदाताओं को भी प्रवेश की अनुमति दी गई है।



- विभाग ने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) आरंभ करने का निर्णय लिया है। इससे उपभोक्ता को एक ही सेवा क्षेत्र के भीतर एक प्रचालक से दूसरे प्रचालक की सेवाएं अपनाने पर भी एक ही नंबर रखने की सुविधा प्राप्त होगी। इससे दूरसंचार बाजार में सच्ची प्रतिस्पर्धा होगी।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उच्चतम सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
- टेलीमार्केटिंग करने वालों से आने वाली अनचाही कॉलों को विनियमित करने के उद्देश्यार्थ, एक ऐसा विनियम लागू किया गया है जिसके अंतर्गत "नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री (एनडीएनसी)" को प्रभावी बना दिया गया है। इसके लागू हो जाने से अनचाही कॉलों की संख्या काफी कम हो गई है। ट्राई के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अब तक एनडीएनसी में दर्ज उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 7.2 मिलियन है।

भावी विकास की नीति

दूरसंचार क्षेत्र में मिली सफलता की प्रशंसा करते हुए सरकार इस तथ्य से अवगत है कि मौजूदा सफलता से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। सरकार ने परिवर्तनशील प्रौद्योगिकियों के मद्देनजर विकासोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने तथा अन्य देशों के अनुरूप इस क्षेत्र में संरचनागत परिवर्तनों में तेजी लाने की आवश्यकता भी महसूस की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूरसंचार सेवाएं समग्र अर्थव्यवस्था में विकास की तीव्र गति को बनाए रखने हेतु सिर्फ अपेक्षित पैमाने पर ही उपलब्ध नहीं हैं, बल्कि इन सेवाओं की गुणवत्ता एवं लागत अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप भी हैं।

सरकार अब 11वीं योजना के अंत तक 600 मिलियन टेलीफोन उपभोक्ता के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।

ग्रामीण टेलीफोनी पर सरकार द्वारा सर्वाधिक बल दिया जाना जारी है। यह मान लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता जितनी अधिक होगी, बाजार अर्थव्यवस्था में लोगों की भागीदारी उतनी ही अधिक होगी, जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी और उनकी आय बढ़ेगी। अतः 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 200 मिलियन ग्रामीण कनेक्शनों के माध्यम से 25% ग्रामीण टेलीघनत्व प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

विकास की प्रक्रिया में ब्रॉडबैंड सेवाओं की संभाव्यता को समझते हुए, ग्यारहवीं योजना के लक्ष्यों में सभी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों एवं ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। ऐसी भी परिकल्पना है कि इंटरनेट एवं ब्रॉडबैंड उपभोक्ता की संख्या 2010 के अंत तक क्रमशः 40 मिलियन एवं 20 मिलियन हो जाएगी।

सरकार ने किफायती मूल्य पर देश भर में मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने और ब्रॉडबैंड सुविधाएं प्रदान कराने की परिकल्पना की है और सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है।





II. दूरसंचार आयोग

भूमिका और कार्य

भारत सरकार ने दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं पर काम करने के लिए भारत सरकार की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों सहित 11 अप्रैल, 1989 के विनियमन के द्वारा दूरसंचार आयोग का गठन किया था। इस आयोग में एक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य, जो कि दूरसंचार विभाग में भारत सरकार के पदेन सचिव हैं तथा चार अंशकालिक सदस्य हैं जो कि संबंधित विभागों में भारत सरकार के सचिव हैं। आयोग का वर्तमान संघटन निम्नानुसार है:-

अध्यक्ष	श्री सिद्धार्थ बेहुरा	1 जनवरी, 2008 से
सदस्य (वित्त)	श्री आर० अशोक	7 अप्रैल, 2008 से
सदस्य (उत्पादन)	रिक्त	1 जनवरी, 2006 से
सदस्य (सेवाएं)	श्री वी०के० शुक्ल	24 फरवरी, 2009 से
सदस्य (प्रौद्योगिकी)	श्री के. श्रीधर	27 जुलाई, 2006 से

सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी), सचिव (वित्त), सचिव (योजना आयोग) और सचिव (औद्योगिक नीति और संवर्द्धन) इसके अंशकालिक सदस्य हैं।

दूरसंचार आयोग के मुख्य कार्यों में नीति निर्माण, कार्य-निष्पादन की समीक्षा, लाइसेंसिंग, वायरलैस स्पैक्ट्रम प्रबंधन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रशासनिक मॉनीटरिंग, अनुसंधान और विकास तथा उपस्कर का मानकीकरण/विधिमान्यकरण तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध शामिल हैं।





III. दूरसंचार विभाग

भूमिका तथा कार्य

दूरसंचार विभाग, सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार विभिन्न शहरों और दूरसंचार सर्किलों में बुनियादी तथा मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने हेतु नीति बनाने, कार्यनिष्पादन समीक्षा, निगरानी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान और विकास तथा प्रचालकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके फ्रीक्वेंसी आबंधन और रेडियो संचार के लिए प्रबंधन का कार्य भी करता है। यह विभाग बेतार विनियामक उपायों को लागू करने तथा देश में सभी प्रयोक्ताओं के बेतार पारेषण पर निगरानी रखने के लिए भी जिम्मेदार है। सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति के कार्यान्वयन के उद्देश्य से दिनांक 1 जून, 2002 से प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के कार्यालय की स्थापना की गई है। अक्टूबर, 2000 में भारत संचार निगम लि0 के गठन के बाद भारत सरकार (कार्य आबंधन), नियमावली, 1961 के अन्तर्गत दूरसंचार विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:-

- टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलैस, डाटा, फैसिमाइल तथा टेलीमेटिक्स सेवाओं एवं संचार के अन्य समान साधनों के संबंध में नीति निर्धारण, लाइसेंसिंग तथा समन्वय संबंधी मामले।
- अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), इसके रेडियो विनियमन बोर्ड (आरआरबी), रेडियो संचार सेक्टर (आईटीयूआर), दूरसंचार मानकीकरण सेक्टर (आईटीयूटी), विकास सेक्टर (आईटीयू-डी), अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (इन्टेलसैट), अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन (इनमारसैट), एशिया प्रशांत दूरसंचार (एपीटी) जैसे दूरसंचार से संबंधित सभी अंतरराष्ट्रीय निकायों के मामलों सहित दूरसंचार से जुड़े मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग।
- दूरसंचार में मानकीकरण, अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना।
- दूरसंचार में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना।
- निम्नलिखित कार्यों सहित संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा अध्ययन को बढ़ावा देने और दूरसंचार संबंधी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति के सृजन हेतु वित्तीय सहायता :-
 - (क) उच्च वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसंधान हेतु संस्थानों/वैज्ञानिक संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देना; तथा
 - (ख) शैक्षिक संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना और दूरसंचार के क्षेत्र में अध्ययन हेतु विदेश जाने वाले छात्रों सहित व्यक्तियों को अन्य किस्म की वित्तीय सहायता देना।
- दूरसंचार विभाग द्वारा अपेक्षित भंडार-सामग्रियों एवं उपकरणों का प्रापण।
- दूरसंचार आयोग।
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।
- दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण।



- इस सूची में उल्लिखित किन्हीं मामलों के संबंध में कानूनों का प्रशासन, नामतः-
(क) भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13)
(ख) भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (1933 का 17), और
(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24)
- आईटीआई लिमिटेड ।
- मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड से संबंधित विनिवेशेतर मामले।
- भारत संचार निगम लिमिटेड ।
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ।
- विदेश संचार निगम लि. और टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड ।
- टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र(सी-डॉट) से संबंधित सभी मामले।
- पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग से संबंधित अवशिष्ट कार्य, जिनमें निम्नलिखित से संबंधित मामले भी शामिल हैं :-
(क) भारत संचार निगम लि. में आमेलन होने तक समूह "क" और अन्य वर्गों के कार्मिकों के संवर्ग नियंत्रण कार्य;
(ख) सेवांत लाभों का प्रशासन तथा भुगतान ।
- निर्माण कार्यों का निष्पादन, भूमि की खरीद और अधिग्रहण जिसे दूरसंचार से संबंधित पूंजीगत बजट के नामे डाला जाना है।

लाइसेंस प्रदान करना

एकीकृत अभिगम सेवाएं

- 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 240 एकीकृत अभिगम लाइसेंस(यूएएस), 2 बुनियादी सेवा और 39 सेल्युलर मोबाइल सेवा(सीएमटीएस) लाइसेंस मौजूद थे।
- 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, 8 कंपनियों को दोहरे प्रौद्योगिकी स्पेक्ट्रम (सीडीएमए और जीएसएम, दोनों) का प्रयोग करने के लिए उसी सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंस के तहत अनुमति प्रदान की गई है।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी)

दूरसंचार विभाग भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की शुरुआत करने की कार्रवाई कर रहा है जिसमें उपभोक्ता को एक सेवा प्रदाता को छोड़कर दूसरे सेवा प्रदाता का चयन कर लेने पर अथवा उसी सेवा प्रदाता की एक प्रौद्योगिकी को छोड़कर कोई अन्य प्रौद्योगिकी का चयन कर लेने पर अपने मौजूदा टेलीफोन नंबर को रखने की सुविधा दी जाएगी। भारत में एमएनपी सेवा हेतु लाइसेंस प्रदान करने के प्रयोजनार्थ, समूचे देश को 2 एमएनपी ज़ोन में विभाजित किया गया है जिनमें प्रत्येक ज़ोन में 11 सेवा क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और प्रत्येक एमएनपी ज़ोन में एमएनपी सेवा के लिए एक लाइसेंस दिया जाएगा। एमएनपी सेवा के लाइसेंस प्रदान करने हेतु दिनांक 25.11.2008 की निविदा के आधार पर निम्नलिखित दो कंपनियों को एमएनपी सेवा के लाइसेंस प्रदान करने के लिए चुना गया है और एमएनपी सेवा



के लाइसेंस प्रदान करने हेतु दिनांक 5.03.2009 को आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं :

- i. मैसर्स एमएनपी इंटरकनेक्शन टेलीकॉम सॉल्यूशन्स
- ii. मैसर्स सिनीवर्स टेक्नालॉजीज़ (इंडिया) प्रा० लिमिटेड

इन कंपनियों द्वारा अप्रैल, 2009 में संबंधित लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है और आशा है कि उसके बाद छह महीने के भीतर महानगरों और श्रेणी "क" सेवा क्षेत्रों में एमएनपी सेवा उपलब्ध हो जाएगी। देश के शेष भागों को, एमएनपी सेवा के लाइसेंसों के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर एमएनपी सेवा प्रदान कर दी जाएगी।

मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक (एमवीएनओ)

सरकार ने भारत में मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क प्रचालकों (एमवीएनओ) के लाइसेंसों की शुरुआत करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की दिनांक 6 अगस्त, 2008 की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। एमवीएनओ के लाइसेंस प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा शीघ्र ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

राष्ट्रीय एकीकृत निर्देशिका सेवा (एनआईडीक्यूएस)

सरकार ने देश में राष्ट्रीय एकीकृत निर्देशिका सेवा (एनआईडीक्यूएस) के लाइसेंसों की शुरुआत करने के संबंध में ट्राई की दिनांक 19 जून, 2008 की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। एनआईडीक्यूएस के लाइसेंस प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा शीघ्र ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

कैरियर सेवाएं

राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं(एनएलडी) और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं (आईएलडीएस) के लिए लाइसेंस प्रदान करना

- आईएलडीएस और एनएलडीएस को स्वतंत्र प्रतिस्पर्द्धा के लिए खोल दिए जाने की घोषणा के पश्चात् सरकार ने 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, अब तक 23 आईएलडीएस लाइसेंस और 26 एनएलडीएस लाइसेंस(बीएसएनएल सहित) जारी किए हैं। आवेदक कंपनी द्वारा एनएलडी और आईएलडी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नेटवर्थ और प्रदत्त पूंजी प्रत्येक के लिए 2.5 करोड़ रुपए है।
- 1 जनवरी, 2006 से एनएलडी/आईएलडी के वार्षिक लाइसेंस शुल्क को घटाकर समायोजित सकल राजस्व का 6% (यूएसओ अंशदान सहित) कर दिया गया है।
- एनएलडी ऑपरेटरों के लिए रॉल आउट दायित्व की अनिवार्यता नहीं है। आईएलडी ऑपरेटरों के लिए रॉल आउट दायित्व, तीन वर्षों की अवधि के भीतर कम से कम एक आईएलडी गेटवे स्थापित करने का रॉल आउट दायित्व है।

अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I (आईपी-I) का पंजीकरण प्रमाण-पत्र

- आईपी-I पंजीकरण के अंतर्गत, कंपनी लाइसेंसशुदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, टॉवर इत्यादि प्रदान कर सकती है। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 249 कंपनियों को अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I के रूप में पंजीकृत कर दिया गया है।

वॉयस मेल सेवा/ऑडियोटैक्स/एकीकृत संदेश सेवा

- नई दूरसंचार नीति(एनटीपी)-99 के अनुसार वॉयस मेल/ऑडियोटैक्स सेवा के लिए नई नीति जुलाई, 2001 में घोषित की गई थी जिसमें यूनिफाइड मैसेजिंग सेवा(यूएमएस) नामक नई सेवा भी शामिल की गई थी। यूएमएस



एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा टेलीफोन उपकरण फ़ैक्स मशीन, मोबाइल फोन इंटरनेट ब्राउजर इत्यादि का उपयोग करते हुए एक मेल बाक्स से वॉयस मेल, फ़ैक्स और ई-मेल(तीनों) प्राप्त किए जा सकते हैं।

- 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 10 कंपनियों के पास 7 शहरों में वॉयस मेल/ऑडियोटैक्स/यूनिफाइड मैसेजिंग सर्विस प्रदान करने के लिए 16 लाइसेंस हैं।
- इनके लिए न तो कोई प्रवेश शुल्क है और न ही लाइसेंस शुल्क है।

पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा लाइसेंस

- नई दूरसंचार नीति, 99 के अनुसार पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विस(पीएमआरटीएस) की नीति 1 नवंबर, 2001 को घोषित की गई थी। पीएमआरटीएस के नए लाइसेंस बिना किसी भेदभाव के "पहले आओ, पहले पाओ" आधार पर स्वीकृत किए जाएंगे। पीएमआरटी सर्विस को पीएसटीएन कनेक्टिविटी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
- दिनांक 14 जुलाई, 2006 के पीएमआरटीएस लाइसेंस करार में संशोधन के अनुसार शहर-वार सेवा क्षेत्र सर्किल-वार सेवा क्षेत्र हो गए हैं।
- पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रदान करने के लिए 16 कंपनियों के पास 4 महानगरों और 16 सर्किलों में 61 लाइसेंस हैं।

जीएमपीसीएस सर्विस लाइसेंस

- नई दूरसंचार नीति-99 उपग्रह द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन सर्विस(जीएमपीसीएस) के लाइसेंस प्रदान करने की नीति 2 नवंबर, 2001 को घोषित की गई थी।
- अद्यतन स्थिति के अनुसार भारत में जीएमपीसीएस सेवा प्रदान करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं है।
- इस लाइसेंस के लिए प्रवेश शुल्क की राशि एक करोड़ रुपए है। लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस शुल्क के रूप में समायोजित सकल राजस्व की 10% राशि का भुगतान किया जाना होता है।

अन्य सेवा प्रदाता(ओएसपी) एवं टेली विपणनकर्ता

- ओएसपी श्रेणी के अंतर्गत कॉल सेंटरों (अंतरराष्ट्रीय और घरेलू), नेटवर्क प्रचालन केन्द्रों और वाहन ट्रैकिंग प्रणालियों का पंजीकरण किया जा रहा है।
- ओएसपी श्रेणी के अंतर्गत 2500 से अधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं।
- 1 सितम्बर, 2007 से ओएसपी श्रेणी और टेलीमार्केटिंग श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण कार्य को दूरसंचार विभाग मुख्यालय से विकेंद्रित कर 10 सर्किलों में टीईआरएम प्रकोष्ठों को प्रदान किया गया है। इसके अलावा 1 जून, 2008 से कार्य को विकेंद्रित कर इसे सभी टीईआरएम प्रकोष्ठों को सौंप दिया गया है। तथापि, दूरसंचार विभाग का सीएस प्रकोष्ठ नीतिगत मामलों की देखरेख करता रहेगा।

वैरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वी सैट) सर्विस

- मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक सीयूजी वी-सैट सेवा के लिए 12 लाइसेंस हैं। वाणिज्यिक सीयूजी वी-सैट लाइसेंस के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 65,000 से अधिक वाणिज्यिक सीयूजी वी-सैट प्रचालनरत हैं।

इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, इंटरनेट सेवाओं के लिए 372 लाइसेंस हैं जिसमें 96 क श्रेणी के लाइसेंसधारक,



128 ख श्रेणी के लाइसेंसधारक और 148 ग श्रेणी के लाइसेंसधारक शामिल हैं। आईपीटीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक इंटरनेट सेवा लाइसेंसधारक को अनुमति दी गई है। इसके अलावा 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार लगभग 6.07 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ता हैं।

निवेश नीति (आईपी)

दूरसंचार सेक्टर को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे अधिक पसंदीदा सेक्टरों में से एक समझा जाता है। दूरसंचार सेक्टर हेतु मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति निम्नानुसार है :

बुनियादी और सेल्युलर, एकीकृत अभिगम सेवाएं, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी, वी-सैट, सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाएं (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकोस सर्विस (जीएमपीसीएस) और अन्य मूल्य वर्द्धित दूरसंचार सेवाएं।

74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई, एफआईआई, एनआरआई, एफसीसीबी, एडीआर, जीडीआर परिवर्तनीय अधिमान शेयर और भारतीय संबद्धकों/निवेशक कंपनी में समानुपाती विदेशी इक्विटी सहित) अनुमत्य है। ऑटोमैटिक रूट के तहत 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत्य है, प्रेस टिप्पणी 3(2007 श्रृंखला) की शर्तों के अनुसार 49% से अधिक एफआईपीबी के माध्यम से।

आईएसपी (गेटवेज सहित), एंड टू एंड बैंडविड्थ और पेजिंग सर्विस

लाइसेंसिंग और सुरक्षा संबंधी जरूरतों के अध्यधीन 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत्य है । ऑटोमैटिक रूट के तहत 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत्य है और 49% से अधिक एफआईपीबी के माध्यम से ।

डार्कफाइबर राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, टॉवर (श्रेणी-I), इलेक्ट्रॉनिक मेल और वॉयस मेल उपलब्ध कराने वाले अवसंरचना प्रदाता।

100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इन शर्तों के अध्यधीन अनुमत्य है कि यदि ये कंपनियां विश्व के अन्य भागों में सूचीबद्ध हैं तो ऐसी कंपनियां अपनी इक्विटी का 26% भाग 5 वर्षों में भारतीय जनता को हस्तांतरित कर देंगी। 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों पर एफआईपीबी द्वारा मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा।

अगस्त 1991 से अगस्त 2008 तक दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वास्तविक आमद 273, 393 मिलियन रु0 है। अप्रैल, 2000 से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के वित्तीय वर्ष-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(रु0 मिलियन में)

वर्ष	एफडीआई की आमद	वर्ष	एफडीआई की आमद
2000-01 (अप्रैल 2000—मार्च 2001)	7,841.59	2004-05	
2001-02	39,384.61	2005-06	27,759.53
2002-03	9,077.31	2006-07	21,550.77
2003-04	5,139.21	2007-08	51,026.09
2004-05	5,695.38	2008-09 (अप्रैल—अगस्त 2008)	14,568.22
		कुल जोड़	182,042.72



दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण

भारतीय दूरसंचार उद्योग विशेषकर देश के विविध भू-भागों और जलवायु दशाओं के अनुकूल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हुए दूरसंचार क्षेत्र के सभी प्रकार के उपस्करों का विनिर्माण करता है। विशेष रूप से मोबाइल दूरसंचार के क्षेत्र में विविध प्रकार के दूरसंचार उपस्करों की बढ़ती मांग के विनिर्माण क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेशकों को श्रेष्ठ अवसर प्रदान किए हैं। गत चार वर्षों में अनेक जानी-मानी दूरसंचार कंपनियों ने भारत में अपना विनिर्माण आधार स्थापित कर लिया है। इस क्षेत्र में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2 बिलियन अमेरिकी डालर से भी अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, दूरसंचार उपस्करों के क्षेत्र में विश्व की प्रमुख अग्रणी कंपनियों, जैसे नोकिया, मोटरोला, सोनी इरिक्सन, सैमसंग, फ्लैक्सट्रॉनिक्स, एलजी इलेक्ट्रानिक्स आदि ने पहले ही अपनी मोबाइल फोन विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर ली हैं और अपना उत्पादन शुरू कर दिया है जो देश के भीतर 50% से अधिक की मांग को पूरा कर रही हैं और इनका निर्यात भी कर रही हैं। नोकिया-सीमेन्स नेटवर्क, इरिक्सन और तेजस नेटवर्क आदि ने देश के भीतर बीटीएस सहित वायरलेस उपस्करों की पूरी रेंज के लिए और पारेषण उपस्कर की पूरी रेंज के लिए अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित की हैं। देश के निर्यात को बढ़ावा देने और उसका विकास करने की दृष्टि से सरकार द्वारा दूरसंचार उपस्कर एवं सेवा निर्यात संवर्द्धन की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

वर्ष 2008-2009 के दौरान दूरसंचार उपस्कर का उत्पादन 412,700 मिलियन ₹0 (2007-08) से बढ़कर 518,000 मिलियन ₹0 का हो जाने की संभावना है। वर्ष 2007-2008 के दौरान, सेल्युलर मोबाइल फोनों सहित वायरलेस उपस्कर के विनिर्माण के क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई जिसमें उत्पादन वर्ष 2006-07 के 105,450 मिलियन ₹0 से बढ़कर 2007-08 में 286,000 मिलियन ₹0 तक पहुंच गया, इस प्रकार इसमें 171% की वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, इस वर्ष सेल्युलर फोनों सहित वायरलेस उपस्कर के मार्केट से 416,500 मिलियन ₹0 का अनुमानित उत्पादन होने की संभावना है जिसमें वृद्धि दर 46% रहेगी।

तथापि, प्रचालकों द्वारा वायर लाइन उपस्कर के उत्पादन की मांग में कमी कर दिए जाने के कारण इस दिशा में निष्पादन बहुत उत्साहजनक नहीं है। वायरलाइन उपस्कर का उत्पादन 131,000 मिलियन ₹0 से घटकर 117,800 मिलियन ₹0 का हो गया और इस वित्तीय वर्ष में इसके और भी घटकर 94,500 मिलियन ₹0 का हो जाने की संभावना है। केवल ऑप्टिकल फाइबर केबलों के उत्पादन की दिशा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिसमें इनका उत्पादन की दिशा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिसमें इनका उत्पादन 2006-2007 के 4,460, मिलियन ₹0 से बढ़कर 2007-08 में 5,340 मिलियन ₹0 का हो गया है और 2008-09 में इसके 6,090 मिलियन ₹0 तक और बढ़ जाने की संभावना है।

2007-08 के दौरान निर्यात और आयात सहित दूरसंचार उपस्करों के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है :

2007-08 के दौरान दूरसंचार उपस्कर का उत्पादन	:	412,700 मिलियन ₹0
2008-09 के दौरान दूरसंचार उपस्कर का उत्पादन	:	518,000 मिलियन ₹0 (अनुमानित)
2007-08 के दौरान भारत का दूरसंचार की मर्दों का निर्यात	:	81,310 मिलियन ₹0
2007-08 के दौरान भारत का दूरसंचार की मर्दों का आयात	:	390,350 मिलियन ₹0
2007-08 के दौरान दूरसंचार परामर्श संबंधी भारत के निर्यात (अप्रैल, 2008 से सितंबर, 2008 तक) के दौरान	:	25.5 मिलियन ₹0
दूरसंचार परामर्श संबंधी भारत के निर्यात	:	16.9 मिलियन ₹0



अंतरराष्ट्रीय सहयोग

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में देश के भीतर और बाहर कार्यशालाएं, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दौरो के अलावा भ्रमणकारी विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श होते हैं। इनमें से कुछ बैठकों की सूची नीचे दी गई है।

द्विपक्षीय सहयोग/संयुक्त आयोग की बैठकें

- 2008-09 के दौरान भारत-स्वीडेन, भारत-ईरान, भारत-आस्ट्रेलिया, भारत-यूरोपीय संघ, भारत-कुवैत, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और भारत-क्रोएशिया के लिए अंतर-मंत्रालयी तैयारी बैठकें आयोजित हुईं।
- जेसीएम के लिए एक अधिकारी स्तरीय मध्य-कालिक समीक्षा बैठक 10-11 मई, 2008 को तेहरान में आयोजित की गई। विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के अधिकारियों के एक भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव (पीएआई) विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी उप-समूह ने द्विपक्षीय सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया।



नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया टेलीकॉम-2008' में भाग लेते हुए भारतीय एवं विदेशी प्रतिभागी



- इंटेलेजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम(आईटीएस) के प्रयोग द्वारा व्यापक मोबिलिटी आयोजना और प्रबंधन पर सचिव(शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 2.7.2008 को एक अंतः मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई।
- यूएसए के इरिडियम सेटेलाइट एलएलसी के एक शिष्टमण्डल ने 05.08.2008 को वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों की टीम के साथ दौरा किया और दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली में प्रस्तुतीकरण पेश किया।
- टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड(टीसीआईएल) ने नई दिल्ली में 25-26 मार्च 2009 को आसियान ई. नेटवर्क परियोजना पर एक कार्यशाला आयोजित की।
- ईयर ऑफ इण्डिया इन रशिया पर 12 मार्च, 2009 को एक अंतः मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई।

विदेशों में प्रतिनियुक्ति

- 1-3 अप्रैल, 2008 को सिंगापुर में टाटा कम्यूनिकेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की बैठक में सरकारी प्रतिनिधियों के रूप में भागीदारी के लिए उपमहानिदेशक (डब्ल्यूपीएफ) और उपमहानिदेशक (एस-1), दूरसंचार विभाग की प्रतिनियुक्ति।
- जेनेवा, स्वीट्जरलैण्ड में 07-18 अप्रैल, 2008 तक दूरसंचार के सुरक्षा पहलुओं के सम्बन्ध में स्टडी ग्रुप-17 की बैठक में भाग लेने के लिए उपमहानिदेशक(सुरक्षा) दूरसंचार विभाग की प्रतिनियुक्ति।
- सिंगापुर में 8-10 अप्रैल, 2008 तक वाइमैक्स फोरम एशिया 2008 कांग्रेस में वक्ता के रूप में और पैनल में शामिल होने हेतु भाग लेने के लिए निदेशक(एसएम एण्ड एफएलए), टीईसी, दूरसंचार विभाग की प्रतिनियुक्ति।
- 8-11 अप्रैल, 2008 तक आलबोर्ग, डेनमार्क में भावी पीढ़ी की बेतार प्रौद्योगिकी के लिए स्पेक्ट्रम की आवश्यकता सम्बन्धी बैठक में भाग लेने के लिए सदस्य (टी) दूरसंचार विभाग की प्रतिनियुक्ति।
- टोकियो, जापान में 10-14 अप्रैल, 2008 के दौरान व्यापक आर्थिक साझेदारी करार सम्पन्न करने के लिए छठा भारत-जापान संयुक्त टास्क फोर्स में भाग लेने के लिए संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग के नेतृत्व वाले भारतीय शिष्टमण्डल के एक सदस्य के रूप में उपमहानिदेशक(सी एण्ड ए), दूरसंचार विभाग की प्रतिनियुक्ति।
- एथेंस, यूनान में 28 अप्रैल से 2 मई, 2008 तक आयोजित वाइमैक्स फोरम के सदस्यों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमण्डल जिसमें दूरसंचार विभाग में प्रशासक, यूएसओएफ, वरि. उपमहानिदेशक, टीईसी और कार्यकारी निदेशक सी-डॉट शामिल थे, की प्रतिनियुक्ति।
- सदस्य (वित्त), दूरसंचार विभाग के नेतृत्व भारतीय शिष्टमण्डल, जिसमें संयुक्त सचिव(टी), उपमहानिदेशक(आईआर), निदेशक (बी एण्ड पी), दूरसंचार विभाग शामिल थे, को 12-15 मई, 2008 तक काहिरा, मिस्त्र में आयोजित आईटीयू टेलीकॉम अफ्रीका 2008 में भाग लेने के लिए भेजा गया।
- माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमण्डल ने 16 वें विश्व सूचना प्रौद्योगिकी कांग्रेस(डब्ल्यूसीआईटी, 2008) में भाग लिया।
- सदस्य (एस), दूरसंचार आयोग एवं पदेन सचिव, दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमण्डल, जिसमें निदेशक(पी एण्ड एम), दूरसंचार विभाग शामिल थे, ने जेनेवा, स्वीट्जरलैण्ड में 27-29, मई, 2008 तक सूचना समाज के मापन पर वैश्विक बैठक 2008 में भाग लिया।
- स्टॉक होम, स्वीडन में 30 मई से 3 जून 2008 के दौरान जेसीएम, भारत-स्वीडन सीईओ की गोलमेज बैठक और



भारत में अवसरों पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लेने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त सचिव (टी), दूरसंचार विभाग को भेजा गया।

- स्वीट्जरलैण्ड के जेनेवा में 28 मई से 03 जून, 2008 के दौरान आईटीयू-आर की संयुक्त कार्य समूह 5-6 बैठक में भाग लेने के लिए संयुक्त बेतार सलाहकार, दूरसंचार विभाग और मुख्य अभियंता, दूरदर्शन, प्रसार भारती को भेजा गया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस बेगास में 16 से 19 जून, 2008 तक आयोजित एनएक्सटी कॉम 2008 में भाग लेने के लिए दूरसंचार विभाग के निदेशक (टी) सहित दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल को भेजा गया।
- नीदरलैंड के एमस्टरडम में 16 से 18 जून 2008 को वाइ-मेक्स फोरम ग्लोबल कांग्रेस 2008 में भाग लेने के लिए प्रशासक दूरसंचार विभाग सहित यूएसओ निधि के प्रशासक के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल को भेजा गया।
- कांगो के किंशासा में 23-27 जून 2008 के दौरान कांगो लोक तांत्रिक गणतंत्र के प्राधिकारियों के साथ उनके द्वारा तैयार परियोजना प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने तथा भारत के हित से संबंधित क्षेत्रों पर बातचीत के लिए वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में गठित टीम के सदस्य के रूप में दूरसंचार विभाग के उपमहानिदेशक (आईआर) को भेजा गया।
- वाशिंगटन, यूएसए में 30 जून से 3 जुलाई 2008 के दौरान आयोजित भारत-अमेरिका आईसीटी कार्यदल की बैठक में भाग लेने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विशेष सचिव के नेतृत्व में गठित दल के सदस्य के रूप में दूरसंचार विभाग के उपमहानिदेशक (सी एंड ए) को भेजा गया।
- लंदन यू0के0 में 7 से 11 जुलाई 2008 को दूरसंचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए संयुक्त सचिव (टी) और दूरसंचार विभाग के डब्ल्यू पी सी के संयुक्त बेतार सलाहकार सहित दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल को भेजा गया।
- मलेशिया के क्वालालंपुर में 22 से 24 जुलाई 2008 को आयोजित पांचवी एशिया पसिफिक परिषद 2008 सम्मेलन में दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ उप महानिदेशक (सतर्कता) ने भाग लिया।
- आस्ट्रेलिया के आस्ट्रेलियाई कैनबरा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में 11 से 22 अगस्त, 2008 को सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के सफल मूल्यांकन एवं प्रबंध संबंधी अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दूरसंचार विभाग के संयुक्त सचिव (टी) ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की शिक्षावृत्ति के तहत भाग लिया।
- चीन के मकाओ में 26 से 29 अगस्त 2008 को हुई एपीटी बेतार फोरम की 5वीं बैठक में भाग लेने के लिए दूरसंचार विभाग मुंबई के संयुक्त बेतार सलाहकार को भेजा गया।
- बाली, इण्डोनेशिया में 25 से 29 अगस्त 2008 तक हुई 9वीं एशियन दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (टेल सॉम) में भाग लेने के लिए दूरसंचार विभाग के उपमहानिदेशक (आईआर) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ निदेशक सहित दूरसंचार विभाग के सदस्य (टी) के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल को भेजा गया।
- वार्सिलोना, स्पेन में 16 से 18 फरवरी, 2008 तक आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मंत्रालयी प्रोग्राम में दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित दूरसंचार विभाग के सचिव के नेतृत्व में भारतीय शिष्ट मंडल ने भाग लिया।
- भारत में दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र स्थापित करने के संबंध में ब्रिटिश दूरसंचार यू0के0 के साथ 16 से 17 मार्च, 2009 को दूरसंचार विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ दूरसंचार विभाग के उपमहानिदेशक (सुरक्षा) के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने बैठक आयोजित की।



- अपर सचिव दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने 16 से 19 मार्च, 2009 के दौरान यू0के0 और फ्रांस में दूरसंचार विनियामकों के साथ बैठक की।
- हॉगकॉंग में 12 से 13 मार्च 2009 तक आयोजित भारत दूरसंचार दिवस और एपीसीसी की बैठक में दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित दूरसंचार विभाग के सचिव के नेतृत्व वाले भारतीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।

दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा अन्य देशों का भ्रमण

उपरोक्त के अलावा दूरसंचार कर्मियों को संबंधित अवधि के दौरान आईटीयू की आईटीयू-टी, आईटीयू-आर, आईटीयू-डी और एपीटी, एपीएससीसी, यूएनडीपी इत्यादि जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों में भाग लेने के लिए भेजा गया।

राजभाषा (हिन्दी) का प्रयोग

कार्यकलाप

वर्ष 2008-09 की अवधि (अप्रैल-दिसम्बर, 2008) के दौरान, राजभाषा प्रभाग द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों पर कार्य किए गए :

भारत सरकार की राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

दूरसंचार विभाग और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं संबद्ध/सहायक कार्यालयों के कर्मिकों को राजभाषा अधिनियम और नियमों एवं उनके तहत जारी किए गए अनुदेशों से अवगत कराया गया। ताकि राजभाषा विभाग द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2008-09 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। विभाग के विभिन्न अनुभागों और इस विभाग के अधीन अन्य कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगाई गई। रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा जहां कहीं आवश्यक था, आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए गए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम-1963 की धारा 3(3) का पूर्णतः अनुपालन किया गया अगस्त, 2008 में सात संलग्न कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सातों संलग्न कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निरीक्षण किया गया। राजभाषा अधिनियम और नियमों के तहत जारी विभिन्न प्रावधानों और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग के सभी अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण

जिन पांच (5) टंककों और पांच (5) आशुलिपिकों ने हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण नहीं लिया था, उन्हें हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

नियमित अंतरालों पर विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की गईं जिनमें विभाग में सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित प्रगति की समीक्षा की गई। वर्ष के दौरान चार ऐसी तिमाही बैठकें की गईं।

राजभाषा पर संसद की दूसरी उपसमिति द्वारा निरीक्षण

अवधि के दौरान राजभाषा पर संसद की दूसरी उप-समिति द्वारा दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न



कार्यालयों / निगमों के अठारह (18) निरीक्षण किए गए। देशभर में इन निरीक्षणों के लिए एक समन्वय के रूप में कार्य किया गया।

हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

विभाग में 15 सितम्बर, 2008 से 30 सितम्बर, 2008 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया था। विभाग में राजभाषा की प्रगति से संबंधित 15 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। अहिन्दी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए टिप्पण/मसौदा और निबंध लेखन के लिए अलग से प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं में लगभग 200 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। सफल होने वाले प्रतिभागियों को 11 नवंबर, 2008 को आयोजित कार्यक्रम में संयुक्त सचिव (प्रशासन) द्वारा नकद पुरस्कार/ प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।



हिन्दी पखवाड़ा-2008 के दौरान संयुक्त सचिव (प्रशा.) सुश्री सुधा श्रोत्रिय के साथ दूरसंचार विभाग के अधिकारी और कर्मचारी

राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10 (4) (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) के तहत कार्यालयों की अधिसूचना

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 8 कार्यालयों को उनके कार्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिसूचित किया गया।



अनुवाद कार्य

रिपोर्ट अवधि के दौरान संसदीय बैंठकें/स्थायी समिति/अनुदान मांगे/संसद के आश्वासन इत्यादि से संबंधित दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिन्दी और इसके विपरीत अनुवाद किया। हिन्दी प्रभाग ने दूरसंचार विभाग की वेबसाइट के हिन्दी अनुवाद करने भी सक्रिय योगदान दिया। नेमी अनुवाद कार्य के अलावा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण दस्तावेजों (विभाग द्वारा संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखे जाने वाले समस्त कागजातों/रिपोर्टों सहित) का अनुवाद किया गया और उन्हें द्विभाषी रूप में तैयार किया गया।

कल्याण तथा खेलकूद संबंधी कार्यकलाप

कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के स्कूल/कालेजों में पढ़ने वाले मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति, बुक अवार्ड और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को वाहन भत्ता/छात्रावास सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। कार्यक्रम में विपत्तिग्रस्त कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और मनोरंजन भ्रमण यात्राओं आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना भी शामिल है।

वर्ष 2008-09 के दौरान संशोधित योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए :

- मृतक कर्मचारियों के परिवारों को 30,000/- रुपए (तीस हजार रुपए मात्र) और विपत्तिग्रस्त परिवारों को 25000/-रु० की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई ।
- 01 से 6 जून 2008 तक कुल्लू, मनानी, धर्मशाला और निकटवर्ती स्थानों के लिए भ्रमण कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित किया गया ।
- दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) के कर्मचारियों को उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र (एनटीआर)/भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विभिन्न खेलकूद-कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया।
- दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के स्कूल में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को बुक अवार्ड और प्रोत्साहन राशि वितरित की गई।

कल्याणकारी योजनाएं व्यापक तौर पर लिंग-निरपेक्ष और संयुक्त स्वरूप की हैं। तथापि, कुछ योजनाओं जैसे बुक अवार्ड, स्कोलरशिप अवार्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणियों को अंकों में छूट दी जाती है। इन श्रेणियों के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है, बुक अवार्ड/ स्कोलरशिप योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र आवेदकों को प्रदान किए जाते हैं।

महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में कर्मचारी कल्याण निधि में से किया गया खर्च निम्नानुसार है :

महिला कल्याण पर खर्च की गई राशि	:	5,90,000/-रु०
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास पर खर्च की गई राशि	:	3,13,100/-रु०

जेंडर बजटिंग

दूरसंचार विभाग में नवंबर, 2006 में जेंडर बजट प्रकोष्ठ का गठन किया गया। जेंडर बजट प्रकोष्ठ के गठन के बाद, सभी क्षेत्रीय इकाइयों सहित दूरसंचार विभाग की कल्याणकारी गतिविधियों के विश्लेषण के लिए इसकी प्रथम बैठक 18 जनवरी, 2007 को आयोजित की गई । इसके पश्चात, सचिव (दूरसंचार) की अध्यक्षता में 21 मई, 2007 और 3



अक्टूबर, 2007 को दो बैठकें आयोजित की गईं जिनमें बीएसएनएल, एमटीएनएल और सी-डॉट के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। दूरसंचार विभाग के बजट में बजट प्राक्कलन 2007-08 के दौरान जेंडर बजट संबंधी प्रयोजन के लिए 4 लाख रू० आबंटित किए गए। विभाग का जेंडर बजट प्रकोष्ठ सरकार के जेंडर बजट संबंधी पहल कार्यों के बारे में और इस क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के आयोजना व प्रतिपादन स्तर पर जेंडर सम्बन्धी सरोकार को मुख्य धारा में लाने में कारगर बनाने में दूरसंचार विभाग की भूमिका के बारे में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के अनुसरण में दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी अक्टूबर, 2005 से प्रशासनिक प्रभाग में इसके कार्यान्वयन की पहल की है। इस विभाग में सूचना का अधिकार की एक पृथक इकाई की स्थापना की गई थी, जिसने उप सचिव के स्तर का एक केंद्रीय जनसूचना अधिकारी, अवर सचिव के स्तर का एक सहायक जन सूचना अधिकारी और समूचे विभाग, इसके सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और स्वायत्त निकायों तथा अन्य विभागों/मंत्रालयों के लिए अपील प्राधिकरण के रूप में उप महानिदेशक (समन्वय और प्रशासन) के साथ 1 जनवरी, 2007 से कार्य आरंभ किया।

दूरसंचार विभाग की सूचना का अधिकार इकाई जनता की संतुष्टि के अनुरूप आरटीआई आवेदनों के निपटान की प्रणाली को निरन्तर सुदृढ़ बनाने का कार्य कर रही है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, 48 सीपीआईओ और प्रथम अपील प्राधिकारी के अलावा 13 अन्य केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों को अतिरिक्त प्रथम अपील प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया।

वर्ष 2007-08 के दौरान 1493 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 524 आवेदनों को अन्य विभागीय लोक प्राधिकरणों और सावर्जनिक क्षेत्र उपक्रमों के पास भेजा गया। सूचना के साथ आवेदनों का निपटान लगभग 99% रहा। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो अपवाद हैं, उनको छोड़कर सूचना प्रदान करने से मनाही नहीं की गई।

लोक शिकायत और उनका निवारण

दूरसंचार विभाग अपने लोक शिकायत प्रकोष्ठ में माननीय प्रधानमंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के कार्यालय, संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, अति विशिष्ट व्यक्तियों, अध्यक्ष के कार्यालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा जनता से सीधे शिकायतें प्राप्त करता है। दूरसंचार विभाग का लोक शिकायत प्रकोष्ठ शिकायतों के शीघ्र और समय पर निपटान के लिए उनकी मॉनिटरिंग करता है।

2008-09 की अवधि के दौरान पी जी प्रकोष्ठ में 156794 शिकायतें प्राप्त हुईं और 153995 मामलों का निपटान हुआ।

वर्ष 2008 के दौरान, दूरसंचार विभाग ने लोक शिकायत प्रकोष्ठ में सी-पीजीआरएएमएस भी कार्यान्वित किया है जो दूरसंचार विभाग में प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निपटान और प्रभावी मॉनीटरिंग के उद्देश्यार्थ वेब प्रौद्योगिकी पर आधारित एक समेकित अनुप्रयोग प्रणाली है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का कार्यान्वयन

भारत सरकार की नीति के अनुसार, निदेशक (कर्मचारी सम्बन्ध) के पर्यवेक्षण के तहत दूरसंचार विभाग में एक एससीटी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है जिन्हें दूरसंचार विभाग के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। संपर्क अधिकारी न केवल विभाग के अधिकारियों को वरन दूरसंचार विभाग के तहत सभी



सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, सांविधिक निकायों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भी सम्बन्धित दिशानिर्देश प्रदान करता है। वर्ष 2007-08 के दौरान सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, सांविधिक निकायों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों नामतः भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सलटेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईटीआई लिमिटेड, सी-डॉट, दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय अधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और संचार लेखा नियंत्रक को अनुदेश जारी किए गए कि वे निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाएं, एससीटी प्रकोष्ठ का निर्माण सुनिश्चित करें और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त संवैधानिक रक्षोपाय सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभागीय पदोन्नति समिति का कम-से-कम एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से हो मुख्यालय स्तर पर मॉनीटरिंग की एक प्रणाली भी विकसित की गई है। दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों को कहा गया कि वे एएलटीटीसी, गाजियाबाद द्वारा संचालित प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित मामलों की देखरेख करने वाले अधिकारियों को प्रायोजित करें।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन

(2008-09 की अनुदान मांगों पर कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग से सम्बन्धित संसदीय स्थायी समिति की 31वीं रिपोर्ट और विभागों की वार्षिक रिपोर्ट में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों/आदेशों के कार्यान्वयन पर पैराग्राफ शामिल किया जाना)

2008-09 की अवधि के दौरान दूरसंचार विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के 20 निर्णय/आदेश कार्यान्वित किए गए।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 1 बेतार आयोजना एवं समन्वय

भूमिका

दूरसंचार विभाग का बेतार आयोजना और समन्वय स्कन्ध स्पेक्ट्रम प्रबंधन, बेतार लाइसेंसिंग, फ्रीक्वेंसी आबंटन की नीति, स्पेक्ट्रम प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय समन्वय तथा रेडियो संचार प्रणालियों के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (आईटीए, 1885) और भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 (आईडब्ल्यूटीए, 1933) के प्रशासन का कार्य देखता है।

वर्ष 2008-2009 के दौरान कार्य-निष्पादन

स्थलीय नेटवर्कों के लिए फ्रीक्वेंसी आबंटन

सीडीएमए नेटवर्कों के लिए फ्रीक्वेंसी का आबंटन सीडीएमए / कोरडेक्ट आधारित नेटवर्क, प्वाइंट-टु-प्वाइंट और प्वाइंट-टु-मल्टी प्वाइंट माइक्रोवेव नेटवर्क आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु आवश्यक तकनीकी जाँच, विश्लेषण और अन्य बेतार नेटवर्कों के साथ समन्वय स्थापित करके किया गया जो कि ऐसे सभी नेटवर्कों का निर्बाध प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए विद्युत चुंबकीय अनुरूपता स्थापित करने की दृष्टि से उचित समझा गया है।

सीडीएमए आधारित नेटवर्कों के लिए 424-844 मेगाहर्टज के साथ युग्मित 869-889 मेगाहर्टज में फ्रीक्वेंसी का आबंटन किया गया है और कोरडेक्ट आधारित नेटवर्कों के लिए 1880-1900 मेगाहर्टज में फ्रीक्वेंसी का आबंटन किया गया है।

3जी और ब्राडबैंड बेतार अभिगम (बीडब्ल्यूए) के लिए स्पेक्ट्रम के आबंटन संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

रेडियों फ्रीक्वेंसी आबंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए)

एसएसीएफए, सचिव (दूरसंचार) की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय अंतर्विभागीय स्थायी समिति है और यह सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं तथा अन्य बेतार प्रयोक्ताओं द्वारा बेतार एंटीना की संस्थापना के संबंध में स्थल स्वीकृति के संबंध में नीतियां तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। एसएसीएफए बेतार प्रयोक्ताओं द्वारा बेतार एंटीना के अप्राधिकृत इस्तेमाल/निर्माण के मामलों को देखता है और किसी बेतार प्रयोक्ता/नेटवर्क के कारण होने वाली हस्तक्षेप/ व्यवधान/उडान संबंधी खतरों के मामलों को भी निपटाता है। बेतार प्रयोक्ताओं को ढांचागत सुरक्षा, पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित अन्य स्थानीय उप विधियों का अनुपालन करना होता है।

राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना (एनएफएपी-2008)

स्पेक्ट्रम संबंधी मौजूदा नीतिगत दस्तावेज अर्थात् राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना (एनएफएपी-2002) को संशोधित किया गया है और राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना 2008 को आईटीयू संस्करण 2008 के रेडियो विनियम के अनुरूप तैयार किया गया है ताकि मौजूदा प्रयोक्ताओं पर अनुचित रूप से दबाव डाले बिना नई उभरती प्रौद्योगिकियों सहित स्पेक्ट्रम की परस्पर विरोधी मांग को पूरा किया जा सके। अप्रैल 2009 से लागू एनएफएपी-2008 डब्ल्यूपीसी स्कंध की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

उपग्रह प्रणाली समन्वय

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के अंतरराष्ट्रीय रेडियो विनियमों (आरआर) के उपबंधों के अनुसार उपग्रह प्रणालियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित किया जाना अपेक्षित है। नेटवर्कों के हस्तक्षेप रहित प्रचालनों तथा इनके



पारस्परिक सह-अस्तित्व के लिए उपग्रह नेटवर्कों का अन्य देशों की सरकारों के उपग्रह नेटवर्कों के साथ फ्रीक्वेंसी आबंटनों का समन्वय आवश्यक है।

अन्य देशों की सरकारों के साथ उपग्रह समन्वय

अन्य सरकारों के साथ समन्वय : पाकिस्तान के पाकसैट-1 38(ई) और पाकसैट-1आर (38ई) सेटलाइट नेटवर्कों और संबंधित भारतीय सैटलाइट नेटवर्कों के बीच समन्वय करार राजनयिक चैनल के माध्यम से भेजे गए।

भारत के इनसैट-2 (93.5ई) सेटलाइट नेटवर्क और पाकिस्तान के पाकसैट-डीआर (88ई) और पाकसैट-ईआर (101ई) के बीच समन्वय करार की सूचना राजनयिक चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान सरकार को दी गई।

जापान के नैनो-जैसमिन, स्प्राइट-सैट और गैर जीएसओ एएस 20-1 सैटलाइट नेटवर्क के साथ भारतीय सेटलाइट नेटवर्कों के समन्वय की सूचना जापान सरकार को दी गई थी।

भारत के इनसैट-ई के 48आर सैटलाइट नेटवर्क के साथ तुर्की के तुर्कसैट-के 3(50ई) सैटलाइट नेटवर्क के समन्वय की सूचना तुर्की सरकार को दी गई थी।

भारत के इनसैट-ई के 48आर सैटलाइट नेटवर्क और पाकिस्तान के पाकसैट-2(41ई) सैटलाइट नेटवर्क के बीच समन्वय की सूचना राजनयिक चैनल के माध्यम से पाकिस्तान सरकार को दी गई।

93.5ई पर मलेशिया के एमईए सैट सैटलाइट नेटवर्क और 91.5ई पर इनसैट प्रणाली के बीच सी और के यू बैंड के लिए समन्वय पूरा हो गया है।

द्विपक्षीय उपग्रह समन्वय बैठकें

भारत सरकार और थाइलैंड सरकार के बीच दिनांक 20-23 जनवरी, 2009 के दौरान द्विपक्षीय उपग्रह समन्वय बैठक हुई। अनेक भारतीय सैटलाइट नेटवर्कों को समन्वित किया गया।

भारत सरकार और कजाकिस्तान सरकार के बीच दिनांक 27-30 जनवरी, 2009 के दौरान पहली द्विपक्षीय सैटलाइट समन्वय बैठक हुई। अनेक भारतीय सैटलाइट नेटवर्क को समन्वित किया गया।

आई टी यू के साथ समन्वय

अग्रणी-3 (98.5ई) उपग्रह नेटवर्क के संबंध में विस्तृत समन्वय अनुरोध आईटीयू को अंतरराष्ट्रीय सूचना परिपत्र ब्यूरो (बीआरआईएफआईसी) में प्रकाशन हेतु भेजी गई।

इनसैट-एनएवी-ए(34ई), एनएवी-ए (83ई), एनएवी-ए(132ई), एनएवी(131.5) के समन्वय संबंधी अनुरोध के लिए अतिरिक्त सूचना आईटीयू को भेजी गई।

इनसैट ईके-83, इनसैट-ईके 48, इनसैट-ईके-55 और इनसैट-ईके 55(आर), इनसैट -ईके 83आर (83ई) और इनसैट-ईके-48आर (48ई) सैटलाइट नेटवर्क की अधिसूचना संबंधी अतिरिक्त सूचना आई टी यू को भेजी गई।

टी डब्ल्यू सैट (एन-जीएसओ) सैटलाइट नेटवर्क से संबंधित अग्रिम प्रकाशन सूचना आई टी यू को बीआरआईएफआईसी में प्रकाशन हेतु भेजी गई।



इनसैट ईएक्ससी-40.5ई, 49ई और 59.1ई संबंधी अतिरिक्त सूचना, रेडियो विनियम के एपी-30 बी योजना के अंतर्गत इन उपग्रह नेटवर्कों की प्रोसेसिंग के लिए आईटीयू को भेजी गई।

ईएसएसईएल-1 (98.5ई) सेटेलाइट नेटवर्क के समन्वय संबंधी अनुरोध की अतिरिक्त सूचना आईटीयू को भेजी गई।

विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2007 की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में इनसैट - ईएक्ससी 40.5ई, 49ई और 59.1ई से संबंधित संशोधित तकनीकी पैरामीटर आईटीयू को भेजे गए। एपी 30बी योजना की सूची में मौजूदा सेटेलाइट नेटवर्कों की वैधता अवधि के विस्तार संबंधी सूचना भी आईटीयू को भेजी गई।

48ई, 55ई, 74ई, 83ई, 93.5ई और 111.5ई पर इनसैट-टीटीसी सेटेलाइट नेटवर्क हेतु अतिरिक्त कैरियर के लिए समन्वय संबंधी अनुरोध आईटीयू को भेजे गए।

74ई, 83ई, 93.5ई की जीएसओ अवस्थिति पर इनसैट के ए यूएचएफ से संबंधित समन्वय अनुरोध आईटीयू को बीआर आईएफआईसी में प्रकाशन हेतु भेजा गया।

ईएसएसईएल-2 (98.5ई) और इनसैट ईएक्सके (82.5ई) के मामले में रेडियो विनियम के परिशिष्ट 30बी के अंतर्गत आंकड़े अंतरराष्ट्रीय सूचना परिपत्र ब्यूरो (बीआरआईएफआईसी) में प्रकाशनार्थ आईटीयू को भेजे गए।

मेघाट्रोपिक्यूस से संबंधित अग्रिम प्रकाशन सूचना आई टी यू को भेजी गई।

इनसैट-टीटीसी (82ई) की अग्रिम प्रकाशन सूचना और समन्वय हेतु अनुरोध आईटीयू को भेजे गए।

अन्य देशों के उपग्रह नेटवर्क से भारतीय अंतरिक्ष, स्थलीय और रेडियो खगोल विज्ञान सेवाओं का संरक्षण

भारतीय उपग्रह नेटवर्कों के निर्बाध प्रचालन हेतु हमारी आबंटित फ्रीक्वेंसी तथा उपग्रह कक्षीय स्थिति की सुरक्षा के मद्देनजर आईटीयू द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक परिपत्रों (आईफआईसी) के विशेष खंडों की सतत आधार पर विस्तृत जांच की गई। रेडियो संचार ब्यूरो से प्राप्त अंतरिक्ष विषयक परिपत्रों की जांच कर ली गई है और भारतीय उपग्रह तथा स्थलीय नेटवर्कों की सुरक्षा के मद्देनजर विस्तृत समन्वय स्थापित करने के दृष्टिगत चीन, ईरान, बेलारूस, यू0के0, लक्समबर्ग, पाकिस्तान, यू0ए0ई0, हालैंड, फ्रांस, मलेशिया, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, तुर्की और कजाकस्तान, साइप्रस, यू0के0, कजाकस्तान, जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, कनाडा, पीएनजी, नार्वे, रूस, आस्ट्रेलिया, इजरायल की सरकारों को आपतियां भेजी गईं ।

निम्नलिखित भारतीय सेटेलाइट नेटवर्कों को अंतरराष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी सूचना परिपत्र (ब्रिफिक) के विशेष खंडों में प्रकाशित किया गया था :

इनसैट-एनएवी(34), इनसैट-एनएवी (83), इनसैट-एनएवी (132), इनसैट - एनएवी(जीएस), इनसैट-2एम (48ई), इनसैट - 2एम (74ई), इनसैट-2एम (83ई) और इनसैट-2एम (93.5ई) सेटेलाइट नेटवर्क की प्रगति रिपोर्ट।

इनसैट के यू55ई, इनसैट-एमएसएस-एनजी (83), इनसैट-एमएसएस-एनजी (93.5), इनसैट-एमएसएस-एनजी (111.5) और अग्रणी-3 (98.5), इनसैट-एमएसएस-एनजी (48ई), इनसैट-एमएसएस-एनजी (55ई), इनसैट-एमएसएस-एनजी (74ई), इनसैट के यू 113.5ई, - के यू 117.5 ई, - के यू 123.5ई, इनसैट - जी5 (48ई),-जी5 (55ई),-जी5 (74ई), -जी5(82ई), -जी5 (83ई),-जी5 (93.5ई),-जी5 (111.5ई) और टीडब्ल्यूसैट सेटेलाइट नेटवर्क से संबंधित अग्रिम प्रकाशन सूचना प्रकाशित की गई।



इनसैट-2ई (74), इनसैट-2ई (93.5), इनसैट-ईके 83आर, इनसैट-ईके 93.5आर, इनसैट ईके 93.5 (93.5ई), इनसैट-ईके (74ई) और इनसैट ईके - 55(आर) - की भाग-1 एस अधिसूचना।

मास्टर अंतरराष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी रजिस्टर (एमआईएफआर) में इनसैट-ईके 74आर, इनसैट-ईएक्ससी 55ई, इनसैट-2(48ई) का प्रवेश।

इनसैट - एनएवी 55 (55ई), ईएसएसईएल-1 (98.5ई), इनसैट-एमएसएस-एनजी (48), इनसैट-एमएसएस-एनजी (55), एनसैट-एमएसएस-एनजी (74) और इनसैट 2ई 93.5 सेटलाइट नेटवर्कों के संबंध में समन्वयन संबंधी अनुरोध।

बैठकें : भारतीय सेटलाइट नेटवर्क के समन्वय संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीय सेटलाइट प्रचालकों के साथ 14 बैठकें आयोजित की गईं।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और बैठकें

आईटीयू-आर अध्ययन समूहों से संबंधित राष्ट्रीय कार्यकारी समूह (एनडब्ल्यूजी) गठित किए गए और उन्हें डब्ल्यूपीसी वेबसाइट पर डाला गया है। ये राष्ट्रीय कार्यकारी समूह राष्ट्रीय विचारों को समाविष्ट करने और उन्हें आईटीयू-आर के विभिन्न मंचों पर प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए आईटीयू-आर संबंधी विभिन्न प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।

संयुक्त बेतार सलाहकार की अध्यक्षता में डब्ल्यूआरसी-11 के एजेंडे की विभिन्न मदों पर राष्ट्रीय विचारों को समाविष्ट करने के लिए डब्ल्यूआरसी-11 (एनपीसी-2011) के लिए एक राष्ट्रीय तैयारी संबंधी समिति का गठन किया गया। इसकी पहली बैठक 10 जून, 2008 को आयोजित की गई।

डब्ल्यूपीसी स्कंध के एक अधिकारी ने आईटीयू-आर टास्क समूह जेटीजी 5-6 की बैठक में भाग लिया।

डब्ल्यूपीसी स्कंध के एक अधिकारी ने आईटीयू-आर अध्ययन समूह 1 और इसके कार्यकारी दल की बैठक में भाग लिया।

डब्ल्यूपीसी स्कंध के एक अधिकारी ने विनियामक और प्रक्रियात्मक मामलों संबंधी विशेष समिति के कार्यकारी दल (एससी-डब्ल्यूपी) की बैठक में भाग लिया।

डब्ल्यूपीसी स्कंध के एक अधिकारी ने आईटीयू की विश्व रेडियो संचार संगोष्ठी में भाग लिया।

डब्ल्यूपीसी स्कंध के एक अधिकारी ने आईटीयू परिषद की 2008 सत्र की बैठक में भाग लिया।

भारत ने "टेलीविजन प्रसारण के लिए स्पेक्ट्रम संबंधी आवश्यकताओं" पर आईटीयू-आर के प्रश्न 105/6 का संशोधन आईटीयू-आर अध्ययन समूह 6 के विचारार्थ आईटीयू को प्रस्तुत किया।

भारत ने "एमडब्ल्यू और एसडब्ल्यू बैंडों में डिजिटल रेडियो मॉडियाल (डीआरएम) पर किए गए मापन के परिणामों" पर एक दस्तावेज़ आईटीयू-आर अध्ययन समूह 6 के विचारार्थ प्रस्तुत किया।

डब्ल्यूपीसी स्कंध के एक अधिकारी ने सूचना समाज संबंधी 6ठे भारत-यूरोप संयुक्त कार्यकारी समूह में भाग लिया।

विनियम

निम्नलिखित फ्रीक्वेंसी बैंडों को राजपत्रित अधिसूचनाओं के माध्यम से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और उन्हें लाइसेंस मुक्त निःशुल्क बैंड घोषित कर दिया गया है। इससे हमारे देश के लोगों को चिकित्सा उद्योग, तेल, बिजली, भूतल परिवहन उद्योग, वाहन उद्योग, वायु मोबाइल उद्योग और अन्य उद्योगों के क्षेत्र में बहुत लाभ पहुंचेगा।



दिनांक 10.2.2009 के जीएसआर सं0 90 (ई) के तहत अति अल्प विद्युत शक्ति रेडियो फ्रीक्वेंसी उपकरण, अथवा उपस्कर, जिनमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन उपकरण (आरएफआईडी) शामिल है, के लिए 50-200 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड का प्रयोग।

दिनांक 23.09.2008 के जीएसआर सं0 673 (ई) के तहत अति अल्प विद्युत शक्ति वाला रिमोट कार्डियक मॉनीटरिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी बेतार मेडिकल उपकरण, मेडिकल इंप्लांट संचार प्रणाली (एमआईसीएस) अथवा मेडिकल इंप्लांट टेलीमेट्री प्रणाली (एमआईटीएस), और ऐसे अन्य अल्प विद्युत शक्ति वाले मेडिकल उपकरणों अथवा उपस्करों के लिए 402-405 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड का प्रयोग।

दिनांक 30.7.2008 के जीएसआर सं0 564(ई) के तहत अति अल्प विद्युत शक्ति रेडियो फ्रीक्वेंसी उपकरण, अथवा उपस्कर, जिनमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन उपकरण (आरएफआईडी) शामिल है, के लिए 865-867 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड का प्रयोग।

उपस्कर श्रेणी अनुमोदन प्रमाण-पत्र (सभी लाइसेंसमुक्त फ्रीक्वेंसी बैंडों में - लाइसेंस फ्री बैंड) को पांच (5) क्षेत्रीय लाइसेंसिंग कार्यालयों (आरएलओ) नामतः दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता और शिलांग में विकेंद्रीकृत कर दिया गया है ताकि क्षेत्रीय स्तर पर हमारे देश के अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।

सेटलाइट संचार प्रणाली आधारित सैटकॉम उपस्कर को हवाई जहाजों में भी प्रयोग करने की अनुमति देना जिससे हवाई मोबाइल उद्योग को लाभ मिलेगा ।

स्पेक्ट्रम प्रबंधन का स्वचालन और अनुश्रवण प्रणाली का संवर्धन

"राष्ट्रीय रेडियो स्पेक्ट्रम प्रबंधन और अनुश्रवण प्रणाली (एनआरएसएमएमएस)" परियोजना की डिजाइन, आपूर्ति, संस्थापना और उसे चालू करने के कार्य को डब्ल्यूपीसी विंग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । परियोजना के अधीन, स्पेक्ट्रम प्रबंधन और अनुश्रवण कार्यों को स्वचालित किया जाएगा ताकि इन गतिविधियों को और अधिक प्रभावी और कार्यकुशल बनाया जा सके। एनआरएसएमएमएस के दो अंतरसंबंधित घटक हैं - "स्वचालित स्पेक्ट्रम प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस)" और "राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम अनुश्रवण प्रणाली (एनएसएमएस)" । एसएमएस पूरा हो गया है और प्रचालन में है।

परियोजनाधीन 24 निर्धारित स्थलों (बेतार अनुश्रवण स्टेशन इत्यादि) में से 20 पूरे हो गए हैं और स्वीकार कर लिए गए हैं। सभी 21वी/यूएचएफ मोबाइल अनुश्रवण प्रणाली (एमएमएस) व्हीकलों को आईएमएस दिल्ली कैंपस के स्वीकृति परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात संबंधित स्थलों को सुपुर्द कर दिया गया था और वे प्रचालन में हैं। राष्ट्रीय रेडियो स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट और अनुश्रवण प्रणाली (एनआरएसएमएमएस) की अंतिम स्वीकृति के लिए प्रचालनात्मक स्वीकृति परीक्षण पूरा हो गया है। परियोजना का स्थिर और वी/यूएचएफ भाग पूरा हो गया है और बंद कर दिया गया है। एनआरएसएमएमएस की दोष दायित्व संबंधी अवधि 15 अक्टूबर, 2008 से प्रारंभ हुई है।

जैसाकि परियोजना 15 अक्टूबर, 2008 को पूरी हो चुकी है और एनआरएसएमएमएस प्रणाली की दोष दायित्व संबंधी अवधि चल रही है जो 14 अक्टूबर, 2009 तक पूरी की जानी है । दोष दायित्व की अवधि के दौरान एनआरएसएमएमएस प्रणाली का अनुश्रवण निष्पादित किया जाना है।

बाकी बिलों पर आवश्यक कार्रवाई करके शेष भुगतान के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। दोष दायित्व अवधि के दौरान एनआरएसएमएमएस के विभिन्न मुद्दों पर संविदाकारों के साथ विचार किया जा रहा है।



रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रबंधन, नई फ्रीक्वेंसी आबंटन/जारी किए गए लाइसेंस इत्यादि के संबंध में 2008-09 के दौरान उपलब्धियां निम्नलिखित थी :

विवरण	2008-09
1.1 रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रबंधन	
विभिन्न प्रयोक्ताओं को प्राधिकृत की गई नई रेडियो फ्रीक्वेंसी	184173
आयोजित अंतर्विभागीय बैठकें	11
नए बेतार केंद्रों हेतु स्वीकृत स्थल	334732
1.1 जारी किए गए बेतार लाइसेंस	
जारी किए गए आयात लाइसेंसों की सं०	2499
नए बेतार केंद्रों को जारी किए गए लाइसेंसों की सं०	36283
नवीकृत लाइसेंसों (बेतार केंद्रों हेतु) की सं०	20067
1.1 प्रवीणता प्रमाण-पत्र (सीओपी) परीक्षा/लाइसेंस	
आयोजित प्रवीणता प्रमाण-पत्र परीक्षाओं की सं०	54
दाखिल किए गए उम्मीदवारों की सं०	17002
जारी किये गए लाइसेंसों की सं०	6881
नवीकृत लाइसेंसों की सं०	3520
नए रेडियो एमेच्योर केंद्रों को जारी लाइसेंसों की सं०	235
पुराने रेडियो एमेच्योर केंद्रों हेतु नवीकृत लाइसेंसों की सं०	960

बेतार अनुश्रवण संगठन

2008-09 के दौरान वास्तविक उपलब्धियां

बेतार अनुश्रवण संगठन ने प्रभावी तथा कुशल रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रबंधन और रेडियो विनियामक पहलुओं के लिए बेतार अनुश्रवण प्रेक्षकों के आधार पर तकनीकी तथा संबद्ध डाटा प्रदान करना जारी रखा।

बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने 600-800 मेगाहर्ट्ज बैंड में विशेष वसूली अभियान चलाया। डब्ल्यूएमओ के 21 बेतार अनुश्रवण स्टेशनों के नेटवर्क द्वारा देश-व्यापी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप 600-800 मेगाहर्ट्ज बैंड की समूची फ्रीक्वेंसी का व्यवहारिक रूप से सफलतापूर्वक लक्ष्य प्राप्त किया।

कुछ व्यवधान संबंधी शिकायतों की रिपोर्ट निजी प्रचालकों द्वारा अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, अमृतसर, कोलकाता और



दिल्ली में सीडीएमए नेटवर्कों को की गई थी। डब्ल्यूएमओ ने सीडीएमए नेटवर्कों की अधिकांश शिकायतों को सफलतापूर्वक निपटाया और उपचारात्मक कार्रवाई की।

डब्ल्यूएमओ फिलहाल दूरसंचार विभाग के "3जी और बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम की नीलामी-सूचना ज्ञापन" विषयक दस्तावेज़ में 3जी सेवाओं के लिए पहचाने गए फ्रीक्वेंसी बैंडों के प्रयोग की वास्तविक स्थिति निर्धारित करने के लिए सभी संसाधनों का प्रयोग कर रहा है। डब्ल्यूएमओ साथ ही साथ 2.3-2.4 गीगाहर्ट्ज और 2.5-2.69 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंडों की वास्तविक स्थिति निर्धारित करने के लिए भी कार्य कर रहा है, ये दोनों बैंड दूरसंचार विभाग के "3जी और बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम की नीलामी-सूचना ज्ञापन" विषयक दस्तावेज़ में भी पहचाने गए हैं।

डब्ल्यूएमओ 11 वीं पंचवर्षीय योजना में दो स्कीमों "माइक्रोवेव अनुश्रवण टर्मिनलों का संवर्द्धन/उन्नयन" और "बेतार अनुश्रवण सुविधाओं का संवर्द्धन / उन्नयन" के तहत अपनी रेडियो अनुश्रवण सुविधाओं का संवर्द्धन करने के लिए 20 "एसएचएफ माइक्रोवेव अनुश्रवण टर्मिनल (एमडब्ल्यूटी)" और अन्य अनुश्रवण संबंधी उत्पादों के प्रापण का इच्छुक है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में, डब्ल्यूएमओ ने एसएचएफ मोबाइल अनुश्रवण टर्मिनलों की 4 श्रेणियों का डिजाइन/वास्तु विकसित किया है। डब्ल्यूएमओ द्वारा ही एकीकृत किए जाने वाले इन टर्मिनलों के विकास का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए शीघ्र ही दूरसंचार आयोग को भेजा जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूएमओ को एसएचएफ टर्मिनल को डिजाइन करने की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि देश में मौजूदा और भावी रेडियो संचार वातावरण में अनुश्रवण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक उत्पाद उपलब्ध नहीं थे।

40 गीगाहर्ट्ज तक की मॉनीटरिंग क्षमता वाला एक विशेषज्ञता प्राप्त मोबाइल मॉनीटरिंग टर्मिनल कार्य कर रहा है। स्थलीय केंद्रों से होने वाले विशेष पारेषणों की निगरानी करना ही इसका प्राथमिक उद्देश्य है।

कुछ अनुश्रवण केन्द्रों पर एचएफ फ्रीक्वेंसी बैंड में रेडियो पारेषणों की दिशा के निर्धारण के लिए स्थिर दिशा बोधन प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है।

जालना(महाराष्ट्र) में उपग्रह अनुश्रवण भू-केन्द्र, भारतीय परिधि में स्थित उपग्रहों से मिलने वाले सिगनलों की मॉनीटरिंग कर रहा है।

बेतार अनुश्रवण केन्द्र (डब्ल्यू.एम.ओ.) ने विश्व बैंक की सहायता से दूरसंचार सुधार परियोजना के माध्यम से रेडियो स्पैक्ट्रम मॉनीटरिंग क्षमताओं के व्यापक आधुनिकीकरण का कार्य कर लिया है। इसके तहत निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :-

- अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, दिल्ली, चेन्नै, गोरखपुर, नागपुर, मुम्बई, शिलांग और त्रिवेन्द्रम में परियोजना के अन्तर्गत अनुश्रवण सुविधाओं के संवर्द्धन के लिए एंटीना टावरों को स्थापित किया गया है।
- बेतार अनुश्रवण संगठन मुख्यालय (एमएचक्यू), पुष्प भवन, नई दिल्ली में 30 कार्यकेन्द्रों से बने एलएएन (स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क) की संस्थापना का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी बेतार अनुश्रवण केन्द्रों में एलएएन वायरिंग आदि का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- परियोजना के तहत बी/यूएचएफ अनुश्रवण प्रणालियों से बने 20 मोबाइल अनुश्रवण व्हीकल (एमएमएस) प्रेषित कर दिए गए हैं और संबंधित बेतार अनुश्रवण केंद्रों पर पहले से ही प्रचालनरत हैं।



वर्ष 2008-09 के दौरान सांख्यिकीय निष्पादन संबंधी आंकड़े

क्रम सं०	विवरण	2008-09 के दौरान वास्तविक उपलब्धियां
क	रेडियो अनुश्रवण के लिए प्रयुक्त चैनल दिवस	7814
ख	किए गए अनुश्रवण कार्य	13280
ग	रेडियो नॉयज मापकों की संख्या	915040
घ	उन वायरलेस पारेषणों की संख्या जिनकी निगरानी की गई	140909
ङ	सुधारात्मक कार्रवाई हेतु विभिन्न बेतार प्रयोक्ताओं को संप्रेषित अतिलंघन	5827
च	विशिष्ट मानदंडों के भीतर अपना प्रचालन बनाए रखने के लिए प्रयोक्ताओं को तकनीकी सहायता	1000
छ	निरीक्षण किए गए बेतार केंद्रों की सं०	3644
ज	प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	132
झ	आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या	10

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 2 दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र

प्रस्तावना

दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र, दूरसंचार विभाग का एक तकनीकी स्कंध है। अन्य बातों के साथ-साथ इसके निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं :-

- भारतीय दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के प्रचालकों हेतु मानक और विनिर्देशन तैयार करना।
- उपस्कर और सेवाओं का मूल्यांकन करना।
- उपस्कर, प्रौद्योगिकी और सेवाओं हेतु अनुमोदन देना।
- नई प्रौद्योगिकी और सेवाओं का अध्ययन करना तथा भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में सेवाओं को लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग को तकनीकी परामर्श प्रदान करना।
- दूरसंचार विभाग को तकनीकी और परामर्शी सहायता प्रदान करना।
- दूरसंचार विभाग के अनुरोध पर ट्राई, टीडीएसएटी, यूएसओएफ, बीएसएनएल और एमटीएनएल को तकनीकी सलाह देना।
- दूरसंचार विभाग की मूलभूत तकनीकी योजनाएं तैयार करना।
- दूरसंचार विभाग के माध्यम से एपीटी, ईटीएसआई और आईटीयू आदि जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से संवाद करना।
- एमआरए के लक्ष्यों का विस्तार करने के लिए सुविधाओं का सृजन।
- आर एण्ड डी के परिणामों और अद्यतन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए आवश्यक दक्षता विकसित करना।
- दूरसंचार विभाग स्तर पर नीति नियोजन हेतु, दूरसंचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय विकासों पर ब्यौरे प्रदान करने के लिए सी-डॉट के साथ समन्वय बनाना।

वर्ष 2008-09 के दौरान उपलब्धियां

जारी किए गए नए जीआर/आईआर	30
संशोधित जीआर/आईआर	42
परिशोधित जीआर/आईआर	9
जारी किए गए श्वेत पत्र	18
तैयार की गई परीक्षण अनुसूचियां/प्रक्रियाएं	72

- अनुमोदन प्रदान करने संबंधी कार्यकलापों के भाग के रूप में, बीएसएनएल/एमटीएनएल नेटवर्क के साथ इंटरफेसिंग हेतु उत्पादों के लिए 186 इंटरफेस अनुमोदन जारी किए गए तथा नपिजी प्रचालकों के नेटवर्क कवरेज के लिए 87 अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी किए गए।



अधिकारियों को दूरसंचार क्षेत्रों की नयी प्रौद्योगिकियों के बारे में अवगत कराने हेतु :

- (क) जेनेवा में आयोजित एनजीएन-जीएसआई इवेंट की बैठक तथा इस बैठक में भाग लेने हेतु 3 अधिकारी नामित किया गया।
- (ख) 5 अधिकारियों ने भारत से बाहर एपीटी की विभिन्न बैठकों एवं प्रशिक्षणों में भाग लिया।
- (ग) टीईसी के 15 अधिकारियों को भारत के विभिन्न दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्रों में विभिन्न सेवाकालीन पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया।
- दूरसंचार विभाग ने अगली पीढ़ी का नेटवर्क(एनजीएन) लैब की स्थापना हेतु जनवरी, 2009 में एसएफसी को अनुमोदित कर दिया। "रूचि की अभिव्यक्ति" की मांग जनवरी, 2009 में की गई तथा 12 पार्टियों का चयन किया गया। एनजीएन चरण-। लैब संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए सिविल एवं वैद्युत कार्य प्रगति पर है तथा एनजीएन लैब को चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान चरणबद्ध रूप से चालू कर दिया जाएगा।
 - एनजीएन लैब परियोजना के तहत भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक करोड़ ₹ की राशि खर्च की जानी थी। टीईसी ने इस परियोजना का क्रियान्वयन सिक्किम राज्य में तीन वीएसएटी की संस्थापना करके आरंभ कर दिया है। सिक्किम में 17, मेघालय में 20, मणिपुर में 9 तथा टीईसी में संस्थापना हेतु शेष बचे 1 वीएसएटी की संस्थापना 2009 की प्रथम तिमाही में हो जाएगी।
 - भारत में दूरसंचार उत्पादों के अनिवार्य परीक्षण प्रमाणन से संबद्ध कार्य हेतु, चार दस्तावेजों नामतः "नेटवर्क अनुरूपता मानक - प्रणाली एवं प्रक्रिया" "घरेलू लैब के नामोदिष्टकरण की योजना" विदेशी लैबों के अभिज्ञान की योजना, "अनिवार्य परीक्षण के क्रियान्वयन की रूपरेखा" तैयार की गई।
 - दूरसंचार आयोग ने ईएमएफ प्रभावन को सीमित करने हेतु बुनियादी प्रतिबंध एवं संदर्भ लेवलों के संबंध में भारत के दूरसंचार क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गैर-आयनीकरण विकरण संरक्षण आयोग (आईसीएनआईआरपी) के दिशा-निर्देशों को अपनाने हेतु दिशा-निर्देशों को अनुमोदित किया।
 - विभिन्न विक्रेताओं से परीक्षण शुल्क एवं दस्तावेजों की बिक्री से वर्ष 2007-08 में 6.01 करोड़ ₹ तथा वर्ष 2008-09 के लिए 2.55 करोड़ (लगभग) ₹ की राशि का राजस्व एकत्रित हुआ।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 3 सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

संगठनात्मक ढांचा

संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के अध्यक्ष प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि हैं, जिन्हें निधि की देखरेख के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रशासक, यूएसओएफ को यूएसओ निधि स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं का निर्माण करने तथा यूएसओएफ से निधियों का संवितरण करने का अधिकार प्राप्त है। इनका कार्यालय दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के सृजन/प्रशासन के लिए तार अधिनियम में संशोधन

सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति 01.04.2002 से शुरू हुई। सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति के दिशानिर्देश दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए और दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर 27 मार्च, 2002 को डाले गए। तत्पश्चात भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 में संशोधन हुआ जिसके द्वारा यूएसओ निधि को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सभी प्रकार की तार सेवाओं के प्रावधान के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 का संशोधन करके 30.10.2006 को भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2006 के रूप में एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। तत्पश्चात 29.12.2006 को भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2006 पारित किया गया।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को प्रशासित करने के लिए नियमावली

निधि को प्रशासित करने के लिए नियमावली को शुरूआत में 26.03.2004 को अधिसूचित कर दिया गया था, इसे भारतीय तार (संशोधन) नियमावली कहा जाता है। तत्पश्चात देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं और ब्रॉडबैंड संयोजकता को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय तार (संशोधन) नियमावली, 2006 के रूप में नियमावली में संशोधन करके 17.11.2006 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों के प्रचालन को बनाए रखने के लिए पात्र प्रचालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु 18.7.2008 को नियमावली को फिर से भारतीय तार (संशोधन) नियमावली, 2008 के रूप में संशोधित किया गया।

यूएसओ निधि के लिए संसाधन

सार्वभौमिक सेवा दायित्व के कार्यान्वयन के लिए संसाधन, सार्वभौमिक सेवा शुल्क द्वारा जुटाए जाते हैं, जो इंटरनेट, वायस मेल, ई-मेल सेवा प्रदाताओं जैसे विशुद्ध मूल्यवर्धित सेवा प्रदाताओं को छोड़कर, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व का 5% है। बेसिक टेलीफोन सेवा/एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण फीक्सड वायर-लाइन सेवाओं के लिए देय वार्षिक लाइसेंस शुल्क को 01.10.2008 से समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार भी अनुदान और ऋण प्रदान कर सकती है। वित्तीय वर्ष के अंत में निधि में जमा शेष व्यपगत नहीं होगा। निधि में जमा संसदीय अनुमोदनों के माध्यम से किया जाएगा।



➤ कार्यकलाप और उद्देश्य

यूएसओ निधि की स्थापना का मूल उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहनीय और उचित दरों पर 'बुनियादी' तार सेवाएं प्रदान करना है। तत्पश्चात मोबाइल सेवा, ब्रॉडबैंड संयोजकता सहित सभी प्रकार की तार सेवाओं और ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अवसंरचना के सृजन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया है। नियमावली के अनुसार, निधि द्वारा निम्नलिखित सेवाओं के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, अर्थात :-

स्ट्रीम-I:- सार्वजनिक दूरसंचार और सूचना सेवाएं प्रदान करना:

- (क) 1991 की जनगणना के अनुसार चिन्हित राजस्व गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन का प्रचालन और अनुसंधान तथा 2001 की जनगणना के अनुसार अतिरिक्त राजस्व गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन का संस्थापन।
- (ख) प्रत्येक राजस्व गांव में एक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद सामुदायिक फोनो का प्रावधान।
- (ग) 1 अप्रैल, 2002 से पूर्व संस्थापित मल्टी एक्सेस रेडियो रिले प्रौद्योगिकी पर कार्यरत ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन का प्रतिस्थापन।

स्ट्रीम-II:- समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथा-निर्धारित ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में घरेलू टेलीफोन प्रदान करना।

स्ट्रीम-III:- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने हेतु अवसंरचना का सृजन।

स्ट्रीम-IV:- चरणबद्ध रूप में गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।

स्ट्रीम-V:- दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सामान्य अवसंरचना का सृजन करना।

स्ट्रीम-VI:- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेक्टर में नई प्रौद्योगिकी प्रणालियों का प्रवेश।

पूर्वोक्त भारतीय तार (संशोधन) नियमावली के अनुसार यूएसओ से संबंधित कार्यकलापों का क्रियान्वयन" पात्र प्रचालकों द्वारा किया जाता है जिसमें बुनियादी सेवा प्रचालक, सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता, एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारी, अवसंरचना प्रदाता(आईपी-1) और इंटरनेट सेवा प्रदाता शामिल हैं। ये दूरसंचार सेवा प्रदाता सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों के हैं। यूएसओ द्वारा किए जा रहे क्रिया कलापों की कार्यान्वयन स्थिति दूरसंचार विभाग की वेबसाइट (www.dot.gov.in) पर उपलब्ध है।

➤ वर्तमान स्थिति: चालू यूएसएफ स्कीमें

स्ट्रीम-I:- सार्वजनिक अभिगम

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

मौजूदा वीपीटी के लिए ओपक्स

1991 की जनगणना के अनुसार देश में चिन्हित राजस्व गांवों में मौजूदा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनो के प्रचालन और



अनुक्षण के लिए मार्च, 2003 में मैसर्स बीएसएनएल और छह निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 2001 की जनगणना के अनुसार अतिरिक्त राजस्व गांवों में संस्थापित वीपीटी के लिए आर्थिक सहायता भी स्वीकार्य है। 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार लगभग 5,58,007 गांव अर्थात् 2001 की जनगणना के अनुसार आबाद राजस्व गांवों का 94% पहले ही नीचे पैरा (ii) और (iii) के अंतर्गत वीपीटी सहित, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधायुक्त हो चुके हैं।

भारत निर्माण के अंतर्गत वीपीटी सुविधारहित गांव

देश में 100 से कम जनसंख्या वाले गांवों, घने वन क्षेत्रों में स्थित और उग्रवाद से प्रभावित गांवों को छोड़कर 66822 सुविधारहित गांवों में वीपीटी प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराने हेतु नवम्बर, 2004 में मैसर्स बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर हुए थे। इन गांवों में वीपीटी प्रदान करने के कार्य को भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार 57181 वीपीटी प्रदान किए गए हैं। शेष गांवों में चरणबद्ध रूप से नवंबर, 2009 तक वीपीटी प्रदान किए जाने की सम्भावना है।

नए चिन्हित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

2001 की जनगणना के अनुसार आबादी वाले गांवों में कार्यरत वीपीटी का हाल ही में चिन्हित मौजूदा वीपीटी और भारत निर्माण के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए वीपीटी को ध्यान में रखकर सामंजस्य किया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार शेष सभी 62443 आबादी वाले गांवों को जनसंख्या, दूरस्थता, पहुंच और कानून तथा व्यवस्था के मानदंडों को ध्यान में न रखते हुए, इस स्कीम के अंतर्गत यूएसओ निधि से आर्थिक सहायता प्रदान कर वीपीटी उपलब्ध कराने के लिए शामिल किया गया है। इस संबंध में हाल ही में, 27.02.2009 को बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। करार की शर्तों के अनुसार 01.10.2007 से 26.02.2009 की अवधि के दौरान संस्थापित वीपीटी भी आर्थिक सहायता के पात्र हैं। इस करार के अंतर्गत, 31.03.2009 तक 29211 वीपीटी उपलब्ध कराए जा चुके हैं। शेष वीपीटी चरणबद्ध रूप में फरवरी, 2011 तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

एमएआरआर आधारित वीपीटी को बदलना (एमएआरआर-क और एमएआरआर-ख)

185121 वीपीटी को विश्वसनीय प्रौद्योगिकी द्वारा बदलने के लिए मैसर्स बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए, पहले ये फोन मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहे थे और 01.04.2002 से पहले संस्थापित हुए थे। इसमें 30.6.2003 (एमएआरआर-ख) से पहले बदले जा चुके 47075 एमएआरआर वीपीटी और 01.7.2003 के बाद से (एमएआरआर-क) बदले जाने वाले 138046 एमएआरआर वीपीटी शामिल हैं। 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार कुल 1,83,865 एमएआरआर वीपीटी बदले जा चुके हैं। शेष एमएआरआर वीपीटी को जून, 2009 तक बदले जाने की संभावना है।

ग्रामीण सामुदायिक फोन का प्रावधान

देश में 2000 से अधिक आबादी और पीसीओ सुविधा रहित गांवों में 40,705 ग्रामीण सामुदायिक फोन [बीएसएनएल: 21,958, आरआईएल: 18,747] प्रदान करने के लिए 30.9.2004 को करार पर हस्ताक्षर हुए थे। इनमें से, नीचे दिए गए ब्योरा अनुसार, मार्च 2009 तक 40689 आरसीपी प्रदान कर दिए गए हैं। शेष आरसीपी मई, 2009 तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।



सेवा प्रदाता	लक्ष्य	उपलब्धि
बीएसएनएल	21958	21958
आरसीएल	18747	18731
कुल	40705	40689

स्ट्रीम-II:- वैयक्तिक अभिगम

01.04.2002 (आरडीईएल-घ) से पहले संस्थापित आरडीईएल के लिए आर्थिक सहायता

ट्राई द्वारा विहित किराए और सेवा प्रदाता द्वारा वसूले गए किराए के बीच के अंतर को देखते हुए 01.04.2002 से पहले संस्थापित लगभग 90.5 लाख ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों को सहायता प्रदान की गई है। यह सहायता 01.04.2002 से 31.1.2004 तक की सीमित अवधि के लिए है।

01.04.2005 के बाद संस्थापित ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों (आरडीईएल-क और आरडीईएल-एक्स) के लिए आर्थिक सहायता

01.04.2005 से 31.3.2007 (आरडीईएल-क) की अवधि के दौरान ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों की संस्थापना के लिए मार्च, 2005 में मैसर्स बीएसएनएल, मैसर्स आरआईएल, मैसर्स टीटीएल और मैसर्स टीटीएल(एमएच) के साथ करारों पर हस्ताक्षर हुए थे। ये आरडीईएल 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में, जहां टेलीफोन प्रदान करने की लागत अर्जित राजस्व से अधिक है, में संस्थापित किए जाने थे। तत्पश्चात, आरडीईएल संस्थापित करने की अंतिम तिथि को 31.3.2010 तक बढ़ा दिया गया है (आरडीईएल-एक्स). 31.03.2009 तक की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत यूएसओ निधि की आर्थिक सहायता से लगभग 63 लाख ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें उपलब्ध कराई गई हैं जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है:

सेवा प्रदाता	एसडीसीए की संख्या	आरडीईएल की कुल सं.
बीएसएनएल	1267	2019069
आरसीएल	203	1782393
टीटीएसएल	172	1800033
टीटीएमएच	43	710962
कुल	1685	6312457

01.04.2002 और 31.3.2005 की अवधि के दौरान संस्थापित आरडीईएल के लिए सहायता (आरडीईएल-ख)

01.04.2002 और 31.3.2005 की अवधि के दौरान पात्र एसडीसीए में संस्थापित लगभग 18,65,690 ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों [बीएसएनएल: 18,26,923, आरआईएल: 38,767] को समान प्रतिनिधि दरों पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस संबंध में, मार्च, 2005 और अगस्त, 2005 में मैसर्स बीएसएनएल और मैसर्स आरआईएल के साथ करारों पर हस्ताक्षर हुए थे।



01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों के प्रचालन को बनाए रखने के लिए सहायता

बीएसएनएल के साथ 12.03.2009 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसमें एडीसी के हट जाने के बदले 01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों के प्रचालन को बनाए रखने के लिए यूएसओ निधि द्वारा बीएसएनएल को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 2000 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

स्ट्रीम-III:- मोबाइल सेवाएं

साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम (चरण-I)

ऐसे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र जहां मौजूदा फीक्सड वायरलेस और मोबाइल कवरेज नहीं हैं, में मोबाइल सेवाएं प्रदान के प्रयोजन से, 27 राज्यों के 500 जिलों में 7871 अवसंरचना स्थलों (टॉवरों) को संस्थापित करने तथा उनका संचालन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यूएसओ निधि द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है। करार की शर्तों के अनुसार वास्तविक फील्ड सर्वेक्षण और प्राप्त सुविधा के आधार पर टॉवरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए, इस प्रकार सृजित अवसंरचना का उपयोग तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा साझा रूप से किया जाएगा। 01.06.2007 से प्रभावी इस करार को मई, 2007 में सफल बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षरित किया गया है। 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत 4755 टॉवर स्थापित की गई हैं। इस स्कीम के अंतर्गत ज्यादातर टॉवरों के चरणबद्ध रूप में जून, 2009 तक शुरू होने की संभावना है।

सफल बोलीदाताओं द्वारा शुरू की गई टॉवरों की संख्या (भाग-क)

क्र. सं.	बोलीदाता का नाम	स्थापित की जाने वाली टॉवरों की संख्या	टॉवरों की संशोधित संख्या	शुरू की गई टॉवरों संख्या
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	6175	5845	3280
2.	जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	421	412	391
3.	वोडाफोन एस्सार सेल्युलर लि.	123	93	93
4.	वोडाफोन एस्सार साउथ लि.	208	216	215
5.	नेशनल इंफोर्मेन टेक्नोलॉजी लि. (अब केईसी)	384	378	318
6.	क्यूपो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	88	88	88
7.	रिलायंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	472	408	370
	कुल	7871	7440	4755



इस प्रकार सृजित अवसंरचना का उपयोग करने के लिए, 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार विभिन्न सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं द्वारा 4919 बीटीएस शुरू किए गए हैं और निम्न ब्योरा के अनुसार मोबाइल सेवाएं शुरू कर दी गई हैं:

सफल बोलीदाताओं द्वारा शुरू की गई मोबाइल सेवाओं की संख्या (भाग-ख)

सार्वभौमिक सेवा प्रदाता	क्लस्ट्रों की संख्या	करार के अनुसार मोबाइल सेवा साइटों की संख्या	साइटों की वास्तविक संख्या	शुरू हुए बीटीएस की कुल सं.
भारती (बीएएल)	10	963	887	135
भारती (बीएचएल)	3	294	289	171
बीएसएनएल	59	5755	5386	1465
डिश्नेट (एयरसेल)	3	293	247	160
डिश्नेट (डिश्नेट)	16	1515	1405	175
आइडिया (बीटीए)	12	1244	1198	331
आइडिया (आईसीएल)	12	1280	1234	525
आइडिया (आईएमसीएल)	3	207	211	170
रिलायंस (आरसीएल)	53	5118	4795	472
रिलायंस (आरटीएल)	40	3864	3724	345
वोडाफोन (एडीआईएल)	7	733	714	148
वोडाफोन (वीईसीएल)	10	988	951	176
वोडाफोन (वीईएसएल)	14	1293	1217	591
फास्कल (वीईजीएल)	1	66	62	55
कुल	243	23613	22320	4919

स्ट्रीम-IV:- ग्रामीण स्तर तक वायर लाइन ब्रॉडबैंड संयोजकता के प्रावधान के विस्तार के लिए ग्रामीण ब्रॉडबैंड स्कीम

मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंज अवसंरचना और कॉपर वायरलाइन नेटवर्क का उपयोग कर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वायर लाइन ब्रॉडबैंड संयोजकता उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सेवा प्रदाताओं को ब्रॉडबैंड अवसंरचना सृजित करने के लिए सुविधाएं प्रदान कर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को ब्रॉडबैंड सुविधायुक्त करना है। फीक्सड मोड में डाटा, वायस और वीडियो सेवा सुपुर्द करने की क्षमता सहित प्रत्येक ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध होने पर, कम-से-कम 512 केबीपीएस की गति प्रदान करेगा। ग्रामीण ब्रॉडबैंड संयोजकता, संस्थागत प्रयोक्ताओं जैसे सूचना प्रौद्योगिकी



विभाग द्वारा स्थापित साझा सेवा केन्द्र (सीएससी), ग्राम पंचायत, उच्चतर माध्यमिक स्कूल और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ गांवों में स्थित एकल प्रयोक्ताओं को सुविधा प्रदान करेगी।

20.01.2009 को बीएसएनएल के साथ एक करार किया गया है जिसके अन्तर्गत 5 वर्ष की अवधि के अंदर अर्थात् 2014 तक इस स्कीम के तहत एकल प्रयोक्ताओं तथा सरकारी संस्थानों को 8,61,459 ब्रॉडबैंड कनेक्शन तथा 27789 कियोस्क उपलब्ध कराए जाने हैं। यह आर्थिक सहायता (i) ब्रॉडबैंड संयोजन, ग्राहक परिसर उपस्कर (सीपीई), कम्प्यूटर/ कम्प्यूटिंग उपकरण और (ii) ब्रॉडबैंड सेवा के लिए सार्वजनिक अभिगम्यता के लिए कियोस्कों की स्थापना। 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल द्वारा इस स्कीम के तहत 2291 ब्रॉडबैंड कनेक्शन और 3 कियोस्क प्रदान किए गए हैं।

दूरसंचार विभाग से ब्रॉडबैंड सेवा प्रचालन (बीएसओ)/एकीकृत अभिगम सेवा के लिए वैध लाइसेंसयुक्त सेवा प्रदाता भी इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र थे और उनकी अभिरुचि की अभिव्यक्तियां (ईओआई) विचाराधीन हैं।

➤ योजनागत यूएसएफ स्कीमें

स्ट्रीम-III:- साझा मोबाइल अवसरचना स्कीम (चरण-II)

देश में कवर न किए गए अन्य क्षेत्रों को मोबाइल सेवाओं के माध्यम से कवर किए जाने का विचार है। जिसके लिए अतिरिक्त टावरों की पहचान की जा रही है। साझा मोबाइल अवसरचना संबंधी स्कीम के दूसरे चरण के अंतर्गत लगभग 10128 टावर स्थापित करने का विचार है, जिसे शीघ्र ही आरंभ किए जाने की आशा है। इस स्कीम के अंतर्गत टावर स्थापित करने के लिए ऐसे गांवों या गांवों के समूहों को ध्यान में रखा गया है जिनकी जनसंख्या 500 या अधिक है और जो मोबाइल कवरेज रहित हैं।

स्ट्रीम-IV:- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बोनस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

लगभग 5 लाख गांवों में बेतार ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का भी विचार है। विभिन्न प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों से उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने और सुनिश्चित करने के संबंध में समन्वय किया जा रहा है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम की उपलब्धता और आवंटन की प्रक्रिया सहित इस विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई है। इस स्कीम को सरकार द्वारा बीडब्ल्यूए और 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी पर अपने दृष्टिकोण की घोषणा के पश्चात आरंभ किया जाएगा।

स्ट्रीम-V:- ग्रामीण क्षेत्रों में ओएफसी जैसी सामान्य अवसरचना का सृजन

यूएसओएफ ने वायस और डाटा परियात को अभिगम नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने मुख्य नेटवर्क पर समाकलित करने के लिए पर्याप्त बैक-हॉल क्षमता प्रदान करने के मद्देनजर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ओएफसी नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए पहल की है। इस स्कीम के आरंभ में जिला मुख्यालय और ब्लाक मुख्यालय के बीच ओएफसी नेटवर्क बिछाने का विचार है। इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए पहले असम राज्य को चुना गया है।

स्ट्रीम-VI:- प्रायोगिक परियोजनाएं

ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में दूरसंचार के क्षेत्र में प्रायोगिक परियोजना के आधार पर नए प्रौद्योगिक विकास की शुरुआत करने के लिए एक स्कीम आरंभ की गई है जिसमें लगभग 5 प्रायोगिक परियोजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 20 स्थलों के लिए प्रायोगिक आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों (सौर, पवन, डीजल संकर सौरयूशनों) के लिए भी आर्थिक सहायता पर विचार किया जा रहा है।



➤ बजट आवंटन और संवितरण

31.03.2009 की स्थिति के अनुसार निधियों के संवितरण और उपलब्धता की स्थिति।

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	आरंभिक बकाया	यूएसएल के रूप में उगाही गई निधिया	आवंटित और संवितरित निधियां	वर्ष के अंत में बकाया
2002-03	0.00	1653.61	300.00	1353.61
2003-04	1353.61	2143.22	200.00	3296.83
2004-05	3296.83	3457.73	1314.59	5439.97
2005-06	5439.97	3533.29	1766.85	7206.41
2006-07	7206.41	4211.13	1500.00	9917.54
2007-08	9917.54	5405.46	1290.00	14033.00*
2008-09	14033.00*	5759.52**	1600.00	18192.52
जोड़		26163.96	7971.44	

* दिनांक 04.06.2008 के पत्र सं० एफ-1 (20) बी (एसी)/2007 के अनुसार वित्त मंत्रालय का यह मत है कि उपलब्ध बकाया संबंधी आंकड़ों की गणना करते समय बीएसएनएल को वर्ष 2002-03 से 2005-06 की अवधि के दौरान ग्रामीण दायित्वों को पूरा करने के संबंध में लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों के लिए 6948.64 करोड़ ₹ की प्रतिपूर्ति करने पर विचार किया जाना चाहिए। बीएसएनएल को दी गई क्षतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल, 2009 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध शेष राशि मात्र 11243.88/- करोड़ ₹ (18192.52-6948.64) होगी।

** अनंतिम

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 4 संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय

पेंशन और सेवांत हित लाभों के भुगतान के अलावा सभी दूरसंचार सर्किलों में डॉट सेलों के प्रत्यायोजित कार्यों के दायरे में विस्तार हो जाने से इन डॉट सेलों का नाम बदलकर संचार लेखा नियंत्रक का कार्यालय कर दिया गया।

काफी लंबे समय से विभिन्न नीतिगत निर्णयों जैसे एनटीपी 1994, एनटीपी 1999, यूएसओ 2003 में संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों की अहम भूमिका रही है। संचार लेखा नियंत्रक यूनिट दूरसंचार विभाग और इसके विभिन्न स्टेक होल्डरों के बीच विभिन्न नीतिगत मुद्दों जैसे लाइसेंस शुल्क व स्पेक्ट्रम प्रभार प्रबंधन, यूएसओ निधि के संवितरण इत्यादि के संबंध में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सहक्रिया विकसित करता रहा है।

संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्य

समूचे देश में संचार लेखा नियंत्रक के 26 कार्यालय अवस्थित हैं और वे निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करते हैं:-

सांविधिक कार्य

सांविधिक कार्य जिनमें पेंशन तथा पेंशन से संबंधित मामले, लेखा-परीक्षा कार्य तथा केंद्रीय जन-सूचना कार्यालय(सीपीआईओ) के रूप में संबंधित कार्य शामिल हैं। इस समय संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय 1.8 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को पेंशन संवितरण कर रहे हैं। 2007-08 के दौरान 1511.94 करोड़ रुपए पेंशन का संवितरण किया गया जबकि 2006-07 में 1345.39 करोड़ रुपए पेंशन का संवितरण किया गया था। 2008-09 के लिए यह राशि 1109.55 करोड़ रु० है।

राजस्व कार्य

इसके राजस्व कार्यों में लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार का संग्रहण, कटौतियों का सत्यापन, स्पेक्ट्रम प्रभारों का संग्रहण, वित्तीय बैंक गारंटियों का रख-रखाव और कैप्टिव वी-सैट लाइसेंस शुल्क का संग्रहण शामिल है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्पेक्ट्रम प्रभार और लाइसेंस शुल्क के कारण राजस्व में वृद्धि हुई है, जो कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(रु० करोड़ में)

क्र०सं०		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	स्पेक्ट्रम प्रभार	677	1040	1396	2090.39	3055.72	3454.55
2	लाइसेंस शुल्क	8421*	6816	6624	7037.92	8855.24	3997.02
3	कुल	9098	7856	8020	9128.31	11910.96	7451.51

* इसमें एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के लिए एक बारगी प्रवेश शुल्क शामिल है।



मुख्य आर्थिक कार्य

संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों द्वारा सर्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का संवितरण और उसकी निगरानी राज्य स्तर पर की जाती है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व से संबंधित कार्यों को निष्पादन करते समय संचार लेखा नियंत्रक द्वारा निधियों के संवितरण के पूर्व दावों का सत्यापन किया जाता है। दावों की सत्यता सिद्ध करने के लिए वे उनका वास्तविक निरीक्षण और निगरानी भी करते हैं। संवितरित की जा रही राशि में कई वर्षों से सतत वृद्धि होती जा रही है जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :-

वित्तीय वर्ष	प्रचालकों को यूएसओ लेवी का संवितरण (करोड़ रु० में)
2003-04	200.00
2004-05	1314.58
2005-06	1766.85
2006-07	1500.00
2007-08	1290.00
2008-09	1599.60
कुल	7671.03

प्रशासनिक कार्य

संचार लेखा नियंत्रक दूरसंचार विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय डब्ल्यूएमओ और वीटीएम के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी का कार्य कर रहे हैं। अन्य प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के अलावा संचार लेखा नियंत्रक, विभागाध्यक्ष (एचओडी) के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर अदालती मुकदमों को भी देखते हैं जिनमें भारत सरकार लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम प्रभार, पेंशन, आमेलन संबंधी मुद्दों इत्यादि के मामलों में एक पक्षकार के रूप में होती है। संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय पेंशन से संबंधित शिकायतों का एकल मंच पर निपटारा करने के लिए पेंशन अदालतों का भी आयोजन करते हैं। यह एकल मंच पेंशनभोगियों को अब तक उपलब्ध नहीं था।

संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों के कार्यों/कार्यकलापों, जो उनके अंतर्गत कवर होते हैं, के संबंध में बेहतर सूचना अभिगम्यता सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए कई संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों द्वारा वेबसाइटें शुरू की गई हैं। दूरसंचार विभाग/भारत सरकार और विभिन्न स्टेक होल्डरों के बीच परस्पर सह क्रिया करने के संबंध में संचार लेखा नियंत्रक की यूनिट की भूमिका पर बराबर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ वेबसाइटों के विषय-वस्तु ग्राहकों की विशिष्ट सूचना आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देकर तैयार किए गए हैं।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 5 सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप

सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप

दण्डात्मक सतर्कता

दूरसंचार विभाग के सतर्कता विंग और एमटीएनएल/बीएसएनएल की फील्ड यूनिटों को जनता, निजी, मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्रीय जांच ब्यूरो आदि से शिकायतें प्राप्त होती हैं। उसके बाद दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का पता लगाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच हेतु इन शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। 2008-09 की अवधि के दौरान कुल 335 शिकायतों की छान-बीन की गई जिनमें से 91 शिकायतों पर जांच शुरू की गई। जांच के अलावा, 14 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक/अन्य कार्यवाही करने हेतु सलाह दी गई। इसी अवधि के दौरान 25 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया गया। अनुशासनिक कार्यवाही पूरी होने पर 51 अधिकारियों/कर्मचारियों को दीर्घ शास्ति तथा 15 अधिकारियों/कर्मचारियों को लघु शास्ति द्वारा दंडित किया गया।

कर्मचारी प्रशिक्षण

सतर्कता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में कर्मचारियों को अवगत कराने की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है :-

- दूरसंचार विभाग की सतर्कता शाखा द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में निवारक सतर्कता के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया जाता है।
- इसी प्रकार विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रौद्योगिकीय धोखाधड़ी के मामलों की मॉनीटरिंग करने और उनकी रोकथाम के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया जाता है।
- विभिन्न दूरसंचार सर्किलों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। उक्त अवधि के दौरान देश भर में ऐसे 22 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न स्तरों के कुल मिलाकर लगभग 387 अधिकारियों को सतर्कता और अनुशासनिक कार्यवाहियों से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों की जानकारी दी गई। ये प्रशिक्षित अधिकारी बाद में आईओ, पीओ और वीओ के बतौर कार्य करने वाले अधिकारियों के पूल में शामिल रहते हैं।

सतर्कता निकासी

यह सतर्कता विंग का एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इसकी आवश्यकता पदोन्नति, विदेश में प्रशिक्षण, अन्य संगठनों/विभागों में प्रतिनियुक्ति, पासपोर्ट आदि प्राप्त करते समय पड़ती है। उक्त अवधि के दौरान, 6878 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए सतर्कता निकासी प्रदान की गई।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श

यह भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जिसका सतर्कता संबंधी मामलों के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि पर क्षेत्राधिकार है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ समुचित परामर्श प्रक्रिया अपनाने के पश्चात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। दूरसंचार विभाग का सतर्कता स्कंध दूरसंचार विभाग के सतर्कता संबंधी मामलों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ समन्वय करता है।



2008-09 की अवधि के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त शिकायतें और उनका निपटारा

1 अप्रैल, 2008 को अन्य शेष	31 मार्च, 2009 तक प्राप्त शिकायतें	31 मार्च, 2009 तक निपटान	31 मार्च, 2009 को अंत शेष
4	11	4	11

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2008

3-7 नवम्बर, 2008 के दौरान दूरसंचार विभाग में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक व्यय में दक्षता और पारदर्शिता लाने की आवश्यकता था ताकि विभाग/संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के प्रयोक्ताओं में प्रणालियों और क्रियाविधियों में सुधार हेतु किए गए उपायों तथा शिकायतों के समाधान हेतु प्रयोक्ता नागरिकों को उपलब्ध अवसरों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जा सके। इस संबंध में सतर्कता स्कंध ने कर्मचारियों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निबंध, प्रश्नोत्तरी एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की।

2008-09 के दौरान विभागीय सतर्कता क्रियाकलापों का सांख्यिकीय सार

क्र. सं.	क्रियाकलाप	वास्तविक (मार्च 2009)
1.	इस अवधि के दौरान छानबीन की गई शिकायतों की सं०	354
2.	अधिकारियों की संख्या जिन्हें आरोप पत्र दिए गए	23
	(क) दीर्घ शास्ति	राजपत्रित 21
		अराजपत्रित -
	(ख) लघु शास्ति	राजपत्रित 7
		अराजपत्रित -
3.	दीर्घ/लघु शास्ति से दंडित अधिकारियों की संख्या	144
4.	जारी की गई अभियोजन संस्वीकृतियों की सं०	5
		राजपत्रित -
		अराजपत्रित -
5.	जाँच की गई अन्वेषण रिपोर्ट तथा सलाह के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजे गए मामलों की संख्या (सीवीसी मामलों को छोड़कर)	41
6.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सलाह के लिए भेजी गई सीबीआई रिपोर्टों की संख्या	5
7.	उन अधिकारियों की संख्या जिनके संबंध में सतर्कता निकासी जारी की गई	6878
8.	जाँच के बाद निपटाए गए मामलों (पीएमओ के एसीयू से प्राप्त) की संख्या	-
9.	निपटाए गए अपील मामलों की संख्या	समूह "क" 11
		समूह "ख" 18

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 6 दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने के परिणामस्वरूप दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) स्तर पर दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा के मुद्दे के बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हुई। दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) में "सुरक्षा" नामक एक नई इकाई का गठन किया गया है।

कार्यकलाप

(i) दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन एवं अनुवीक्षण (टीईआरएम) प्रकोष्ठों का समन्वय और प्रशासन

देश में टेलीफोन ऑपरेटर्स की बढ़ती संख्या के कारण सरकार ने देश के सभी लाइसेंस क्षेत्रों और बड़े दूरसंचार जिलों में दूरसंचार प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता महसूस की। निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और आईएसपी की संख्या बढ़ने से दूरसंचार क्षेत्र में अवैध/गुप्त प्रचालन की भी वृद्धि हुई है। इस समस्या से निबटने के लिए आरंभ में सरकार ने 2004 में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नै में 4 दूरसंचार सतर्कता अनुवीक्षण प्रकोष्ठों (वीटीएमसी) का गठन किया। वर्ष 2006 में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल एवं उत्तर प्रदेश (पूर्व) में 9 और वीटीएम प्रकोष्ठ गठित किए गए। बाद में जनवरी 2007 में आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), अंडमान एवं निकोबार, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर-I, पूर्वोत्तर-II, उड़ीसा एवं उत्तरांचल में 15 वीटीएम प्रकोष्ठ गठित किए गए। हाल ही में मार्च 2007 में कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे, जयपुर और लखनऊ में 6 और वीटीएम प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं, जिससे वीटीएम प्रकोष्ठों की कुल संख्या 34 हो गई है। वीटीएम प्रकोष्ठ गठित होने के बाद से उन्हें अनेक अन्य कार्य सौंपे गए हैं, अतः इनके कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए वीटीएम प्रकोष्ठ का नाम बदल कर इनका नया नाम टीईआरएम (दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन एवं अनुवीक्षण) प्रकोष्ठ रखा गया है।

(ii) दूरसंचार विभाग में सी-डॉट के लिए नोडल यूनिट

(iii) सुरक्षा संबंधी परियोजनाएं

(क) केंद्रीकृत निगरानी तंत्र

संबंधित विभिन्न एजेंसियों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद केंद्रीकृत निगरानी तंत्र संबंधी परियोजना की अपेक्षाओं को अंतिम रूप दिया गया है। संकल्पना से संबंधित प्रूप प्रदर्शित किया गया है और परियोजना संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्य जारी हैं।

(ख) विशिष्ट एवं पूर्णतः सुरक्षित संचार नेटवर्क

नेटवर्क की संरचना तथा विस्तार को अंतिम रूप दे दिया गया है। परियोजना की संरचना एवं इसके आकार के आधार पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। विशिष्ट नेटवर्क का चरण I राष्ट्रीय राजधानी को कवर करेगा।

टीईआरएम प्रकोष्ठों को सौंपे गए कार्य

टीईआरएम प्रकोष्ठ क्षेत्र में दूरसंचार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के रूप में काम कर रहे हैं। ये प्रकोष्ठ तार प्राधिकारी और लाइसेंसदाता का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये निम्नलिखित कार्य करते हैं :



निगरानी कार्य

- फील्ड में विभिन्न नेटवर्क प्रचालकों के बीच समन्वय तथा उनकी निगरानी।
- नेटवर्क पैरामीटरों की निगरानी।
- लाइसेंस शर्तों के अनुसार रॉल-आउट दायित्व के निर्वहन की जांच करना।
- लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस शर्तों तथा जनहित में लाइसेंस प्रदाता द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन किए जाने के बारे में जांच करना।
- अंतर प्रचालक कॉलों के अधिकतम कॉल पूर्णता अनुपात को सुनिश्चित करना।
- ग्राहकों के कागजात का सत्यापन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मोबाइल सेवा प्रचालक ग्राहकों को कनेक्शन प्रदान करने के पूर्व उनके कागजातों के सत्यापन संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं।
- आपदा प्रबंधन : प्राकृतिक विपदाओं या अन्य आपात स्थितियों में नेटवर्क को अपने नियंत्रण में लेना।
- विभिन्न प्रचालकों द्वारा कमियों के बारे में उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करना।
- देश एवं ग्राहकों के समग्र हित में दूरसंचार विभाग द्वारा इसे समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों को निष्पादित करना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले।

सतर्कता संबंधी कार्य

- अवैध/गुप्त रूप से किए जा रहे दूरसंचार बाजार क्रियाकलापों को रोकने के लिए जांच करना।
- लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाता और आईएसपी के परिसर का निरीक्षण करना।
- दूरसंचार सेवाओं में अवैध क्रियाकलापों को रोकना
- लाइसेंस रहित स्वार्थी लागों द्वारा गुप्त रूप से/अवैध रूप से चलाए जाने वाले दूरसंचार नेटवर्कों के प्रचालन पर नियंत्रण करना।
- दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना, मामले के बारे में कार्यवाही करना, लागू विभिन्न अधिनियम की शर्तों के उल्लंघन के बारे में समय-समय पर नोटिस जारी करना।
- कॉल/उपभोक्ता/विभिन्न लाइसेंसधारकों के परियात संबंधी डाटा का विश्लेषण।
- लाइसेंसधारक के नेटवर्क के माध्यम से होकर गुजरने वाले सभी संचारों के वैध अंतरावरोधन/निगरानी की तकनीकी व्यवस्था।
- यह सुनिश्चित करना कि लाइसेंसधारक अनुमत क्षेत्र के भीतर सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। दूरसंचार एवं आईएसपी लाइसेंसों के अंतर्गत लाइसेंस शर्तों को लागू करना।

सुरक्षा संबंधी कार्य

- क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना।



अन्य कार्य

- लाइसेंस क्षेत्र में विभिन्न लाइसेंसयुक्त सेवा प्रदाताओं की सेवा का परीक्षण तथा लाइसेंस की शर्तों के अनुसार रॉल आउट दायित्व की जाँच करना।
- सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में ओएसपी और टैलीमार्केटर्स का पंजीकरण।
- मोबाइल स्पेक्ट्रम उपयोग की जाँच करना
- दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं से संबंधित शिकायतों की जाँच करना।

टीईआरएम प्रकोष्ठों की उपलब्धियां

मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार है :-

- टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा क्षेत्र में प्रतिदर्श स्वरूप लगभग 2.86 मिलियन मोबाइल उपभोक्ताओं के कागजातों के सत्यापन का लेखा-परीक्षा किए जाने के परिणामस्वरूप सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रचालन संबंधी शर्तों के अनुपालन में वृद्धि, 60% से लेकर 85% से अधिक सेवा प्रचालकों द्वारा, हुई है।
- टीईआरएम प्रकोष्ठों में ओएसपी एवं टैलीमार्केटिंग पंजीकरण का विकेंद्रीकरण होने की वजह से लंबित मामलों की संख्या में काफी कमी आयी है।
- मोबाइल सर्विस प्रदाताओं के सेवा परीक्षण से संबंधित कार्य का टीईआरएम प्रकोष्ठों में विकेंद्रीकरण किया गया है तथा मार्च 2009 तक 160 से भी अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
- टीईआरएम प्रकोष्ठों में मोबाइल स्पेक्ट्रम से संबंधित डेटा के सत्यापन का कार्य शुरू किया गया है।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 7 महिला सशक्तिकरण

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण संबंधी राष्ट्रीय नीति में वर्णित महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और लिंग-भेद दूर करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के नीतिपरक दृष्टिकोण के अनुसरण में दूरसंचार विभाग और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उद्यमों ने कुछ कदम उठाए हैं।

दूरसंचार विभाग अपनी सभी यूनिटों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों/अनुदेशों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुसरण करते हुए विभाग ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए महिला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। विभाग की विभिन्न स्कंधों के द्वारा महिला साक्षिकरण हेतु किए गए प्रयास नीचे दिए गए हैं: -

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

बीएसएनएल में विभिन्न स्तरों पर 40,000 से अधिक महिला कर्मचारी नियुक्त हैं। पदोन्नति पर उन्हें यथासंभव उसी स्थान पर रहने दिया जाता है जिस स्थान पर वे कार्य कर रही हैं। जहां कहीं पति भी नौकरी कर रहे हैं, सामान्यतः उन्हें उसी स्थान पर तैनात किया जाता है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय द्वारा यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कार्रवाई की गई है। महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने के लिए स्वैच्छिक दूरसंचार महिला संगठनों द्वारा शिशु सदनों/स्कूलों/सिलाई केन्द्रों को चलाया/अनुरक्षण किया जा रहा है। छात्राओं को बुक अवार्ड प्रदान करने के लिए अंकों में 15 प्रतिशत की छूट दी जाती है। भारत संचार निगम लि0 में सर्किल/गौण स्विचन क्षेत्र के स्तरों सहित निगमित कार्यालय स्तर पर शिकायत समिति है।

महानगर टेलीफोन निगम लि0 (एमटीएनएल)

महानगर टेलीफोन निगम लि0 में लगभग 9710 महिला कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्य कर रही हैं। कुल जनशक्ति में 20% महिला कर्मचारी हैं।

इसके अतिरिक्त, महिला कर्मचारियों के सशक्तिकरण को और सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। उनमें से कुछ उपायों का उल्लेख नीचे किया गया है:-

- रात्रि पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारी के मामले में विशेष ध्यान दिया जाता है। उनके लिए विश्राम कक्ष उपलब्ध कराये जाते हैं और ड्यूटी अवधि पूरी होने के पश्चात उन्हें घर तक छोड़ने की सुविधा दी जाती है।
- कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने तथा इससे संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए इकाई स्तर और निगमित कार्यालय में यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- सेवा संबंधी शर्तें समान हैं तथा कोई लिंगभेद नहीं है।
- महिला कर्मचारियों के शिशुओं के लिए शिशु सदन की सुविधा भी प्रदान की गई है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार प्रसूति छुट्टी नियम का प्रावधान है।



- दूरसंचार महिला केन्द्रीय संगठन, नई दिल्ली और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के महिला कल्याण संघ, मुम्बई हेतु विशेष अनुदान की वार्षिक आधार पर मंजूरी दी जा रही है, जिसके द्वारा कार्यरत और सेवानिवृत्त या स्वर्गीय कर्मचारियों के सगे-संबंधियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

आईटीआई लिमिटेड

आईटीआई लिमिटेड, सामाजिक सचेतना वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो अपने प्रारंभ से ही कर्मचारियों के कल्याण की संकल्पना के प्रति प्रतिबद्ध है। महिला कर्मचारियों के कल्याण को यथोचित महत्व दिया जाता है। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार आईटीआई में 897 महिला कर्मचारी हैं।

महिला कर्मचारियों को प्रदान की जा रही प्रमुख सुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

- उनके लिए कैंटीन में अलग से भोजन कक्ष की व्यवस्था की गई है तथा इसकी इकाइयों में आराम कक्ष, शिशु सदन की व्यवस्था की गई है।
- कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा/प्रतिपूर्ति लाभ प्रदान करने हेतु कई बृहत् स्वास्थ्य योजनाएं हैं। कंपनी द्वारा चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए विशेषकर महिला एवं बाल कल्याण के लिए बंगलौर, नैनी, मनकापुर और रायबरेली संयंत्रों में अस्पताल स्थापित किए गए हैं।
- कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधिकांश यूनिटों में गैर-अधिकारियों और अधिकारियों पर लागू स्थायी आदेशों में यौन उत्पीड़न संबंधी खंड को शामिल करके इन्हें वर्ष 2004-05 के दौरान संशोधित किया गया है और इसी प्रकार से अधिकारियों पर लागू सीडीए नियमों को भी संशोधित किया गया है।
- कंपनी में किसी भी महिला कर्मचारी द्वारा की गई यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत की जांच हेतु प्रत्येक इकाई में शिकायत समिति का गठन किया गया।
- यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाता है कि महिला कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाए।
- कंपनी के लिए यह गर्व का विषय है कि हमारी कई महिला कर्मचारियों को "श्रम देवी" पुरस्कार के लिए विगत में चयनित किया गया है।

टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)

सी-डॉट प्रबंधन, लिंग भेद संबंधी मामलों के प्रति हमेशा ही गंभीर रहा है तथा एक ऐसी संगठनात्मक संस्कृति को सृजित करने में सतत् रूप से कार्य करता रहा है जिसमें लिंग समानता की झलक दिखती हो।

- सी-डॉट के कर्मचारियों में इस समय लगभग 34% महिलाएं हैं।
- सी डॉट ने तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त और प्रतिभाशाली महिलाओं को घर से कार्य करने का अवसर प्रदान करने की पहल भी की है। वर्ष 1999 में, बाहरी इंजीनियरों की योजना की शुरुआत की गई थी जिनमें सी-डॉट में विशिष्ट समयबद्ध परियोजनाओं के लिए महिला इंजीनियरों की भर्ती की गई थी। इन महिलाओं को घर से परियोजना पर कार्य करने की अनुमति दी गई थी और उनकी प्रतिपूर्ति परियोजना की पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के आधार पर की जानी थी।



मौजूदा नीतियां

- सभी महिला कर्मचारियों को 135 दिनों की प्रसूति छुट्टी लेने की अनुमति है जिसे बाद में 270 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है (135 दिनों के प्रसूति अवकाश सहित)। गर्भस्त्राव/गर्भपात के लिए पूरी सेवा अवधि में कुल 45 दिन की छुट्टी देय है।
- सी-डॉट अपनी सभी महिला कर्मचारियों को उनकी अपनी पात्रता के अनुसार विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराते हुए आवासीय और परिवहन सुविधा देता है। इससे इस कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित हो जाती है।
- लगभग 36% महिला कर्मचारियों को आवासीय टेलीफोन संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई है। 47% महिला कर्मचारियों को बहु-कार्यात्मक भत्ता की अनुमति दी गई है।
- सी-डॉट में महिला कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध है। पिछले वित्त वर्ष में, उच्च ग्रेडों में पदोन्नत किए गए कुल कर्मचारियों में से 40% महिलाएं थीं।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



III. 8 विकलांग व्यक्ति

भूमिका

दूरसंचार विभाग शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नियुक्ति में आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता को महत्व देता है तथा इस संबंध में विभिन्न सरकारी निर्देशों का विधिवत रूप से पालन करता है।

विभाग ने पहले ही भारतीय डाक व तार लेखा और वित्त सेवा समूह "क" के अधिकारियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए यथा उपयुक्त बधिर और चलने फिरने में अक्षम, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पहचान कर ली है। भारतीय डाक व तार लेखा और वित्त सेवा के संवर्ग में शारीरिक रूप से विकलांग दो अधिकारियों की पहले ही भर्ती की जा चुकी है तथा एक और शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी को आईपी एंड टीएएफएस के लिए नामित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि दूरसंचार विभाग ने हाल ही में राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान (एनआईवीएच) की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के खण्ड 2 (यू) में यथापरिभाषित अल्प दृष्टिक्षम (लो विजन) व्यक्तियों को भी आईपी एंड टीएएफएस अधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए लिया जा सकता है।

टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)

सी-डॉट विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करता है। विगत वर्षों की भांति विकलांग व्यक्तियों को वर्ष 2008-09 के दौरान पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

दिल्ली स्थित सी-डॉट के नए अनुसंधान एवं विकास कॉम्प्लेक्स में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट स्वचालित सीढियां, विभिन्न कार्य क्षेत्रों के दो स्तरों को जोड़ने वाले रैम्प आदि जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं हैं। ये सुविधाएं इस प्रकार के व्यक्तियों को इस अनुसंधान एवं विकास के कार्य संबंधी कॉम्प्लेक्स के एक स्कंध से दूसरे स्कंध में स्वतंत्र रूप से घुमने-फिरने में मदद करती हैं।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

बीएसएनएल द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

दृष्टिहीन व्यक्ति अपने टेलीफोन पर निम्नलिखित छूट पाने के हकदार है :-

- किराये में छूट - सामान्य किराए का 50%
- अग्रिम किराया - सामान्य अग्रिम किराये का 50% तथा सामान्य उपभोक्त पर यथा लागू द्विमासिक किराया।
- पंजीकरण - नॉन-ओ वाई टी विशेष श्रेणी के अंतर्गत स्वीकार्य

उपर्युक्त छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ जिला स्तरीय सरकारी अस्पताल या उससे ऊपर के सीएमओ/एमएस/नेत्र-सर्जन द्वारा जारी किया गया 'दृष्टिहीन प्रमाण-पत्र' होना चाहिए। जिन दृष्टिहीन व्यक्तियों के पास पहले से ही टेलीफोन की सुविधा है वे अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके किराये में छूट प्राप्त कर सकते हैं तथा छूट श्रेणी परिवर्तन की तारीख से प्रभावी होगी।



महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड नवीन कार्य योजनाएं बनाकर तथा कार्य योजनाओं का निष्पादन करके अपने क्षेत्र के भीतर आने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति के उन्नयन के प्रति हमेशा प्रयासरत रहा है। 30 सितम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार 246 विकलांग कर्मचारी हैं।

अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए एमटीएनएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

- विभिन्न श्रेणियों में अधिकारियों की भर्ती के लिए सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को जीविका प्रदान करने के लिए अग्रता आधार पर पीसीओ आबंटित किए जाते हैं तथा उन्हें अन्यो के लिए 20% कमीशन के मुकाबले 22% कमीशन भी दिया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, पीसीओ के आबंटन में बिलम्ब से बचने के लिए, उन्हें सीडीएमए/जीएसएम प्रौद्योगिकी पर आधारित मोबाइल बूथ प्रदान किए जा रहे हैं।

आईटीआई लिमिटेड

आईटीआई लिमिटेड सामाजिक रूप से जागरूक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, अपने प्रारंभ से ही कर्मचारियों के कल्याण की अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध है। विकलांग व्यक्तियों के कल्याण को यथोचित महत्व दिया जाता है। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 155 विकलांग कर्मचारी हैं।

विकलांग व्यक्तियों को दी जा रही सुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

- नगर क्षेत्र में निर्मित आवासों में निवास कर रहे शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को मूल वेतन के 5% की दर से विशेष भत्ता दिया जाता है परंतु अधिकतम राशि प्रतिमाह 75 रूपए होनी चाहिए।
- जो कर्मचारी कंपनी के नगर क्षेत्र में नहीं रहते किंतु अपने निवास स्थान से कारखाने तक आने जाने के लिए कम्पनी की परिवहन सुविधा का उपयोग कर रहे हैं उन्हें प्रति माह मूल वेतन के 5% की दर से विशेष भत्ता दिया जा रहा है। परंतु अधिकतम राशि प्रतिमाह 100 रूपए होनी चाहिए।
- शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारियों को पारी की शुरुआत और बंद होने के समय में आने की उपस्थिति और जाने की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए क्रमशः 10 मिनट की छूट दी जाती है।
- शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारियों को "बिना बारी" के क्वार्टर आबंटित किए जाते हैं।
- आईटीआई ने सरकारी निदेशों के अनुसार भर्ती में शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% का आरक्षण (1% अस्थि विकलांगों के लिए, 1% दृष्टि विकलांगों के लिए और 1% बधिर विकलांगों के लिए) रखा हुआ है और जहां कहीं लागू हो वहां पदोन्नति में भी आरक्षण रखा जाता है।
- शारीरिक दृष्टि से विकलांगों के मामले में कंपनी समूह ग और घ के पदों की भर्ती के मामले में 10 वर्ष की और समूह क और ख के पदों के मामले में 5 वर्ष की छूट प्रदान कर रही है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के हों तो समूह क और ख के पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है।
- शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारियों को व्यावसायिक कर से पूर्णतः छूट प्राप्त है बशर्ते कि वे सरकारी चिकित्सक से प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करें।
- शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारियों को आय कर की सामान्य छूट के अलावा अधिकतम 50,000/-रूपए तक आयकर से छूट प्राप्त है बशर्ते कि वे सरकारी चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करें। गंभीर रूप से विकलांगता से ग्रस्त कर्मचारी के लिए आयकर कटौती 75000/- रु0 होगी।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



IV. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) का सर्वदा यह प्रयास रहा है कि नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्यों को पूरा करने के संबंध में बेहतर गुणवत्ता और वहनीय मूल्यों के साथ दूरसंचार के क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाए। दिनांक 9 जनवरी, 2004 की सरकारी अधिसूचना के तहत प्रसारण और केबल सेवाओं को ट्राई (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2(ट) के संदर्भ में "दूरसंचार सेवा" की परिभाषा के भीतर लाया गया है।

प्रमुख सिफारिशें/विनियमन और अन्य पहलें

दूरसंचार क्षेत्र के विनियमन की दिशा में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की उत्कृष्टता की ओर यह यात्रा एक दशक पूर्व अर्थात् 1997 में शुरू हुई थी जो इस वित्तीय वर्ष के दौरान भी जारी रही। दूरसंचार क्षेत्र की बेहतरी के लिए इसने अनेक पहल शुरू किए जिनमें प्रसारण और केबल सेवाएं भी शामिल हैं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने पर इसने विशेष बल दिया। अन्य बातों के साथ-साथ 2008-09 के दौरान प्रभावकारी विनियम, और दूरसंचार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कुछ प्रमुख सिफारिशों की गईं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- "राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालकों द्वारा कालिंग कार्ड की व्यवस्था" के संबंध में दिनांक 20 अगस्त, 2008 की सिफारिश
- 3जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नए प्रवेशकों को अनुमति के संबंध में दिनांक 25 अप्रैल, 2008 की सिफारिशें
- "2.3 से 2.4 गिगाहर्ट्ज बैंड तक, 2.5 से 2.69 गिगाहर्ट्ज बैंड तक तथा 3.3 से 3.6 गिगाहर्ट्ज बैंड तक के आवंटन और मूल्य निर्धारण के संबंध में 11 जुलाई, 2008 की सिफारिशें।
- स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभार और एक बारगी स्पेक्ट्रम संवर्धन प्रभार के संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित आशोधनों पर 16 जुलाई, 2008 की सिफारिश। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार क्षेत्र के व्यापक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम स्लैब में संशोधन के साथ स्पेक्ट्रम प्रभार समग्र रूप से 1% बढ़ाने संबंधी दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव का समर्थन किया गया है।
- मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क आपरेटर (एमबीएनओ) के संबंध में 6 अगस्त, 2008 की सिफारिशें।
- इंटरनेट टेलीफोनी संबंधी मुद्दों पर 18 अगस्त, 2008 की सिफारिश।
- स्थिर लाइन टेलीफोनों के लिए एकीकृत टेलीफोन निर्देशिका के प्रकाशन के निबंधन और शर्तों के संबंध में दिनांक 24 अप्रैल, 2008 की सिफारिशें और राष्ट्रीय एकीकृत निर्देशिका पूछताछ सेवा (एनआईडीक्यूएस) के लिए लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के संबंध में 19 जून, 2008 की सिफारिशें।
- मूल्यवर्धित सेवाओं के विकास और विनियामक मुद्दों पर दिनांक 13 फरवरी, 2009 की सिफारिशें
- ग्रामीण टेलीफोनी के संबंध में एक दृष्टिकोण - त्वरित विकास के लिए सुझाये उपायों पर दिनांक 19 मार्च, 2009 की सिफारिश



- दूरसंचार अंतर्संयोजन प्रयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियमन, 2009
- बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायर लाइन) की सेवा गुणवत्ता के मानक तथा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियमन 2009

उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए किए गए उपाय

टैरिफ संबंधी पेशकशों में पारदर्शिता के बारे में टैरिफ आदेशों और निर्देशों का मुद्दा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 1 सितंबर, 2008 को अभिगम सेवा की टैरिफ पेशकशों और अन्य उपभोक्ता हित संरक्षण उपायों में पारदर्शिता विकसित करने के लिए अनेक विनियामक उपायों को अनिवार्य करने वाला टैरिफ आदेश और निर्देश जारी किए हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है :

- उपभोक्ताओं को प्रशासनिक शुल्क जो 2 रु0 प्रति रिचार्ज से अधिक नहीं होगा और लागू करों को छोड़कर टाक टाइम रिचार्जों पर फुल टाक टाइम प्राप्त होगा।
- उपभोक्ताओं को, उपभोक्ता द्वारा किसी विशेष कार्रवाई की किसी पूर्व शर्त के बिना टैरिफ छूट का स्वतः सीधे लाभ मिले, उदाहरण के तौर पर एसएमएस इत्यादि भेजने के लिए।
- उपभोक्ता अतिरिक्त रिचार्ज अथवा भुगतान किए बिना मौजूदा लाइफ टाइम प्लान से कम प्रवेश शुल्क वाले नए लाइफ टाइम प्लान में अंतरित हो सकें।
- लाइफ टाइम उपभोक्ताओं को शेष कनेक्टेड समय के लिए 6 माह में एक बार से अधिक रिचार्ज की आवश्यकता नहीं है।
- सेवा प्रदाताओं के सभी फुटकर बिक्री केंद्रों और फ्रेंचाइजियों के पास से उपभोक्ताओं को मुख्य टैरिफ की सूचना उनकी मातृभाषा में मिले।
- जब उपभोक्ता टैरिफ प्लान बदले अथवा प्री-पेड से पोस्ट-पेड में अथवा पोस्ट-पेड से प्री-पेड प्लान में अंतरित हो तो उसका मोबाइल नंबर न बदले
- ब्लैक-आउट दिवसों की संख्या (प्रथागत/त्यौहार दिवस जिनमें निःशुल्क/रियायती कालें/एसएमएस उपलब्ध नहीं होते हैं) एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 5 दिनों तक सीमित हो। ऐसे दिवस पूर्व-विनिर्धारित हों और बाद में उनमें कोई रद्दो-बदल अथवा संवर्धन की अनुमति न हो।
- प्रोत्साहन संबंधी पेशकशें कारगर हों।
- नए उपाय 15 सितंबर, 2008 से प्रभावी हों और नए और वर्तमान सभी उपभोक्ताओं के लिए लागू हों।

मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की लेखा परीक्षा

ट्राई ने (i) मीटरिंग और बिलिंग के संबंध में सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन की जा रही प्रक्रियाओं में एकरूपता और पारदर्शिता लाने; (ii) मापन की परिशुद्धता, बिलिंग की विश्वसनीयता से संबंधी मानक निर्धारित करने; (iii) समय-समय पर सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त बिलिंग की परिशुद्धता का मापन करने तथा मानदंडों के साथ उनकी तुलना करने, ताकि निष्पादन के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके; (iv) बिलिंग संबंधी शिकायतों की घटनाओं को कम करने; तथा (v)



दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए 21 मार्च, 2006 को सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग परिशुद्धता के लिए पद्धति संहिता) विनियमन 2006 लागू किया था। इस विनियमन में सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे ट्राई द्वारा अधिसूचित किसी भी लेखा परीक्षक के माध्यम से वार्षिक आधार पर अपने मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की लेखा परीक्षा का इंतजाम करें तथा तत्पश्चात प्रति वर्ष 30 जून से पहले ट्राई को लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। विनियमन में यह भी व्यवस्था है कि एजेंसी द्वारा प्रमाण-पत्र में यदि कोई अपर्याप्तता इंगित की जाती है तो इस पर सेवा प्रदाता उपचारात्मक कार्यवाही करे तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणी को प्रति वित्तीय वर्ष में 30 सितंबर से पहले ट्राई को प्रस्तुत करे। सभी सेवा प्रदाताओं से वर्ष 2007-08 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है।

उक्त विनियमन के तहत विनियमन 4 में यह व्यवस्था है कि सेवा प्रदाता अनुबंध-I में यथा निर्धारित मीटरिंग और बिलिंग परिशुद्धता के लिए प्रक्रिया संहिता का अनुपालन करेगा। मीटरिंग और बिलिंग परिशुद्धता के लिए प्रक्रिया संहिता की संहिता 3.1 में यह उल्लेख है कि सभी प्रभार एंड-यूजर चार्जड पर लागू होने वाले प्रकाशित प्रभारों के अनुकूल होने चाहिए। प्राधिकरण ने उपर्युक्त विनियमन के उल्लंघन के लिए तीन सेवा प्रदाताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा इस नोटिस के जारी होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर कारण बताने को कहा है। इसके उत्तर में सेवा प्रदाताओं ने प्राधिकरण को अपने जवाब प्रस्तुत किए हैं।

उपभोक्ता शिक्षा तथा उपभोक्ता संगठन को सशक्त बनाना

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र के विकास तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कई आदेश, विनियमन और निदेश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने इन उपायों के बारे में उपभोक्ता संगठनों के बीच जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से, क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित करने संबंधी एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऐसी पहली कार्यशाला का आयोजन इस वर्ष दिनांक 09.05.2008 को देहरादून में किया गया था। उत्तरी क्षेत्र से सीएजी सदस्यों के साथ-साथ क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं ने भी कार्यशाला में भाग लिया। दूसरी और तीसरी कार्यशाला का आयोजन 8 अगस्त, 2008 और 12 अगस्त, 2008 को क्रमशः मद्रास और त्रिपुरा राज्य में अग्रतला (पूर्वोत्तर क्षेत्र) में हुआ था। कार्यशाला में भाग लेने वालों ने इसकी प्रशंसा की तथा ऐसी कार्यशालाओं के और आयोजन होने की आवश्यकता जताई। पश्चिमी क्षेत्र के गोआ में 28 नवंबर, 2008 को चौथी कार्यशाला आयोजित की जानी है।

सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना

ट्राई, सेवा प्रदाता से प्राप्त तिमाही निष्पादन अनुश्रवण रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से अपने द्वारा निर्धारित बेंचमार्कों के अनुसार बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल सेवा, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवा के निष्पादन का अनुश्रवण करता है।

नेटवर्क/प्वाइंट ऑफ इंटर कनेक्शन (पीओआई) रिपोर्ट

मोबाइल नेटवर्क का विकास बहुत तेजी के साथ हो रहा है तथा प्रति माह इसमें लगभग 8 मिलियन उपभोक्ता जुड़ जाते हैं। सीमलैस इंटरकनेक्शन की सुनिश्चितता के लिए, ट्राई मासिक आधार पर विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन की संकुलता के स्तर की जांच कर रहा है। अप्रैल, 2008 से जून, 2008 के माह के लिए पीओआई संकुलता रिपोर्ट विश्लेषण यह दर्शाता है कि पीओआई पर संकुलन के संबंध में मार्च, 2008 के निष्पादन की तुलना में जून, 2008 में सुधार हुआ है। इस अवधि के दौरान उपभोक्ताओं की संख्या मार्च, 2008 में 261.07 मिलियन से बढ़कर जून, 2008 में 286.87 हो गई। संकुलन वाले पीओआई की संख्या मार्च, 2008 में 275 से कम होकर जून, 2008 में 156 हो गई।



ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए प्रवेश अवरोधकों को कम करना

1 अप्रैल, 2008 से एजीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी को समाप्त करते हुए, प्राधिकरण ने यह नोट किया कि एडीसी के कारण हुई बचतों और टैरिफ की कमी के बीच एक सीधा और पारदर्शी संबंध स्थापित करना बहुत कठिन है। तथापि, प्राधिकरण ने यह आशा की कि सेवा प्रदाता को एडीसी की समाप्ति से जो भी बचतें होती हैं उनका वह दूरसंचार क्षेत्र के संपूर्ण विकास, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों, जिसे सेवा प्रदाताओं की ओर से अभी एक ठोस पहल की प्रतीक्षा है, के लिए उपयोग करेगा।

प्राधिकरण का यह प्रयास रहा है कि एक ऐसा ढांचा विकसित हो जो घरेलू क्षेत्र से एडीसी के एक बार समाप्त होने पर उपभोक्ताओं के लिए सकारात्मक लाभ की सुनिश्चितता निर्धारित करे। प्राधिकरण ने दूरसंचार संघों अर्थात् एयूएसपीआई, सीओएआई और सेवा प्रदाताओं के साथ भी परामर्शों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त सुविधाओं के संबंध में प्राधिकरण की चिंता को भी प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने वर्ष 2008-09 को "ग्रामीण दूरसंचार अभिगम का वर्ष" बनाने के संबंध में सेवा प्रदाताओं से अनुनय किया।

इन पहलों के परिणामस्वरूप, जीएसएम और सीडीएमए दोनों प्रचालकों ने मई/जून, 2008 से ग्रामीण योजना आरंभ की। दूरसंचार संघों से प्राप्त पत्रों के अनुसार, सेवा प्रदाताओं ने 50 मिलियन नए उपभोक्ताओं को, ग्रामीण क्षेत्रों में एयरटाईम में 50 ₹ तथा 75 ₹ के अपफ्रन्ट डिस्काउंट की पेशकश की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से लाभ मिल सके प्राधिकरण द्वारा और अधिक प्रयास किए जा रहे हैं।





V. दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण

लाइसेंसदाता और लाइसेंसधारक के बीच, दो या दो से अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच, सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के समूह के बीच किसी विवाद के अधिनिर्णय के लिए और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के किसी निदेश, निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध की गई अपीलों को सुनने और निपटाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (2000 में यथा संशोधित) की धारा 14 में संशोधन के बाद **दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण** की स्थापना की गई है।

केंद्र सरकार द्वारा 9 जनवरी, 2004 को जारी की गयी एक अधिसूचना द्वारा "दूरसंचार सेवाओं" शब्द का अभिप्राय विस्तृत हो गया है ताकि "प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं" को भी शामिल किया जा सके। अधिकरण एक अधिनिर्णायक निकाय होने के कारण दूरसंचार, केबल एवं प्रसारण सेवाओं संबंधी विवादों के बारे में मूल तथा अपील दोनों प्रकार की याचिकाएं अधिकरण के न्यायाधिकार क्षेत्र में आती हैं।

दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण के अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश श्री अरुण कुमार हैं तथा इसके दो सदस्य डॉ० जे०एस० शर्मा एवं श्री जी०डी० गैहा हैं।

मई, 2000 में अधिकरण की स्थापना होने की तिथि से अधिकरण में मामलों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। वर्ष 2001 में टीडीएसएटी के समक्ष दायर किए गए मामलों की कुल संख्या 103 थी जो 2007 में बढ़कर 559 हो गई और 2009 में (7 जनवरी, 2009 की स्थिति के अनुसार) 509 है। मामलों के निपटान में प्रगति हुई है और शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। तथ्यों से यह पुष्टि होती है कि वर्ष 2004 तक दायर किया गया कोई भी मामला लंबित नहीं है सिवाय 3 मामलों के जो तकनीकी कारणों/उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित रिट याचिका/आयुक्त की नियुक्ति इत्यादि के कारण लंबित हैं।

दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण ने न्यायनिर्णय हेतु प्रस्तुत किए गए दूरसंचार और साथ ही प्रसारण तथा केबल सेवा क्षेत्र दोनों के मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए हैं तथा इन्हें सभी अग्रणी विधिक रिपोर्टों में उद्धृत किया जाता है।

दूरसंचार प्रसारण और केबल क्षेत्रों में विवाद समाधान तंत्र के संबंध में उपभोक्ताओं सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों में जागरूकता लाने और इन क्षेत्रों में शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के तरीकों का पता लगाने के लिए दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण देश के विभिन्न भागों में संगोष्ठियां आयोजित कर रहा है। अधिकरण ने वर्ष 2008-09 के दौरान चेन्नै, रांची, पुणे और जोधपुर में चार सेमिनार आयोजित किए। टीडीएसएटी द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों के दौरान उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों सहित विशिष्ट वक्ताओं द्वारा टीडीएसएटी की डिलीवरी सिस्टम की प्रशंसा गई। इन सेमिनारों के प्रवक्ताओं द्वारा मुकदमा दायर करने वाले विभिन्न व्यक्तियों को टीडीएसएटी की रजिस्ट्री द्वारा परामर्श देने की सराहना की गई।

दूरसंचार और प्रसारण संबंधी कानूनों के प्रमाणिक सार-संग्रह का प्रकाशन भी टीडीएसएटी करता है। यह सार-संग्रह निःशुल्क वितरित किया जाता है और स्टेकहोल्डरों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में उद्धरण के उद्देश्य से संदर्भ नियमपुस्तिका के रूप में इस सार-संग्रह को अब प्रयोग किया जाता है।



टीडीएसएटी प्रमुख विधि संस्थानों से विधि छात्रों को इंटरनशिप प्रदान करता रहा है। वर्ष 2008 के दौरान डी ट्यूड्स पॉलिटिक्स संस्थान, पेरिस, फ्रांस के एक विदेशी छात्र सहित विभिन्न संस्थानों के विधि छात्रों ने टीडीएसएटी में इंटरनशिप प्राप्त की।

अधिकरण ने वसूली/दावे के मुकदमें संबंधी मामलों के न्यायालय शुल्क की मूल्यानुसार उगाही करना प्रारंभ किया है। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में काफी वृद्धि हुई। उदाहरणार्थ वर्ष 2004-05 में राजस्व प्राप्तियां 5,47,670/रु0 थी जो वर्ष 2007-08 में बढ़कर 1,73,27,663/-रु0 हो गई। वर्ष 2008-2009 के दौरान राजस्व प्राप्तियां 41,42,883/-रु0 की हुईं।

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के सेक्टर सदस्य के रूप में, टीडीएसएटी आईटीयू तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है।

टीडीएसएटी का अपना वेबसाइट है और अधिकरण के सभी महत्वपूर्ण निर्णय तथा अन्य कार्यकलाप वेबसाइट www.tdsat.nic.in पर उपलब्ध है। अधिकरण का ई-मेल पता है tdsat1@yahoo.co.in. टीडीएसएटी अधिकरण के समक्ष सूचीबद्ध दैनिक मामलों से संबंधित प्रतिनिधि मंडल (लीगेशन) की सूचना पार्टियों को पहुंचाने के उद्देश्य से इस अधिकरण में एसएमएस चेतावनी प्रणाली भी विकसित की है।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



VI. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणी

दूरसंचार विभाग

2008 का प्रतिवेदन सं. सीए 1

एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों से परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली न होना

दूरसंचार विभाग लाइसेंस करार की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार पहले व दूसरे चरण के रोल आउट दायित्वों को विलम्ब से पूर्ण करने/पूर्ण न करने के लिए एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारियों से 400.20 करोड़ रु. की परिनिर्धारित नुकसानी को वसूलने में विफल रहा।

(पैराग्राफ सं. 3.10)

वित्तीय बैंक गारंटी की वसूली न होना

दूरसंचार विभाग, मैं महानगर टेलीफोन निगम लि. से स्पेक्ट्रम प्रभार के प्रतिभूति जमा के लिए 16.63 करोड़ रुपये की वित्तीय बैंक गारंटी प्राप्त करने में असफल रहा।

(पैराग्राफ सं. 3.11)

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के प्रशासन की निष्पादन लेखा परीक्षा

लेखा परीक्षा द्वारा दूरसंचार विभाग में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख कमियां पायी गयीं जो निम्नानुसार थी:-

- 2002-03 से 2006-07 के दौरान सेवा प्रदाताओं से संकलित 14,998.98 करोड़ रुपये की कुल निधि में से केवल 5081.44 करोड़ रुपये अर्थात् सार्वभौमिक सेवा दायित्व(यूएसओ) निधि का 33.87 प्रतिशत ही उपयोग किया गया।

(पैराग्राफ सं. 1.7.1.1)

- देश में दूरसंचार के क्षेत्र में असाधारण विकास और विस्तार के बावजूद ग्रामीण भारत में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार की गति विशेष रूप से बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में बहुत धीमी रही है और इन राज्यों में टेलीघनत्व केवल 0.88 से 1.81 प्रति सैकड़ आबादी के दायरे में ही रहा। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल ग्रामीण टेलीफेनी की प्रगति को बढ़ाने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना के उद्देश्य की प्राप्ति सार्वभौमिक अभिगम लेवी के माध्यम से निधि के पर्याप्त संकलन के बावजूद नहीं हो पायी।

(पैराग्राफ सं. 1.7.1.2)

- सार्वभौमिक अभिगम लेवी के माध्यम से संकलित धनराशि पूर्ण रूप से सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में जमा नहीं हुई।

(पैराग्राफ सं. 1.7.1.1)



- 1850.77 करोड़ रुपये की राजकीय आर्थिक सहायता अप्रैल 2002 से मार्च, 2005 तक के दौरान संस्थापित ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए यह सुनिश्चित किये बिना कि संवितरित धनराशि का संवितरण पात्र ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए ही होगा, अदा कर दी गयी थी।

(पैराग्राफ सं. 1.7.3.1)

- रिलायंस कम्यूनिकेशन और टाटा टेली सर्विसेज के ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों और ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी) की व्यवस्था के लिए 84.50 करोड़ रुपये की राजकीय आर्थिक सहायता एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएसएल) करार में यथापरिकल्पित अन्य सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी सुनिश्चित किये बिना अदा की गयी थी।

(पैराग्राफ सं. 1.7.1.5)

- अवधि के विस्तार के बावजूद उसमें रोल आउट दायित्वों को पूरा न कर पाने के लिए सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं से 20.60 करोड़ रुपये की परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली नहीं हो पायी।

(पैराग्राफ सं. 1.7.1.4)

- ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन(वीपीटी) के लिए सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं(यूएसपी) को प्रदान की गयी 9.25 करोड़ रुपये की राजकीय आर्थिक सहायता की वसूली नहीं हो पायी।

(पैराग्राफ सं. 1.7.3.2)

- मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार विभिन्न सेवा क्षेत्रों में विभिन्न सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं के 407.83 करोड़ रुपये के दावे संचार लेखा नियंत्रक के पास निपटारे के लिए लम्बित रहे।

(पैराग्राफ सं. 1.7.3.7)

- ग्रामीण क्षेत्रों में काफी संख्या में प्रचालक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(टीआरएआई) द्वारा निर्धारित न्यूनतम गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर पाये।

(पैराग्राफ सं. 1.7.4.1)

भारत संचार निगम लिमिटेड

पट्टागत लाइन सेवाओं से राजस्व आय

भारत संचार निगम लिमिटेड(बी एस एन एल) स्थल से स्थल आधार पर अथवा एक नेटवर्क आधार पर एक नगर अथवा भिन्न नगरों के अन्दर विभिन्न स्थलों पर कार्यालयों के बीच आंतरिक संचार के लिए समर्पित दूरसंचार लिंक के रूप में एक विशेष अवधि के लिए अभिदाताओं को पट्टागत लाइन सेवाएं मुहैया कराता है।

बी एस एन एल की पट्टागत लाइन सेवाओं से राजस्व में पांच वर्ष की अवधि में सापेक्ष रूप से धीमी गति पर वृद्धि हुई जो 2001-02 में 349 करोड़ रुपए से 2006-07 में 522 करोड़ रुपए हो गई। लेखापरीक्षा में 517 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व में निःसरण पाया गया जिसमें राजस्व की संभावित हानि, बिलिंग में विलम्ब और बकाया का संचयन शामिल था। यह मुख्यतः पट्टागत सर्किटों के प्रावधान में विलम्बों, सेवाओं और अभिदाताओं पर उपयुक्त डाटबेस के अभाव, टैरिफ के गलत लागू करने और कई वर्षों तक देयों को इकट्ठा विशेषकर निजी पक्षकारों, होने देने के कारण था।

बी एस एन एल को राजस्व निःसरण को कम करने और नियंत्रित करने के लिए उपचारात्मक और समयबद्ध उपाय करने की आवश्यकता है। इसे पूर्व और अद्यतन डाटाबेस का रखरखाव करने, आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ करने, विभिन्न शाखाओं



के बीच और इसके सर्किलों के बीच समन्वय में सुधार करने और बकाया बिलों की वसूलियों की मानीटरिंग करने की आवश्यकता है। पट्टागत लाइन सेवाओं से सम्बन्धित सभी कार्यकलापों का कम्प्यूटरीकरण करने से मितव्ययी ढंग से और दक्षतापूर्वक अधिकतम आउटपुट सुनिश्चित करने में कम्पनी को प्रभावी ढंग से सहायता मिलेगी।

भारत संचार निगम लिमिटेड

अन्य सेवा प्रदाताओं से वसूली के लिए इन्टरकनेक्ट यूसेज चार्जेज के बिल बनाने एवं संग्रहण की प्रणाली

इन्टरकनेक्ट यूसेज चार्जेज (आईयूसी) वे प्रभार हैं जो एक बहु प्रचालक परिवेश में किसी सेवा प्रदाता द्वारा एक अथवा अधिक सेवा प्रदाताओं को कालों के आरम्भ, पारगमन और समापन हेतु नेटवर्क तत्वों के उपयोग करने के लिए दिए जाने होते हैं। जब तक 2005 में कम्पनी ने कम्प्यूरीकृत इंटर आपरेटर बिलिंग एण्ड एकाउंटिंग सिस्टम (आईओबीएएस) आरंभ नहीं किया था तब तक सेकंडरी स्विचिंग क्षेत्रों में आईयूसी का संग्रहण एवं लेखाकरण हाथों से किया जाता था। बकाया दावों की गलत संगणना पूर्व आईओबीएएस तथा आईओबीएएस अवधि से संबंधित 527 करोड़ रूपए के आईयूसी के कम संग्रहण, बकाया दावों की गलत गणना, अभिगम घाटा प्रभारों के कम संग्रहण और कम्प्यूरीकृत बिल प्रणाली से जुड़े कमजोर आंतरिक नियंत्रण के कारण हुआ।

2008 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. सीए 12 (नियमितता लेखापरीक्षा)

अवसंरचना सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए प्रभारों के बिल बनाने तथा संग्रहण करने में कमियों के परिणामस्वरूप अवसंरचना प्रभारों, पोर्ट प्रभारों के बिल नहीं बनाये जाने, प्रभारों का गलत निर्धारण, विलम्बित भुगतान पर ब्याज की गैर वसूली, अभ्यर्पित पोर्टों के सम्बन्ध में निर्धारित देयों की गैर वसूली तथा परिणामस्वरूप निजी सेवा सम्भरकों से 35.26 करोड़ रु. के राजस्व की गैर वसूली, इसके अतिरिक्त खराब नियंत्रण के कारण 71.89 करोड़ रु. के देयों का संचयन हुआ।

(पैराग्राफ 2.1)

आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, दूरसंचार परिमण्डल तथा इसी तरह 12 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र जो कि बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) तथा पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमण्डल के अन्तर्गत आते हैं दोष रहित और/अथवा चालू ग्राम सार्वजनिक दूरभाष कायम रखने में विफल रहे जिससे अप्रैल 2003 से मार्च 2007 की अवधि के लिए 31.26 करोड़ रु. की सबसिडी की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.2)

देयताओं का भुगतान न होने के बावजूद टेलीफोन सुविधाएं जारी रहना

राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व) तथा उत्तरांचल दूरसंचार परिमण्डल के अन्तर्गत 13 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र में किराये के गैर-भुगतान के लिए उपभोक्ताओं और एस टी डी/पी सी ओ आपरेटरों के दूरभाष संयोजन देय तारीख तक काटे जाने की विफलता के परिणामस्वरूप 3.69 करोड़ रु. के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ 2.3)

बिना पते के बिलों के लगातार बनाए जाने से राजस्व में घाटा हुआ

उत्तर पूर्वी-II दूरसंचार परिमण्डल के अधीन दीमापुर सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र में कार्य कर रहे टेलीफोन कनेक्शनों का ऐसे कनेक्शनों के साथ संयोजन किए जाने की संहिता का पालन न करने से जिनका बिल दिया गया बिना पते वाले दूरभाष बिल लगातार बनते रहे और परिणामस्वरूप 3.62 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.4)



भूमिगत केबलों को क्षति के लिए मुआवजे की वसूली न हो पाना

पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व) तथा उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार परिमण्डल के अन्तर्गत 13 सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र भूमिगत तांबे की केबलों में नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति दावों की मांग करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप निजी एजेन्सियों तथा दूरसंचार सेवा सम्भरकों से 2.49 करोड़ रु. की क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ 2.5)

किराये का कम प्रभारण

आंध्र प्रदेश दूरसंचार परिमण्डल के अधीन दो सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र एक्सचेंज की बढ़ी हुई क्षमता के साथ उच्चतर दरों के अनुरूप किराये के बिल जारी करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप 2.35 करोड़ रु. के कम बिल बनाये गये।

(पैराग्राफ 2.6)

बैंको द्वारा धनराशि के विलंबित प्रेषण पर दण्डात्मक ब्याज का बिल न बनाना/कम बिल बनाना

केरल दूरसंचार परिमण्डल के अन्तर्गत सात सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र तथा कलकत्ता दूरभाष जिला बैंक द्वारा दूरभाष बिलों के विलम्बित प्रेषणों पर शास्तिक ब्याज वसूलने में विफल रहे, परिणामस्वरूप 2.09 करोड़ रु. के बिल नहीं बनाये गये/कम बनाये गये।

(पैराग्राफ 2.7)

भा सं नि लि द्वारा उपभोक्ताओं में कमी की प्रवृत्ति व भण्डारों के गत उपभोग को ध्यान में रखे बिना लैंडलाईन दूरभाष सेवा के लिए केबिल, एक्सचेंज उपस्कर व अन्य भण्डारों की अधिप्राप्ति की गई, जिस कारण 794.32 करोड़ रु. मूल्य के इन भण्डारों की अधिक अधिप्राप्ति, निष्क्रियता व अल्पप्रयोग हुआ।

(पैराग्राफ 3.1)

आंध्र प्रदेश दूरसंचार परिमण्डल ने उपलब्ध फालतू टी ए एक्स क्षमता पर विचार किये बिना तथा वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन किये बिना 2004-05 के दौरान ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज अधिप्राप्त किये। इसके परिणामस्वरूप यह निष्क्रिय रहे और 7.96 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.2)

हैदराबाद दूरसंचार जिला ने बिना किसी जरूरत के इसके विद्यमान मॉस कॉलिंग इंटेलेजेंट नेटवर्क में विस्तार किया। प्रबन्धन एक समयवधि से अधिक एम सी आई एन यातायात में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहा और इसलिए एम सी आई एन का उपयोग इष्टतम रूप से नहीं हो सका था। इसके परिणामस्वरूप इसके विस्तार पर 14.20 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.3)

भा सं नि लि. वर्ष 2005-07 के दौरान सेवा कर भुगतान के विरुद्ध सेनवेट क्रेडिट का लाभ प्राप्त करने के लिए परिमण्डल स्तर पर अथवा केन्द्रीकृत नोडल कार्यालयों के माध्यम से सेवा कर की विवरणी दाखिल करने तथा समीक्षा करने में विफल रहा। परिणामतः कुछ सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र जिनमें राजस्व अर्जन कम था, सेनवेट क्रेडिट का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सके थे परिणामस्वरूप 401 करोड़ रु. का अधिक नकद राशि व्यय हुई।

(पैराग्राफ 3.7)



11 परिमण्डलों के अन्तर्गत अठावन सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्रों ने डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सस्ती बिल डाक सेवा जो कि उपभोक्ताओं के लिए दूरभाष बिलों के प्रेषण हेतु थी, प्राप्त नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 15.06 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.8)

अन्तरिक्ष विभाग के लिए भा सं नि लि द्वारा संगृहित किये गये 83.76 करोड़ रु. के अन्तरिक्ष अंश प्रभारों को गलत ढंग से आय शीर्ष में दर्शाया गया इससे आय अधिक दिखाई गयी, इसके परिणामस्वरूप सार्वभौमिक सेवा लेवी की उगाही व आयकर का 9.39 करोड़ रूपयों का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.9)

कर्नाटक दूरसंचार परिमण्डल के अधीन प्रधान महाप्रबंधक, बेंगलूरु दूरसंचार जिला ने सेवाओं के रखरखाव के लिए संस्वीकृत संख्या से अधिक कार्मिक भाड़े पर लिये थे, परिणामस्वरूप 8.18 करोड़ रु. का अनियमित अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.10)

भा सं नि लि ने भारतीय दूरभाष कार्ड की बिक्री के लिये फेन्चाइजी को कमीशन की उच्चतर दर का भुगतान किया। नवम्बर 2005 से सितम्बर, 2006 तक के दौरान फेन्चाइजी का अनुचित लाभ पहुंचाने के कारण 5.33 करोड़ रु. की परिणामी हानि हुई।

(पैराग्राफ 3.13)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

म टे नि लि ने अपनी आवश्यकता का उचित मूल्यांकन किये बिना दिल्ली तथा मुम्बई यूनिट के लिए वायरलैस-इन-लोकल लूप उपस्कर अधिप्राप्त किये। इसके परिणामस्वरूप उपस्कर का उपयोग नहीं हुआ और परिणामतः 219 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.1)

म टे नि लि ने अपनी दिल्ली यूनिट के लिए डब्ल्यू एल एल की प्रस्तावित विस्तार पर आधारित मात्रा आवश्यकता का पूर्वानुमान व मूल्यांकन किये बिना डब्ल्यू एल एल स्थिर बेटार टर्मिनल/हैंड हेल्ड टर्मिनल अधिप्राप्त किये। अपर्याप्त आयोजना के परिणामस्वरूप एफ डब्ल्यू टी/एच एच टी की अधिक अधिप्राप्ति हुई तथा परिणामतः 48.60 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.2)

म टे नि लि की मुम्बई तथा दिल्ली यूनिट द्वारा बाजार सर्वेक्षण या किसी अन्य वैज्ञानिक तरीके पर आधारित अपनी आवश्यकता का उचित मूल्यांकन किये बिना डिजिटल लूप कैरियर की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 33.02 करोड़ रु. मूल्य के डी एल सी का उपयोग नहीं हुआ/कम उपयोग हुआ।

(पैराग्राफ 5.3)

म टे नि लि की दिल्ली तथा मुम्बई यूनिट ने लैंड लाइन दूरभाष में वृद्धि दर में गिरावट पर विचार किये बिना छह दूरभाष एक्सचेंज की सज्जित क्षमता का विस्तार किया। इसके परिणामस्वरूप एक्सचेंज का कम उपयोग हुआ और परिणामतः एक्सचेंज के विस्तार पर 8.16 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.5)



आईटीआई लिमिटेड

कम्पनी ने भा सं नि लि से जेड टी ई मॉडल की एकीकृत स्थिर बेतार टर्मिनलों की आपूर्ति के लिए अग्रिम क्रय आदेश दिये और 9.90 करोड़ रु. की निगम निष्पादन गारंटी (नि नि गा) दी। कम्पनी ने हिन्दुस्तान फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड (एच एफ सी एल) को उचित बैंक गारंटी के बिना इन टर्मिनलों की आपूर्ति के लिए आदेश दिये थे। एच एफ सी एल कम्पनी को टर्मिनलों की वांछित संख्या की आपूर्ति करने में विफल रहा तथा भा सं नि लि ने कम्पनी के साथ आदेश बीच में ही बंद कर दिया था और आपूर्ति बिलों के विरुद्ध 19.80 करोड़ रु. की नि नि गा वसूल की। तथापि, कम्पनी एच एफ सी एल के लम्बित बिलों से नि बै गा से वसूल करने तथा समायोजन से केवल 9.40 करोड़ रु. वसूल कर सकी थी। कम्पनी को 10.40 करोड़ रु. की हानि हुई।

(पैराग्राफ 7.1)

कम्पनी को मनकापुर यूनिट द्वारा व आ सं कार्य की लागत के गलत प्राक्कलन के कारण 3.78 करोड़ रु. की हानि भा सं नि लि की एक जी एस एम परियोजनाओं में हुई थी।

(पैराग्राफ 7.2)

— ★ ★ ★ ★ ★ —



VII. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट)

प्रस्तावना

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार का दूरसंचार अनुसंधान और विकास केन्द्र है।

सी-डॉट फिक्स्ड लाइन, मोबाइल तथा पैकेट आधारित कनवर्ज्ड लाइन नेटवर्कों तथा सेवाओं के लिए संपूर्ण दूरसंचार समाधान, प्रौद्योगिकियाँ तथा अनुप्रयोग विकसित करता है। सी-डॉट में नेटवर्कों और सेवाओं के प्रचालन और प्रबंधन के लिए सेवा प्रदाताओं हेतु उपयोगी सॉफ्टवेयर आधारित प्रौद्योगिकियाँ भी विकसित की हैं। सी-डॉट प्रौद्योगिकियों की भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में सीधे तथा लाइसेंसधारकों के माध्यम से महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज है। सी-डॉट वर्तमान में नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्कों और लागत प्रभावी ग्रामीण दूरसंचार समाधान, सॉफ्टवेयर आधारित प्रणालियाँ, ऑप्टिकल और उपग्रह पारिषण एवं अभिगम्यता प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध कराने और विकसित करने को महत्व दे रहा है, जो नीति-परक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है।

सी-डॉट की उत्पाद सूची में फिक्स्ड लाइन पीएसटीएन प्रणालियाँ, एडवांस्ड इंटेलीजेंट नेटवर्क समाधान, अभिगम्यता नेटवर्क उत्पाद, सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की (एसडीएच) तथा वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग (डब्ल्यू डी एम) प्रणालियाँ, उपग्रह संचार प्रणालियाँ, नेटवर्क प्रबंधन प्रणालियाँ, प्रचालन समर्थन प्रणालियाँ और ग्रामीण वायरलैस अभिगम्यता और कागनेटिव रेडियो, एसडीआर तथा जी एस एम प्रणालियों पर आधारित ब्रॉडबैंड समाधान शामिल हैं। सी-डॉट फील्ड में पहले से स्थापित पारंपरिक प्रणालियों को भी समर्थन दे रहा है।

वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति

● फाइबर तथा उपग्रह पर हाइब्रिट रेट नेटवर्क बैंकबोन

यह योजना उच्च गति का संचार प्रदान करने के लिए ऑप्टिकल तथा उपग्रह के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है। इस प्रौद्योगिकी के अनेक उत्पाद विकसित किए गए तथा नेटवर्क में शामिल किए जाने हेतु प्रौद्योगिकी अनुमोदन सहित इनका सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया गया।

गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जी-पॉन)

वर्तमान में यह स्कीम जी-पॉन (गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क) प्रणाली की डिजाइन तथा विकास पर केंद्रित है। दो प्रकार के ओएनटी अर्थात् घरेलू अनुप्रयोग के लिए एसएफयू (स्मॉल फेमिली यूनिट) से संबंधित ओएनटी-1 तथा ट्रिपल प्ले सर्विस की आपूर्ति के लिए व्यावसायिक अनुप्रयोग हेतु एसओएचओ (स्मॉल ऑफिस/होम ऑफिस) से संबंधित ओएटी-2 तैयार प्रोटोटाइप के साथ पूर्ण हो चुके हैं तथा प्रयोगशाला में एकीकरण परीक्षण चल रहा है।

केन्द्रीय कार्यालय उपकरण अर्थात् ओएलटी (ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन यूनिट) तथा फाइबर-टु-कॉर्ब एक्सेस के लिए बाहरी प्लांट उपकरण अर्थात् ओएनयू (ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट) के लिए विकासपरक कार्यक्रम शुरु किए गए हैं। ओएलटी का परीक्षण तथा सॉफ्टवेयर पोर्टिंग कार्य प्रगति में है।

ओएलटी विकास प्लेटफॉर्म तथा एसएफयू-ओएनटी पर ईथरनेट और पीओटीएस सेवाओं के लिए प्रयोगशाला प्रदर्शन का प्रस्ताव है। दोनों प्रकार के ओएनटी अर्थात् एसएफयू तथा एसओएचओ एवं प्रोटोटाइप ओएलटी की स्वदेशनिर्मित डिजाइन का प्रयोग करते हुए भी इन सेवाओं के लिए प्रयोगशाला प्रदर्शन की योजना है।



- **संचार तथा सुरक्षा अनुसंधान एवं निगरानी
केन्द्रीकृत निगरानी प्रणाली (सीएमएस)**

हाल के समय में दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या और संपर्क में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं की आसान पहुँच के लिए विभिन्न प्रकार की बुनियादी मूल्यवर्द्धित सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। तथापि, अवांछनीय सामाजिक तत्वों द्वारा दूरसंचार ढांचे के इस्तेमाल से गैर-सामाजिक नेटवर्किंग और अपराधिक तत्वों द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियां बढ़ गई हैं।

इस स्कीम को राष्ट्र के दूरसंचार नेटवर्क का असामाजिक तत्वों द्वारा दुरुपयोग करके सुरक्षा को खतरे में डालने और गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों की आवश्यकताओं के अनुसार केन्द्रीकृत कॉल इंटरसेप्शन, निगरानी, लक्षित उपभोक्ताओं के आंकड़ों की सामाजिक नेटवर्किंग के विलेखण, एक छोर से दूसरे छोर तक सुरक्षित कार्य प्रवाह से संबंधित प्रणाली को अनुसंधान, विकास और परीक्षण के लिए तैयार किया गया है।

अनुसंधान और विकास कार्यकलाप अर्थात् "प्रूफ ऑफ कॉन्सैप्ट" स्थापित करने के लिए कानूनी और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सुरक्षा प्रबंधन हेतु केन्द्रीकृत निगरानी प्रणाली (सीएमएस) का डिजाइन और विकास जारी है।

वर्ष के दौरान बहुत-सी प्रौद्योगिकियों के प्रूफ ऑफ कॉन्सैप्ट का केन्द्रीकृत प्लैटफॉर्म पर प्रदर्शन किया गया जिसमें दूरस्थ प्रावधान भी रखा गया। चार महानगरों के लिए बहुप्रचालक, इंटरसेप्शन, निगरानी और विशलेखण के प्रावधान के लिए विविध उपप्रणालियों के स्केलिंगअप, डाटाकेन्द्र के निर्माण, हाई-बैंड संपर्कता तैयार करने, इन्हें एकीकृत करने का काम आगे लक्षित है।





● पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकियां

यहां की भौगोलिक परिस्थितियां, ऊंचे-नीचे क्षेत्र, शेष देश से इसकी दूरी और इसके दूरस्थ इलाकों में थोड़ी- थोड़ी जनसंख्या होने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकियों की विशेष आवश्यकताएं हैं। ऐसे क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का व्यवहार्यता अध्ययन करना जरूरी होता है ताकि उन्हें इस क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सके, कुछ मामलों में विशिष्ट अनुसंधान और विकास कार्य तथा कुछ मामलों में प्रौद्योगिकियों का उन्नयन जरूरी है। सी-डॉट ने इन सभी पहलुओं पर पर्याप्त विकास शुरू किया है ताकि क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार नई प्रौद्योगिकियों का अनुकूलन किया जा सके।

इस योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामने आ रही इन चुनौतियों पर स्वदेशी समाधान विकसित करके ध्यान दिया जा रहा है जो कम लागत के हैं और स्थानीय सहयोग से आसानी से इनका रखरखाव किया जा सकता है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनई-1, एनई-2 तथा असम) में सी-डॉट प्रौद्योगिकी पर आधारित फिक्स्ड लाइनों की संख्या वर्तमान में 0.63 मिलियन है। इस आधार संरचना की क्षमताओं को नई प्रौद्योगिकियों के समावेश से उन्नत करने और बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि प्रौद्योगिकी अंतरण के जरिए नई सेवाओं की संभावनाएं तथा दक्षता बढ़े।

इस क्षेत्र में अपनाने के लिए वर्तमान में वीओआईपी प्रौद्योगिकी, ब्रॉडबैंड वायरलैस प्रौद्योगिकी के लिए संकल्पना प्रदान करना और प्रायोगिक परीक्षण, सी-डॉट फिक्स्ड लाइन प्रौद्योगिकी को अगली पीढ़ी की पैकेट प्रौद्योगिकी में बदलना- प्रूफ ऑफ कॉन्सैप्ट तथा पायलट परीक्षण, नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली आदि पर ध्यान दिया जा रहा है।

एसिमीट्रीकल डिजिटल सबस्क्राइबर लाइन (एडीएसएल)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिलांग में एक 48 पोर्ट कम लागत का आईपी डीएसएलएएम (इंटरनेट प्रोटोकॉल डिजीटल सबस्क्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर) प्रणाली तथा एडीएसएल 2+ सीपीई (कस्टमर प्रैमिसिज इक्विपमेंट) बीएसएनएल नेटवर्क में फील्ड परीक्षण के लिए लगाया गया है। फील्ड परीक्षण चल रहा है।

वीओआईपी

नेक्स्ट जेनरेशन वॉइस ओवर आईपी (वीओआईपी समाधान) प्रौद्योगिकी जिसमें मीडिया गेटवे, सिगनलिंग गेटवे तथा स्वदेश में विकसित सॉफ्ट स्विच उपप्रणालियां हैं, उसे नोएडा, गुडगांव तथा बंगलूर में प्रौद्योगिकी परीक्षण के लिए लगाया गया है। प्रौद्योगिकी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने पर इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुकूलित किया जाएगा तथा इसमें केन्द्रीकृत स्थान पर नियंत्रण स्विच लगाया जाएगा और अपेक्षित क्षेत्र में इससे चलनेवाला उपकरण लगाया जाएगा।

सी-डॉट मैक्स प्रौद्योगिकी (फिक्स्ड लाइन) को अगली पीढ़ी के मैक्स के रूप में वीओआईपी में परिवर्तित करने में मदद करने वाले लाइन एक्सेस गेटवे (एलएजी) का विकास/अनुकूलन किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वीओआईपी प्रौद्योगिकी अपनाए जाने से इस क्षेत्र की फिक्स्ड लाइन प्रौद्योगिकी को अगली पीढ़ी की पैकेट प्रौद्योगिकी में अंतरित करने में मदद मिलेगी।

साझा रेडियो प्रणाली

ग्रामीण तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कठिन पहाड़ी इलाकों में, जहां संपर्क करना एक बड़ी कठिनाई है, ऐसे इलाकों के लिए उपयुक्त साझा रेडियो जीएसएम प्रणाली का विकास किया जा रहा है। यह प्रौद्योगिकी वायरलैस नेटवर्क के



पारेषण संसाधनों अर्थात् बीटीएस (बेस स्टेशन ट्रांसमिस्सिवर), बीएससी (बेस स्टेशन कंट्रोलर) को इस क्षेत्र में लागत प्रभावी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए कारगर होगी।

नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम (एनएमएस)

एनएमएस (नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम) के लिए प्रौद्योगिकी तैयार है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी इसका कार्यान्वयन शामिल है।



● ग्रामीण प्रौद्योगिकियां

यह देखते हुए कि भारत की कुल जनसंख्या का 70 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में है, राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएनपी) में ग्रामीण उत्थान के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव डालते हैं :-

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वार्षिक वृद्धिदर न्यूनतम 7 से 8 प्रतिशत करने के लिए प्रोत्साहन।
2. पुरुष, महिलाओं और बच्चों की शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल।
3. रोजगार के अवसर बढ़ाकर किसानों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण को बढ़ावा देना।



इन पहलुओं से संबंधित उद्देश्यों की सफल पूर्ति को देखते हुए बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं में देश के ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में विश्वसनीय यातायात और संचार सुविधाएं हैं।

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड तथा वीओआईपी सेवाओं के प्रावधान के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देना है। विकास में वीओआईपी आधारित ग्रामीण ब्रॉडबैंड एक्सेस नोड, 2जी तथा इससे आगे के एसडीआर जीएसएम बीटीएस शामिल है।

वीओआईपी आधारित ग्रामीण ब्रॉडबैंड एक्सेस नोड प्रणाली का एकीकरण तथा संपर्क परीक्षण प्रगति पर है, जिसके बाद फील्ड में पायलट प्रौद्योगिकी परीक्षण किया जाएगा।

2जी तथा इससे आगे के एसडीआर जीएसएम बीटीएस कार्यकलाप के लिए कार्यान्वयन प्रगति में है।

- **ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकियाँ**

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ऑप्टिकल, वायरलैस, कॉपर इत्यादि सहित विभिन्न पारेषण माध्यमों पर एक्सेस तथा पारगमन दूरसंचार के लिए पैकेट आधारित ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी के बारे में अनुसंधान और विकास कार्य है। इस समय व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।

- **कार्यनीतिक और उद्यम समाधान**

इस योजना का उद्देश्य कार्यनीतिक और उद्यम संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर उन्मुख अनुप्रयोग तथा समाधान विकसित करना है।

- **नौसेना के लिए एटीएम अनुप्रयोग**

इनमें से कुछ प्रौद्योगिकियाँ अर्थात् एटीएम प्रौद्योगिकी तथा क्लियरिंग हाउस अनुप्रयोग पूर्ण और तैयार हैं। सी-डॉट एटीएम प्रौद्योगिकी के प्रयोग के संबंध में भारतीय नौसेना की अतिरिक्त परियोजनाओं के निष्पादन में मिल कर काम करने के लिए सी-डॉट, बीईएल तथा भारतीय नौसेना के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौतों के अनुसार एआईएसडीएन-17 परियोजना के तीन जहाजों के लिए ऑनबोर्ड प्रौद्योगिकी समर्थन सेवाएं मुम्बई में व्यवसायिक आधार पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों के बीच जीएसएम रोमिंग के लिए डाटा क्लियरिंग हाउस सेवाएं सी-डॉट को एएसपी(एप्लिकेशन सर्विस प्रोवाइडर) मॉडल आधार पर सौंपी गई हैं तथा इस परियोजना को समझौते के अनुसार व्यवसायिक आधार पर निष्पादित किया जा रहा है।

- **नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम (एनएमएस)**

इनके अतिरिक्त, बीएसएनएल तथा एमटीएनएल नेटवर्क में लगाए गए पारेषण तत्वों के प्रबंधन में ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (टीएक्स-एनएमएस) का डिजाइन और विकास कार्य भी चल रहा है।

- **दूरसंचार नेटवर्क तथा एनेबलिंग प्रौद्योगिकी/अध्ययन/पायलट परियोजनाओं पर बुनियादी अनुसंधान**

यह शोधपरक कार्य है जो नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कार्यान्वयन शुरू करने हेतु किया जा रहा है।

पायलट परियोजना शुरू हो चुकी है तथा व्यावहार्यता रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। प्रारंभिक अध्ययनों में से एक की रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।



● विकसित प्रौद्योगिकियों के लिए संवर्द्धन/नए फीचर/उन्नयन/अनुकूलन/तकनीकी समर्थन

यह कलपुर्जों के पुराने हो जाने, फीचर संवर्द्धन तथा नए इंटरफेस के लिए अनुकूलन संबंधी जरूरतें पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यकलाप है। इस संबंध में निम्नलिखित क्षेत्रों में यथेष्ट प्रगति हुई है:-

- ❑ 2-2-1-9 के लिए नए पैच रिलीज का सैंट्रैक्स, विशेष प्राथमिकता कार्यान्वयन, प्रति घंटा तैयार बिलिंग फाइलों, कॉम्पेक्ट इंबेडिड सिस्टम (सीईएस) के लिए इंटरफेस जैसे फीचर हेतु टीईसी द्वारा लाडवा, कुरुक्षेत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। सॉफ्टवेयर को विभिन्न स्थलों पर लगाया गया है और यह संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है। फील्ड में लगाने के लिए पैच रिलीज तैयार है।
- ❑ बिलिंग केन्द्रों को सीडीआर अंतरित करने के लिए सीईएस हेतु भी प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की गई है।
- ❑ सी-डॉट मैक्स प्रौद्योगिकी को पैकेट आधारित प्रौद्योगिकी में अंतरित करने के लिए डिजाइन संवर्द्धन / अनुकूलन कार्य जारी है। वर्ष 2008-09 की अंतिम तिमाही में मैक्स प्रौद्योगिकी को पैकेट आधारित प्रौद्योगिकी में अंतरित करने के लिए उपप्रणालियों का बंगलूर में परीक्षण और फील्ड परीक्षण करने की योजना है। सी-डॉट आईपी डीएसएलएएम तथा एडीएसएल 2+ सीपीई के लिए टीईसी परीक्षण पूर्ण हो चुका है और इसका फील्ड परीक्षण पूर्वोत्तर में शिलांग में 2008-09 की अंतिम तिमाही में किया जाना है।
- ❑ आईएन (इंटेलिजेंट नेटवर्क), सीआईएस (कॉल इंटरसेपन सिस्टम) तथा क्लियरिंग हाउस एप्लीकेशन की विन (वायरलैस आई एन) सेवाओं के लिए संवर्द्धनों के लिए तकनीकी समर्थन/फील्ड परीक्षण किया गया।
- ❑ स्थानीय एनएमएस (एलएनएमएस), उपभोक्ता प्रबंधन तथा बीएसएनएल नेटवर्क में टैक्स एनएमएस प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए ऑन साइट समर्थन नियमित रूप से दिया जाता है।

● परिसर

हॉस्टल तथा आवासीय मकानों के निर्माण हेतु आरेख तैयार कर लिए गए हैं और वास्तुकार ने निर्माण शुरू करने से पहले इनके संवैधानिक मंजूरी के लिए जमा किया है।

● सी-डॉट अल्काटेल रिसर्च सेंटर (सीएआरसी)

यह एक संयुक्त उद्यम कार्यक्रम है और विभिन्न स्थलों पर सीपीई (कस्टमर प्रैमिसिज़ इक्विपमेंट) के पहले रूपांतर का परीक्षण संशोधित बेस स्टोन के साथ शुरू हो गया है। पर्याप्त संख्या में सीपीई पूर्वी यूरोपीय देशों को बेचे गए हैं।

● व्यावसायिक संवर्द्धन

- ❑ सी-डॉट ने बीएसएनएल के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों और एमटीएनएल दिल्ली तथा मुंबई के बीच जीएसएम राष्ट्रीय रोमिंग के लिए वाणिज्यिक आधार पर फरवरी 2009 से डाटा क्लियरिंग हाउस सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के साथ एक समझौता किया है।
- ❑ सी-डॉट ने ग्रामीण ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी परामर्श के संबंध में प्रशासक, यूसोफा तथा दूरसंचार विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।



- ❑ सी-डॉट ने ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के साझा बुनियादी ढांचे की योजना के दूसरे चरण के बारे में तकनीकी परामर्श प्रदान करने के लिए यूसोफा और दूरसंचार विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ❑ सी-डॉट एचवीपी (हाई वोल्टेज प्रोटैक्शन) यूनिट के लिए मैसर्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- ❑ सी-डॉट को बीएसएनएल के 15 स्थानों पर मिस्ड कॉल एलर्ट सिस्टम की आपूर्ति और लगाने का आदेश प्राप्त हुआ है।
- ❑ सी-डॉट ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 11-13 दिसम्बर, 2008 के बीच आयोजित इंडिया टेलीकॉम 2008 में हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में नेक्स्ट जेनरेशन के नेटवर्क उत्पाद और नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम प्रदर्शित किए गए।



सी-डॉट ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 18-20 मार्च, 2009 को आयोजित 17वें कनवर्जेस इंडिया 2009 में हिस्सा लिया।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



VIII. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

	पृष्ठ
VIII.1 भारत संचार निगम लिमिटेड	81-95
VIII.2 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	97-110
VIII.3 आईटीआई लिमिटेड	111-117
VIII.4 टेलिकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	119-124



VIII. 1 भारत संचार निगम लिमिटेड

भूमिका और कार्य

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) : इसका गठन 1 अक्टूबर, 2000 को तत्कालीन दूरसंचार प्रचालन विभाग और दूरसंचार सेवा विभाग के निगमीकरण से किया गया था। इस कम्पनी ने दिल्ली और मुंबई को छोड़कर समूचे देश में दूरसंचार सेवाओं की व्यवस्था करने से सम्बन्धित दूरसंचार विभाग के तत्कालीन कार्यों को अपने हाथ में ले लिया है। 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल के पास लगभग 3.0 लाख के कुशल कार्मिक का एक विशाल आधार है। भारत संचार निगम लिमिटेड भारत सरकार का शत-प्रतिशत स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

भारत संचार निगम लिमिटेड प्रौद्योगिकी प्रधान कम्पनी है और यह सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाएं नामतः लैण्डलाइन पर टेलीफोन सेवाएं, डब्ल्यूएलएल तथा मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इन्टरनेट, पट्टाशुदा सर्किटों और लम्बी दूरी की दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है।

कम्पनी 100% डिजिटल नई प्रौद्योगिकी स्विकन नेटवर्क युक्त प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अग्रणी है। भारत संचार निगम लिमिटेड का राष्ट्र व्यापी दूरसंचार नेटवर्क सभी जिला मुख्यालयों, उपमण्डल मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों और प्रायः सभी खण्ड मुख्यालयों को कवर करता है।

बिजली और परिवहन के साथ-साथ दूरसंचार एक बुनियादी अवसंरचना सुविधा है और इस प्रकार इसे देश में दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ाने के साधन के रूप में मान्यता दी गई है। दूरसंचार द्वारा आधुनिक विश्व में वैश्विक अर्थ-व्यवस्था और एकल विश्व बाजार स्थल की अवधारणा की शुरुआत प्रत्याशित है। अतएव भारत संचार निगम लिमिटेड का दूरसंचार नेटवर्क विश्व के समूचे देशों को वायस और डाटा के रूप में सूचना का परिवहन करने के लिए अभिगम प्रदान करने वाले आधुनिक वैश्विक नेटवर्क का भाग बन गया है।

2008-09 की विशेषताएं

भारत संचार निगम लिमिटेड(बीएसएनएल) दिल्ली और मुंबई को छोड़कर 24 दूरसंचार सर्किटों और चेन्नै तथा कोलकाता 2 महानगरीय जिलों के माध्यम से समूचे देश में दूरसंचार सेवाओं का प्रचालन करता है।

भारत संचार निगम लिमिटेड देश में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा दूरसंचार प्रदाता है जिसके पास 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 814.91 लाख उपभोक्ता हैं। 2008-09 के दौरान इसने अपने उपभोक्ता आधार में 91.52 लाख और उपभोक्ताओं को जोड़ा है।

भारत संचार निगम लिमिटेड ने 2001 की जनगणना के अनुसार 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार देश में 5.94 लाख गांवों में से 5.20 लाख गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन(वीपीटी) प्रदान कर दिया है। 2008-09 के दौरान इसने 29304 गांवों को वीपीटी प्रदान किया जिससे कवरेज बढ़कर 5.49 लाख गांवों की हो गयी है।

31.03.2008 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों की कुल संख्या 255.65 लाख (अर्थात् कुल सीधी एक्सचेंज लाइनों का 35.34%) थी। 2008-09 के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड ने 36.22 लाख ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों और जोड़ीं जिससे ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों की संख्या बढ़कर 292.04 लाख (अर्थात् कुल सीधी एक्सचेंज लाइनों का लगभग 35.84%) हो गयी।

भारत संचार निगम लिमिटेड अपने नेटवर्क में वायरलेस सेवा प्रदान करता है। 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार इसके नेटवर्क में 407.87 लाख वायरलेस (डब्ल्यूएलएल-एम3जीएसएम-एम) कनेक्शन थे। 2008-09 के दौरान इसने 113.57 लाख मोबाइल कनेक्शन और जोड़ा जिससे मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 521.44 लाख हो गयी।



भारत संचार निगम लिमिटेड अपने नेटवर्क में डब्ल्यूएलएल टेलीफोन सेवा भी प्रदान करता है। 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार नेटवर्क में 45.78 लाख डब्ल्यूएलएल टेलीफोन कनेक्शन थे। 2008-09 के दौरान इसने नेटवर्क में 8.55 लाख डब्ल्यूएलएल कनेक्शन और जोड़े जिससे डब्ल्यूएलएल कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 54.33 लाख हो गयी।

31.03.2008 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड के पास 467.61 लाख लाइनों की परिसज्जित क्षमता युक्त 38,158 वायर लाइन टेलीफोन एक्सचेंज हैं और वायरलाइन टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 315.52 लाख है। 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार जहां तक वायर लाइन की स्थिति का सम्बन्ध है, 461.92 लाख लाइनों की परिसज्जित क्षमता युक्त टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 38231 है और टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 293.46 लाख है।

भारत संचार निगम लिमिटेड उच्च गति की ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करता है और इसके पास 31.03.2008 तक 20.32 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं। इसने 2008-09 के दौरान 15.25 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन और जोड़े हैं जिससे ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 35.57 लाख हो गयी है।

भारत संचार निगम लिमिटेड इन्टरनेट सेवा प्रदाता(आईएसपी) है। यह फुलरेंज की इन्टरनेट सेवा प्रदान करता है जिसके लिए इसने नेशनल इन्टरनेट बैकबोन(एनआईबी) संस्थापित किया है। 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड 36.02 लाख इन्टरनेट कनेक्शन प्रदान किया है। 2008-09 के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड 1.31 लाख इन्टरनेट कनेक्शन और जोड़े हैं जिससे इन्टरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 36.93 लाख हो गयी है।

वित्तीय निष्पादन

1 अक्टूबर, 2000 से पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा विभाग/दूरसंचार प्रचालन विभाग की परिसंपत्तियां और देनदारियां भारत संचार निगम लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गईं। 1 अक्टूबर, 2000 को भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ली गई परिसंपत्तियां(अचल परिसंपत्तियां/सीडब्ल्यूआईपी एवं वस्तु सूची आदि) का मूल्य 63461 करोड़ रु. आकलित किया गया। भारत संचार निगम लिमिटेड को अंतरित की गई परिसंपत्तियों से उसे प्राप्त पूंजी ढांचे में 5000 करोड़ रु. की इक्विटी, 7500 करोड़ रु. की अधिमानी इक्विटी, 3056 करोड़ रु. का सरकारी ऋण, एमटीएनएल से 3056 करोड़ रु. का ऋण, एवं आरक्षित निधि के रूप में 40405 करोड़ रु. अधिशेष शामिल हैं।

भारत संचार निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान कुल 38053 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा और ट्राई द्वारा अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) में कमी कर दिये जाने के बावजूद कम्पनी ने कर पश्चात 3,009 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इस वर्ष के दौरान कम्पनी के निवल मूल्य में 1180 करोड़ रुपये की भी वृद्धि हुई जिससे यह बढ़कर 88128 करोड़ रुपये हो गयी।

भारत संचार निगम लिमिटेड ने वर्ष 2007-08 के दौरान सरकार को कुल 1500 करोड़ रुपये का लाभांश अदा किया है।

2008-09 के दौरान उपलब्धियां

क्र. सं.	पैरामीटर	यूनिट	2008-09 के दौरान उपलब्धियां	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार
1	वायरलाइन कनेक्शन	अदद	(-) 22,05,865	2,93,46,431
2	डब्ल्यूएलएल कनेक्शन	अदद	8,55,306	54,33,038
3	मोबाइल कनेक्शन	अदद	1,05,02,156	4,67,11,196
4	ब्रॉडबैंड कनेक्शन	अदद	15,35,035	35,57,471
5	इन्टरनेट कनेक्शन	अदद	1,31,091	36,93,423



इन्टेलीजेन्ट नेटवर्क

इन्टेलीजेन्ट नेटवर्क प्लेटफार्म (4 आर सामान्य प्रयोजन और 1 मास कालिंग) की 5 नई प्रौद्योगिकी चालू हो जाने से समूचे देश में इन्टेलीजेन्ट नेटवर्क सेवाएं उपलब्ध हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न आईएन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे आईटीसी व कॉल नाउ (प्रीपेड कालिंग कार्ड्स), एसीसी (एकाउंट कार्ड कालिंग), एफपीएच (फ्री फोन), यूएएन(यूनिवर्सल एक्सेस नम्बर), पीआरसी(प्रीमियम रेट कालिंग), वायस वीपीएन(वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क), यूपीएन(यूनिवर्सल पर्सनल नम्बर) व टेलीवोटिंग एवं फिक्स्ड लाइन प्री-पेड(एफएलपीपी) सेवा।

टेली-वोटिंग सेवा हैदराबाद स्थित बीएसएनएल के मास कालिंग आई एन प्लेटफार्म द्वारा इण्डियन आइडल, " कौन बनेगा करोड़पति " (केबीसी), " सारेगामा " इत्यादि जैसे कार्यक्रमों को प्रदान की जाती है।

फिक्स्ड लाइन प्री-पेड(एफएलपीपी) टेलीफोनी सेवा पीसीओ के लिए उपलब्ध है।

एफएलपीपी प्री-पेड ओवर पोस्ट पेड सेवा टेलीफोन कनेक्शन पर उपलब्ध है।

बीएसएनएल लैण्डलाइन, बीएसएनएल सेल वन व एमटीएनएल लैण्डलाइन सहित संयुक्त वायस वीपीएन सेवा उपलब्ध है।

भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अधिकांशतः सभी प्राइवेट प्रचालकों के नेटवर्क के माध्यम से बीएसएनएल की टोल और यूएएन सेवा उपलब्ध कराने के लिए अन्तः प्रचालनीयता करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

इन्टेलीजेन्ट नेटवर्क सेवाओं के प्री-पेड कालों की आन लाइन बिक्री उपलब्ध है।

कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी

सीडीआर - परियोजना का प्रूफ आफ कन्सेप्ट(पीओसी) चरण शुरू हो गया है। सीडीआर परियोजना के डाटा केन्द्र पूरबी, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी अंचलों के लिए कोलकाता, हैदराबाद, पुणे और चण्डीगढ़ में अवस्थित हैं। ये 4 डाटा केन्द्र संबंधित अंचलों में सर्किलों की लैण्ड लाइन सेवाओं से संबंधित सभी कार्यकलापों की देखरेख डाटा संलग्न है।

भारत संचार निगम लिमिटेड के सभी सर्किलों में कस्टमर केयर पोर्टल का कार्यान्वयन किया जा चुका है।

आज की स्थिति के अनुसार 330 एसएसए में एकीकृत बिलिंग और वाणिज्यिक पैकेजों की शुरूआत की गई है। इस प्रकार उपभोक्ता संबंधी सी क्रियाकलापों का प्रभावी रूप में कम्प्यूटरीकरण करके बेहतर उपभोक्ता सेवा प्रदान की जा रही है। 265 एसएसए में पीएसटीएन कॉल सेंटर सुविधा शुरू की गई है जो सभी उपभोक्ता आवश्यकताओं और शिकायतों के निपटान हेतु एकल स्थल पद्धति है।

भारत संचार निगम लिमिटेड को 15 सर्किलों में वेब बेज्ड टेलीग्राफ मेसेजिंग सिस्टम (डब्ल्यूटीएमएस) का कार्यान्वयन किया गया है और शेष सर्किलों में इसका कार्यान्वयन क्रमिक रूप से किया जा रहा है।

सभी 4 अंचलों के लिए आईएमपीसीएस चरण 6 के विस्तार हेतु ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम व बिजनेस सपोर्ट सिस्टम (ओएसएस व बीएसएस) की खरीद के लिए निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया चल रही है।

ग्रामीण टेलीफोनी

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)

- 2001 की जनगणना के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा 31.3.2009 तक देश के 593601 गांवों में से 549294 गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गयी है।



- भारत संचार निगम लिमिटेड ने 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 100 से अधिक की जनसंख्या वाले आबाद गांवों और 66822 निर्विवादित, शांत, अभिगम्य गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए यूएसओएफ दूरसंचार विभाग के साथ एक करार किया है। यूएसओ निविदा के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड को आवंटित 66822 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनो में से 31.3.2009 तक 57,181 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किये जा चुके है।
- भारत संचार निगम लिमिटेड ने जनगणना 2001 के अनुसार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा से वंचित अभिनव अभिज्ञात 62443 आबाद गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग के साथ एक करार किया है। 62443 आवंटित गांवों में से भारत संचार निगम लिमिटेड ने मार्च, 2009 तक 20527 गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिया है।



प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 18 से 20 मार्च, 2009 के दौरान आयोजित कन्वर्जेस इंडिया-2009 प्रदर्शनी के दौरान आईटीआई स्टाल पर श्री कुलदीप गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल और श्री तेजबीर सिंह, निदेशक – विपणन, आईटीआई चर्चा करते हुए

ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी)

भारत संचार निगम लिमिटेड ने 1991 की जनगणना के अनुसार 2000 से अधिक की आबादी वाले 24822 गांवों में, जिनमें ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के अलावा कोई सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा नहीं है, ग्रामीण सामुदायिक फोन सुविधा प्रदान करने के लिए यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग के साथ सितम्बर, 2004 में एक करार किया है। तदनन्तर यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग द्वारा ग्रामीण सामुदायिक फोन प्रदान करने के लिए इस करार को संशोधित करके 21958 गांव कर दिया गया था। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा फरवरी, 2009 की समाप्ति तक 21958 ग्रामीण सामुदायिक फोन प्रदान कर दिये गये हैं।



एमएआरआर आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को बदलना

बीएसएनएल ने ऐसे 185,121 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (पूर्व में आवंटित 1,86,872 से संशोधित) को, जो पहले मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे थे, बदलने के लिए यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग के साथ करार पर हस्ताक्षर किए। 31.03.2009 तक कुल 183,865 एमएआरआर आधारित वीपीटी बदले जा चुके हैं।

टेलीग्राफ सेवाएं

31.03.2009 की स्थिति के अनुसार देश में विभिन्न प्रकार के टेलीग्राफ कार्यालयों की संख्या नीचे दर्शाई गई है :

1.	केंद्रीय टेलीग्राफ कार्यालय (सीटीओ)	87
2.	टेलीग्राफ कार्यालय (टीओ)	169
3.	दूरसंचार केंद्र (टीसी)	169
4.	सयुक्त डाक और तार कार्यालय (सीओ)	416
	कुल	841

टेलीग्राफ नेटवर्क का आधुनिकीकरण

31.03.2009 की स्थिति के अनुसार तार भेजने के लिए असम और झारखंड दूरसंचार सर्किल को छोड़कर सभी सर्किलों में एक नई वेब आधारित टेलीग्राफ मेसेजिंग प्रणाली (डब्ल्यूटीएमएस) शुरू की गई है।

टेलीग्राफ कार्यालयों और दूरसंचार केंद्रों को ग्राहक सेवा केंद्र के रूप में बदलना

वर्ष 2008-09 में घाटा उठाने वाले और कम राजस्व अर्जित करने वाले कुल 695 टेलीग्राफ कार्यालयों को ग्राहक सेवा केंद्र के रूप में बदला गया ताकि उन्हें बीएसएनएल के हित में लाभकारी ढंग से उपयोग में लाया जा सके।

दूरसंचार फैक्ट्रियां

कोलकाता, गोपालपुर, खड़गपुर, जबलपुर, भिलाई, रिच्छई और मुंबई में स्थित दूरसंचार फैक्ट्रियां, बीएसएनएल की घरेलू विनिर्माण इकाइयां हैं। वर्तमान में ये विनिर्माण इकाइयां पे फोन्स, मिनी पिलर्स, सीटी बॉक्स, डीपी बॉक्स, लाइन जैक यूनिट, ओएफसी अनुषंगी, एफडीएमएस, टॉवर, एसएस ड्रॉप तार और जॉइनिंग किट्स, डीडीएफ और सिम कार्ड आदि का उत्पादन कर रही हैं। बदलते दूरसंचार परिवेश में, दूरसंचार फैक्ट्रियां बीएसएनएल को विनिर्माणकारी और सेवा सहायता संगठन के रूप में सहायता देने के लिए नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। परंपरागत उत्पादों की मांग में लगातार हो रही कमी तथा कर्मचारियों की लगातार घट रही संख्या के कारण उत्पन्न हो रही सभी बाधाओं के बावजूद दूरसंचार फैक्ट्रियों ने 2008-09 के दौरान 4,099 टावरों की आपूर्ति की है। सभी सातों दूरसंचार फैक्ट्रियों को अब आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। इनके अतिरिक्त, दूरसंचार फैक्ट्री, मुंबई को भी जुलाई, 2008 में आईएसओ : 14001 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

फैक्ट्रियाँ सी-डॉट/ई-10बी एक्सचेंज कार्डों और फैक्ट्रियों के अन्य उत्पादों की मरम्मत के लिए कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, जबलपुर, भिलाई, जयपुर, बेंगलुरु और विजयवाड़ा स्थित सेवा सहायता केंद्रों के माध्यम से मरम्मत संबंधी क्रियाकलापों में लगी हैं।



अंतर्राष्ट्रीय संबंध

2008-09 के दौरान क्रियाकलाप

2008-09 के दौरान विभिन्न क्रियाकलापों के लिए बीएसएनएल के कुल 211 अधिकारियों को विदेशों में प्रतिनियुक्त किया गया। बीएसएनएल में कार्य कर रहे अधिकारियों के ज्ञान और उनकी कार्य कुशलता को अपग्रेड करने के लिए इनमें से 103 अधिकारियों को विभिन्न प्रौद्योगिकीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विदेशों में प्रतिनियुक्त किया गया।

बीएसएनएल के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूरित उपस्करों के आपूर्तिकर्ता के परिसरों/प्रयोगाला में परीक्षण और विधिमान्यीकरण के लिए 14 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर विदेश भेजा गया।

94 अधिकारियों को प्रदर्शनी/बैठक/सम्मेलन/व्यावसायिक दौरों के लिए भेजा गया ताकि वे दूरसंचार के क्षेत्र की नवीनतम घटनाओं के बारे में मौकों पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकें।

इनके अतिरिक्त बीएसएनएल के 10 अधिकारियों ने निजी क्षेत्र से संबंधित विषयों पर गठित क्षेत्रीय कार्य दल के आइटीयू मंच : एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र की नई दिल्ली में 3-5 अप्रैल 2008 के दौरान हुई बैठक में भाग लिया।



भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नई दिल्ली में 'इंडिया टेलीकॉम-2008' के अवसर पर विदेशी प्रतिभागियों के साथ



चुनिंदा क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का विकास

विशेष संघटक योजनाएं : बीएसएनएल की वार्षिक योजना में विशेष संघटक योजनाओं के तहत (1) पूर्वोत्तर क्षेत्र, और (2) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के तेजी से विकास पर विशेष बल दिया गया है। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

पूर्वोत्तर क्षेत्र : पूर्वोत्तर क्षेत्र में आठ राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम शामिल हैं। इन राज्यों को निम्नानुसार बीएसएनएल के चार दूरसंचार सर्किलों द्वारा कवर किया जा रहा है :-

क्र० सं०	सर्किल का नाम	राज्य का नाम
1.	असम	असम
2.	पूर्वोत्तर -1	मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा,
3.	पूर्वोत्तर - 2	नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश
4.	पश्चिम बंगाल	सिक्किम

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की नेटवर्क स्थिति : पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सुविधाओं की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है :

क्र० सं०	राज्य का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज	कुल क्षमता (लाइनों में)	कुल सीधी एक्सचेंज लाइनें (संख्या)	प्रतीक्षा सूची (वायरलाइन)	2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण सार्वजनिक फोन
1	असम	605	19,27,033	13,24,128	447	23,369
(2ए)	मेघालय	119	2,45,335	1,55,753	0	2,873
(2बी)	मिजोरम	99	1,69,632	1,33,399	107	679
(2सी)	त्रिपुरा	126	3,04,807	2,80,378	0	722
	पूर्वोत्तर-1	344	7,19,774	5,69,530	0	4,274
(3ए)	अरुणाचल प्रदेश	106	2,57,780	2,57,886	0	1,169
(3बी)	मणिपुर	53	1,81,556	1,81,609	109	1,786
(3सी)	नागालैंड	63	2,56,858	2,56,921	0	1,111
	पूर्वोत्तर-2	222	6,96,194	5,35,179	109	4,066
4	सिक्किम	47	1,33,800	1,11,552	0	374
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,218	34,76,801	25,40,389	663	32,070



विकास स्थिति :- वर्ष 2008-09 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

मद	2008-09	
	लक्ष्य	उपलब्धि
निवल स्विचन क्षमता (लाइनें) (वायरलाइन+डब्ल्यूएलएल+सीएमटीएस)	385,000	451,585
सीधी एक्सचेंज लाइनें (संख्या)		
(i) स्थिर	60,600	-55,998
(ii) मोबाइल	261,000	106,479
ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन(सं०)(2001 की जनगणना के अनुसार)	4,088	1,402
ब्रॉडबैंड क्षमता (पोर्ट)	28,600	70,460
ब्रॉडबैंड कनेक्शन (संख्या)	24,200	29,431
इंटरनेट कनेक्शन (संख्या)	12,500	3,965

टेली-घनत्व : 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शनों की स्थिति और राज्यों/सर्किलों वार टेलीघनत्व का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

राज्य का नाम	टेली-घनत्व				
	बीएसएनएल शहरी	बीएसएनएल ग्रामीण	बीएसएनएल कुल	सभी प्रचालक	बीएसएनएल के योगदान का प्रतिशत
असम	20.45	1.71	4.44	20.59	21.54
मेघालय	19.29	2.67	6.08	28.62	29.95
मिजोरम	17.96	8.63	13.51		
त्रिपुरा	25.57	3.93	7.94		
पूर्वोत्तर-1	21.30	3.86	8.04		
अरुणाचल प्रदेश	40.72	6.43	15.97		
मणिपुर	13.27	2.42	5.29		
नागालैंड	38.75	3.59	9.76		
पूर्वोत्तर-2	27.36	3.69	9.21		
सिक्किम	96.30	7.73	18.85		
संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र	21.70	2.37	5.86	27.83	24.70
कुल	17.02	3.57	7.25	36.94	18.98



जनजातीय उपयोजना

जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक योजना का एक हिस्सा है। जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के संतुलित और त्वरित विकास के लिए इन्हें विशेष महत्व का क्षेत्र माना गया है। जनजातीय उपयोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं : (i) जनजातीय क्षेत्रों में मांग पर दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराना (ii) जनजातीय क्षेत्रों के सभी एक्सचेंजों में एनएसडी सुविधा उपलब्ध कराना और (iii) सभी जनजातीय ग्रामों में सार्वजनिक दूरभाष उपलब्ध कराना।

जनजातीय क्षेत्र अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर-I, पूर्वोत्तर-II, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और पश्चिम बंगाल राज्यों में पड़ते हैं।

जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के तहत वर्ष 2008-09 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

क्र०सं०	मदें	2008-09	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1.	टेलीफोन एक्सचेंज (सं०)	12	13
2.	स्विचन क्षमता (लाख लाइनें)	23.90	10.47
3.	डीईएल (लाख लाइनें)	15.85	9.12
4	ओएफसी (रुट कि.मी.)	2,388	3,693

कर्मचारी कल्याण

बीएसएनएल द्वारा किए गए उपाय/प्रदान की गई सुविधाएं

बीएसएनएल अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए बीएसएनएल के कल्याणकारी उपायों के भाग रूप में विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है। इसने वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों पर 10.80 करोड़ रु० व्यय किए हैं।

बीएसएनएल कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

बीएसएनएल कर्मचारियों के अध्ययनरत बच्चों को बुक अवार्ड और प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।

उन बीएसएनएल कर्मचारियों के परिवार को 15000/- रु० की तत्काल वित्तीय सहायता जिनकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है।

गंभीर बीमारी और बड़े सर्जिकल आपरेशन के मामले में 25000/- की वित्तीय सहायता।

प्राकृतिक आपदा/सांप्रदायिक हिंसा/उग्रवादी हमलों के पीड़ितों को अधिकतम 3000/- रु० की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है।

पर्यटन यात्राओं का आयोजन और वाहन किराए में वित्तीय सहायता।



दूरसंचार महिला सहकारी संघ (टीडब्ल्यूसीओ)/दूरसंचार महिला कल्याण संघ (टीडब्ल्यूडब्ल्यूओ) को सहायता अनुदान

इन संस्थाओं का मुख्य कार्य/उद्देश्य कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण को बढ़ावा देना है और इसके मुख्य क्रियाकलाप निम्नवत् हैं :

पी और टी आवासीय बस्तियों और कार्यालयों में बच्चों की देख भाल के लिए क्रेच की स्थापना करना। देशभर में 8 क्रेच हैं।

टीडब्ल्यूसीओ/टीडब्ल्यूडब्ल्यूओ को बीएसएनएल कर्मचारियों के बच्चों और उनके पति/पत्नियों को प्रशिक्षण हेतु दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्रों की कम्प्यूटर सुविधाओं के उपयोग की अनुमति दी गई है।

बीएसएनएल के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के प्रयोग के लिए देशभर में 25 होली-डे होम हैं।

कार्य स्थान पर यौन उत्पीड़न

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों से निपटने के लिए निगमित कार्यालय, सभी सर्किलों और उनकी फील्ड इकाइयों में शिकायत समिति का गठन किया गया है।

कर्मचारी शिकायत निवारण

कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए निगमित कार्यालय और सर्किल/गौण स्विकन क्षेत्र स्तर पर कर्मचारी शिकायत प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।

खेलकूद गतिविधियाँ

बीएसएनएल ने अपने स्थापित होते ही समूह "ग" और "घ" पदों में प्रतिवर्ष प्रति परिमंडल पाँच उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भर्ती करना शुरू किया और अब तक 337 खिलाड़ी भर्ती किए जा चुके हैं।

वर्ष 2008 में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, एक सेवा प्रगति नीति बनाई गई है और अब तक 56 खिलाड़ियों को अगला उच्च ग्रेड मंजूर किया गया है। सभी समूह "घ" खिलाड़ियों को कनिष्ठ खेल सहायक का पदनाम दिया गया है। ऐसे खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें तथा जीतने वाली टीम के कोच को संचार क्रीड़ा पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसमें 10,000 रु० का नगद इनाम, एक रजत पदक और एक प्रशस्ति सम्मिलित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल-कूद प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता के लिए नगद इनाम दिया जाता है।

बीएसएनएल खेल बोर्ड 12 परिसंघों से संबद्ध है। अखिल भारतीय बीएसएनएल खेल प्रतियोगिता में चयनित टीम विभिन्न परिसंघों जिनसे बीएसएनएल संबद्ध है, द्वारा आयोजित राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने भेजी जाती है।

15 अखिल भारतीय बीएसएनएल खेल-कूद प्रतियोगिताओं और एक सांस्कृतिक समारोह आयोजित करने के लिए खेल अनुदान दिया जा रहा है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

सीएसआर के तहत विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए और निगमित कार्यालय और प्रादेशिक परिमंडल पर बीएसएनएल निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएमआर) बोर्ड बनाया गया है।

बीएसएनएल में सीएसआर नीति लागू करने के लिए वर्ष 2008-09 के लिए पांच करोड़ रु० आबंटित किए गए हैं और निम्नलिखित गतिविधियाँ कार्यान्वित की गई है।



असम परिमंडल में एक प्रायोगिक सीएसआर परियोजना शुरू की गई है जिसके लिए एक 80,48,850/- ₹ की राशि आबंटित की गई है। सितंबर 2008 में बिहार के बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष को एक करोड़ ₹ दान दिए गए।

वर्ष 2008-09 के लिए विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के लिए 24 परिमंडलों को बीएसएनएल ने 3,50,62,500/- ₹ आबंटित किए।

विभिन्न शीर्षों के तहत व्यय के लिए प्रावधान निम्नवत् है :

स्वास्थ्य : विभिन्न परिमंडलों द्वारा सरकारी अस्पतालों को 1.05 करोड़ ₹ की लागत से 42 रोगी वाहन दान देने के लिए प्रावधान किया गया।

शिक्षा : विभिन्न परिमंडलों द्वारा शारीरिक विकलांग/मंदबुद्धि बच्चों के लिए स्कूलों और अनाथालयों को 1.05 करोड़ ₹ की लागत पर प्रिन्टर और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ 210 पी0सी0 के दान का प्रावधान किया गया।

जीएसएम मोबाइल पीसीओ : शारीरिक विकलांग लोगों को ट्राई साईकिल/रिक्शा पर लगे हुए 1,40,62,500/- ₹ की लागत पर 750 जीएसएम मोबाइल पीसीओ का प्रावधान।



तालिका - 1

31 मार्च 2009 और 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों और सीधी एक्सचेंज लाइनों की स्थिति

क्र० सं०	सर्किल	की स्थिति के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या		की स्थिति के अनुसार सीधी एक्सचेंज लाइनें (फिक्स + डब्ल्यूएलएल + सीएमटीएस)	
		31.3.2009	31.3.2008	31.3.2009	31.3.2008
1	अंडमान और निकोबार	48	50	99,037	82,702
2	आंध्र प्रदेश	4,166	4,003	5,657,526	4,930,309
3	असम	605	597	1,324,128	1,348,990
4	बिहार	1,235	1,223	3,148,722	2,235,990
5	छत्तीसगढ़	633	625	1,157,157	959,637
6	गुजरात	3,225	3,218	4,574,565	4,379,402
7	हरियाणा	1,285	1,274	2,580,484	2,260,206
8	हिमाचल प्रदेश	1,095	1,062	1,267,336	1,050,291
9	जम्मू और कश्मीर	369	372	1,170,478	1,181,566
10	झारखण्ड	492	479	1,260,723	1,086,690
11	कर्नाटक	2,753	2,727	4,916,904	4,400,013
12	केरल	1,241	1,241	6,554,016	6,255,762
13	मध्य प्रदेश	2,558	2,686	3,317,684	2,863,189
14	महाराष्ट्र	4,937	4,942	7,086,925	7,062,222
15	पूर्वोत्तर-I	344	330	569,530	527,869
16	पूर्वोत्तर-II	222	223	535,179	524,386
17	उड़ीसा	1,163	1,159	2,250,870	1,943,240
18	पंजाब	1,529	1,542	4,241,213	3,445,026
19	राजस्थान	2,334	2,335	4,721,530	4,102,948
20	तमिलनाडु	2,030	2,086	5,572,185	5,144,949
21	उत्तर प्रदेश (पू०)	2,280	2,296	7,538,520	6,028,043
22	उत्तर प्रदेश (प०)	975	977	2,780,005	2,474,761
23	उत्तराखंड	458	455	1,120,078	1,010,049
24	पश्चिम बंगाल	1,385	1,385	2,960,002	2,620,872
25	कोलकाता	542	550	2,948,318	2,427,517
26	चेन्नई	327	321	21,37,550	1,992,439
	बीएसएनएल जोड़	38,231	38,158	81,490,665	72,339,068



तालिका - 2

31 मार्च, 2009 और 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार
ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

क्र० सं०	सर्किल	2008-09			2007-08		
		ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शन	बीएसएनएल के कुल टेलीफोन कनेक्शन	ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों का प्रतिशत	ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शन	बीएसएनएल के कुल टेलीफोन कनेक्शन	ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों का प्रतिशत
1	अंडमान और निकोबार	47,972	99,037	48.44	40,124	82,702	48.52
2	आंध्र प्रदेश	2,417,557	5,657,526	42.73	1,918,666	4,930,309	38.92
3	असम	436,504	1,324,128	32.97	443,150	1,348,990	32.85
4	बिहार	1,296,414	3,148,722	41.17	859,123	2,235,990	38.42
5	छत्तीसगढ़	330,966	1,157,157	28.60	251,691	959,637	26.23
6	गुजरात	1,554,297	4,574,565	33.98	1,485,914	4,379,402	33.93
7	हरियाणा	1,394,394	2,580,484	54.04	976,661	2,260,206	43.21
8	हिमाचल प्रदेश	902,976	1,267,336	71.25	778,733	1,050,291	74.14
9	जम्मू और कश्मीर	169,412	1,170,478	14.47	164,623	1,181,566	13.93
10	झारखण्ड	339,878	1,260,723	26.96	276,133	1,086,690	25.41
11	कर्नाटक	1,251,964	4,916,904	25.46	1,173,746	4,400,013	26.68
12	केरल	4,002,329	6,554,016	61.07	3,788,502	6,255,762	60.56
13	मध्य प्रदेश	870,893	3,317,684	26.25	740,782	2,863,189	25.87
14	महाराष्ट्र	2,756,760	7,086,925	38.90	2,664,574	7,062,222	37.73
15	पूर्वोत्तर-I	208,038	569,530	36.53	182,249	527,869	34.53
16	पूर्वोत्तर-II	164,126	535,179	30.67	146,792	524,386	27.99
17	उड़ीसा	1,080,258	2,250,870	47.99	887,104	1,943,240	45.65
18	पंजाब	1,871,669	4,241,213	44.13	1,490,377	3,445,026	43.26
19	राजस्थान	1,696,444	4,721,530	35.93	1,496,124	4,102,948	36.46
20	तमिलनाडु	1,469,961	5,572,185	26.38	1,479,073	5,144,949	28.75
21	उत्तर प्रदेश (पू०)	2,216,969	7,538,520	29.41	1,970,116	6,028,043	32.68
22	उत्तर प्रदेश (प०)	663,218	2,780,005	23.86	575,044	2,474,761	23.24
23	उत्तराखण्ड	421,451	1,120,078	37.63	353,756	1,010,049	35.02
24	पश्चिम बंगाल	1,517,134	2,960,002	51.25	1,300,568	2,620,872	49.62
25	कोलकाता	0	2,948,318	—	0	2,427,517	—
26	चेन्नई	122,737	2,137,550	5.74	121,445	1,992,439	6.10
	बीएसएनएल जोड़	29,204,321	81,490,665	35.84	25,565,070	72,339,068	35.34



तालिका - 3

2001 की जनगणना के अनुसार 31 मार्च, 2009 और 31 मार्च 2008 को
ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की स्थिति

क्र० सं०	सर्किल	2001 की जनगणना के अनुसार कुल जांच	31.03.2009 के अनुसार		31.03.2008 के अनुसार	
			वीपीटी युक्त गांव	वीपीटी युक्त गांवों का प्रतिशत	वीपीटी युक्त गांव	वीपीटी युक्त गांवों का प्रतिशत
1	अंडमान और निकोबार	501	271	54.09	179	35.73
2	आंध्र प्रदेश	26,613	21,600	81.16	20,396	76.64
3	असम	25,124	23,369	93.01	22,407	89.19
4	बिहार	39,032	37,870	97.02	36,620	93.82
5	छत्तीसगढ़	19,744	17,480	88.53	17,185	87.04
6	गुजरात	18,159	16,504	90.89	14,978	82.48
7	हरियाणा	6,764	6,600	97.58	6,369	94.16
8	हिमाचल प्रदेश	17,495	17,045	97.43	15,945	91.14
9	जम्मू और कमीर	6,417	5,795	90.31	5,642	87.92
10	झारखण्ड	29,354	27,170	92.56	26,534	90.39
11	कर्नाटक	27,481	27,254	99.17	26,425	96.16
12	केरल	1,372	1,372	100.00	1,372	100.00
13	मध्य प्रदेश	52,117	51,893	99.57	49,636	95.24
14	महाराष्ट्र	41,442	38,437	92.75	35,245	85.05
15	पूर्वोत्तर-I	7,347	4,274	58.17	4,132	56.24
16	पूर्वोत्तर-II	7,456	4,066	54.53	3,785	50.76
17	उड़ीसा	47,529	40,783	85.81	38,835	81.71
18	पंजाब	12,301	12,008	97.62	12,000	97.55
19	राजस्थान	39,753	38,560	97.00	33,998	85.52
20	तमिलनाडु	13,837	13,794	99.69	13,351	96.49
21	उत्तर प्रदेश (पू०)	76,993	76,485	99.34	70,457	91.51
22	उत्तर प्रदेश (प०)	20,949	20,061	95.76	19,468	92.93
23	उत्तराखंड	15,761	13,005	82.51	12,521	79.44
24	पश्चिम बंगाल	37,512	31,533	84.06	30,110	80.27
25	कोलकाता	893	567	63.49	567	63.49
26	चेन्नई	1,655	1,498	90.51	1,459	88.16
	बीएसएनएल जोड़	593,601	549,294	92.54	519,616	87.54



तालिका - 4

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार शहरी/ग्रामीण टेली-घनत्व

क्र० सं०	सर्किल	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार कुल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या			31.03.2009 की स्थिति के अनुसार टेलीघनत्व		
		शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल
1	अंडमान और निकोबार	51,065	47,972	99,037	28.89	16.57	21.24
2	आंध्र प्रदेश	3,239,969	2,417,557	5,657,526	14.08	4.01	6.80
3	असम	887,624	436,504	1,324,128	20.45	1.71	4.44
4	बिहार	1,852,308	1,296,414	3,148,722	18.53	1.52	3.31
5	छत्तीसगढ़	826,191	330,966	1,157,157	15.55	1.81	4.90
6	गुजरात	3,020,268	1,554,297	4,574,565	13.09	4.44	7.88
7	हरियाणा	1,186,090	1,394,394	2,580,484	14.72	8.41	10.48
8	हिमाचल प्रदेश	364,360	902,976	1,267,336	50.65	15.18	19.01
9	जम्मू और कश्मीर	1,001,066	169,412	1,170,478	33.14	2.02	10.24
10	झारखण्ड	920,845	339,878	1,260,723	13.02	1.44	4.11
11	कर्नाटक	3,664,940	1,251,964	4,916,904	17.21	3.39	8.44
12	केरल	2,551,687	4,002,329	6,554,016	29.14	15.76	19.19
13	मध्य प्रदेश	2,446,791	870,893	3,317,684	12.74	1.71	4.74
14	महाराष्ट्र	4,330,165	2,756,760	7,086,925	14.04	4.56	7.76
15	पूर्वोत्तर-I	361,492	208,038	569,530	21.30	3.86	8.04
16	पूर्वोत्तर-II	371,053	164,126	535,179	27.36	3.69	9.21
17	उड़ीसा	1,170,612	1,080,258	2,250,870	17.81	3.23	5.62
18	पंजाब	2,369,544	1,871,669	4,241,213	20.84	11.01	14.95
19	राजस्थान	3,025,086	1,696,444	4,721,530	19.33	3.39	7.18
20	तमिलनाडु	4,102,224	1,469,961	5,572,185	14.94	4.58	9.36
21	उत्तर प्रदेश (पू०)	5,321,551	2,216,969	7,538,520	12.63	1.46	3.88
22	उत्तर प्रदेश (प०)	2,116,787	663,218	2,780,005	10.69	1.62	4.58
23	उत्तराखंड	698,627	421,451	1,120,078	25.97	6.04	11.59
24	पश्चिम बंगाल	1,442,868	1,517,134	2,960,002	13.97	2.39	4.01
25	कोलकाता	2,948,318	0	2,948,318	20.06	-	20.06
26	चेन्नई	2,014,813	122,737	2,137,550	25.61	-	25.61
	बीएसएनएल जोड़	52,286,344	29,204,321	81,490,665	17.02	3.57	7.25

— ★ ★ ★ ★ ★ —



VIII. 2 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

भूमिका

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 28 फरवरी, 1986 को पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया। एमटीएनएल ने अप्रैल, 1986 को दो महानगरों दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार सेवाओं के नियंत्रण, प्रबंधन, प्रचालन का उत्तरदायित्व लिया। कंपनी के क्षेत्राधिकार में दिल्ली एवं मुंबई नगर निगम तथा थाने नगर निगम के अधीन आने वाले क्षेत्र हैं।

कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 800 करोड़ रूपए है। इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 630 करोड़ रूपए है जो प्रत्येक 10/- रूपए के 63 करोड़ रूपए शेयरों में विभक्त है। इस समय 56.25% इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास है तथा शेष 43.75% शेयर विदेशी संस्थागत निवेशकों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों तथा व्यक्तिगत निवेशकों सहित अन्यो के पास है।

एमटीएनएल दिल्ली सहित इसके आस-पास के नगरों-गुडगांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा तथा कल्याण सहित मुंबई में सेल्यूलर सेवाएं (जीएसएम एवं सीडीएमए) प्रदान कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, एमटीएनएल पृथक गैर अनन्य लाइसेंस करार के तहत दिल्ली और मुंबई में डायल अप इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहा है। एमटीएनएल ने वर्ष 2005 में अत्याधुनिक एडीएसएल 2+ प्रौद्योगिकी पर आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत की है। एमटीएनएल इस ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर तिहरी प्ले सेवाएं अर्थात ध्वनि (वीओआईपी सहित), उच्च गति इंटरनेट तथा आईपीटीवी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

वास्तविक कार्य निष्पादन

टेली सेवाएं

एमटीएनएल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले डिजिटल एक्सचेंजों से जुड़े उपभोक्ताओं को कंप्यूटरीकृत प्रातः अलार्म, वॉयस मेल, स्वचालित परिवर्तित नम्बर घोषणा, कंप्यूटरीकृत दोष बुकिंग/भुगतान प्रणाली आदि जैसी विभिन्न प्रकार की फोन प्लस सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

एमटीएनएल अपने उपभोक्ताओं को कॉल वेटिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, वेक अप कॉल्स, ऐबसेन्ट सब्सक्राइबर सेवा, कॉलर आइडेंटिफिकेशन, फ्रेंड एंड फैमिली, नाइट टॉक, कॉल कान्फ्रेंस डब्ल्यू ए पी और वायस मेल आदि जैसी अनेक मूल्यवर्धित सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

हाल ही में एमटीएनएल को अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवाएं प्रदान करने के लिए आईएलडी लाइसेंस भी प्रदान किया गया है।

एमटीएनएल ने उपभोक्ताओं के साथ अपने संबंधों में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। एमटीएनएल ने उन्नत बिल संग्रहण और भुगतान प्रक्रिया (इंटरनेट पर और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिल भुगतान सहित) की शुरुआत की है, टेली मार्ट खोले हैं जिनमें अधिकांश उपभोक्ता सेवाएं उपलब्ध हैं, इंटरनेट और सीडी-रोम पर टेलीफोन निर्देशिका की शुरुआत की है तथा उपभोक्ता सेवा प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित किया है। एमटीएनएल की उपभोक्ता सेवा प्रबंधन प्रणाली उपभोक्ताओं को ऑन लाइन सेवाओं की श्रृंखला उपलब्ध कराने में हमारे कर्मचारियों को सक्षम बनाती है जिनमें नई टेलीफोन लाइनों हेतु पंजीकरण, पते में परिवर्तन और बिल जारी करना शामिल है तथा हमें एकल सम्पर्क बिन्दु से शिकायतों की निगरानी करने में सहायता करती है। एमटीएनएल ने सेवाओं का अत्यधिक उपयोग करने वाले 'वाणिज्यिक



रूप से महत्वपूर्ण व्यक्तियों' की पहचान की है और इन उपभोक्ताओं के साथ हमारे संबंधों को मजबूत बनाने के यथासंभव प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के साथ दो तरफा प्रभावी संचार बनाने के लिए टेलीफोन अदालतें और खुले अधिवेशन सत्र आयोजित कए जा रहे हैं।

"रीडर्स डाइजेस्ट" द्वारा किए गए विस्तृत सर्वेक्षण में, एमटीएनएल को लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक विश्वसनीय दूरसंचार कंपनी का दर्जा दिया गया है और इसे प्रतिष्ठित रीडर्स डाइजेस्ट प्लेटिनम अवार्ड भी प्रदान किया गया है।



श्री ए. राजा, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 11 से 13 दिसंबर तक आयोजित 'इंडिया टेलीकॉम-2008' प्रदर्शनी के दौरान एमटीएनएल पैवेलियन में 3जी सेवाओं के प्रदर्शन का अवलोकन करते हुए

वर्ष 2007-08 के दौरान दिल्ली में 7.50 लाख लाइनों की निवल स्विचन क्षमता जोड़ी गई। एमटीएनएल ने इस अवधि के दौरान दिल्ली में 1.83 लाख निवल नए कनेक्शन प्रदान किए। वित्तीय वर्ष 2008.09 के दौरान एमटीएनएल दिल्ली ने 4.40 लाख नए सेल्यूलर कनेक्शन और 4.04 लाख निवल नए कनेक्शन (डब्ल्यू एलएल और जीएसएम सहित) प्रदान किया है। उपलब्धियों का ब्यौरा इस अध्याय के अनुबंध-I में दिया गया है।

वर्ष 2007-08 के दौरान मुम्बई में 16,938 लाइनों की निवल स्विचन क्षमता जोड़ी गई। एमटीएनएल मुम्बई ने इस अवधि के दौरान 3.60 लाख निवल नए कनेक्शन प्रदान किए हैं। वित्तीय वर्ष 2008-09 की अवधि के दौरान 10.00 लाख लाइनों की निवल स्विचन क्षमता जोड़ी गई। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान एमटीएनएल मुम्बई ने 4.95 लाख नए सेल्यूलर कनेक्शन और 4.41 लाख निवल नए कनेक्शन (डब्ल्यू एलएल और जीएसएम सहित) प्रदान किए हैं। उपलब्धियों का ब्यौरा इस अध्याय के अनुबंध-II में दिया गया है।



इस प्रकार वर्ष 2007-08 के दौरान एमटीएनएल द्वारा कुल 7.67 लाख लाइनों की निवल स्विचन क्षमता और डब्ल्यूएलएल और जीएसएम सहित 5.43 लाख निवल नए कनेक्शन जोड़े गए। इसके अलावा, वर्ष 2008-09 के दौरान 10.00 लाख लाइनों की निवल स्विचन क्षमता और 8.46 लाख निवल कनेक्शन जोड़े गए।

दोष दर

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान दोष दर निम्नवत है :-

दोषों की संख्या/100 टेलीफोन/माह

इकाइयां	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
दिल्ली	11.13	8.8	9.42	7.20	6.71
मुंबई	9.00	11.56	10.53	11.38	9.10

दोष दर में निरन्तर कमी आ रही है। चालू वर्ष के दौरान मुंबई में मुख्यतः मुंबई म्युनिसिपल एजेंसियों द्वारा किए जा रहे खुदाई कार्यों के कारण दोष दर में वृद्धि हुई है। आगामी महीनों में मुंबई के इन आंकड़ों में गिरावट होने की संभावना है।

प्रतीक्षा सूची का निपटान

सतत प्रयासों और विभिन्न परियोजनाओं को समय पर कार्यान्वित किए जाने के परिणामस्वरूप दिल्ली और मुंबई में प्रतीक्षा सूची शून्य हो गई है। एमटीएनएल सेवा क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन प्रदान कर रहा है।

विभिन्न सेवाएं

कन्वर्जेंट बिलिंग और सीआरएम परियोजना

टर्नकी आधार पर कन्वर्जेंट बिलिंग प्रणाली और सीआरएम प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापना और चालू कराने के लिए मार्च, 2006 में मै0 बीईएल को कन्वर्जेंट बिलिंग और सीआरएम परियोजना का क्रय आदेश दिया गया था। एक बार उक्त परियोजना क्रियान्वित होने पर एमटीएनएल के सभी कार्य-व्यापारों अर्थात् जीएसएम, सीडीएमए, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, लीज्ड सर्किट और साथ ही आगामी सेवाओं के सभी बिलिंग और सीआरएम अनुप्रयोगों के लिए एकल अभिसारित प्लेटफार्म के रूप में सेवा प्रदान करेगी। उपभोक्ता एमटीएनएल से ग्राहक के तौर पर प्राप्त कर रहे सभी सेवाओं के लिए एकल समेकित बिल प्राप्त करेंगे। इंटरनेट बिलिंग, मुद्रण समाधान क्रियान्वित कर दिया गया है। शेष कार्य-व्यापार के अनुप्रयोग परीक्षण का कार्य प्रगति पर है। परियोजना के अगस्त, 2009 तक चालू हो जाने की संभावना है।

ब्रॉडबैंड नेटवर्क

एमटीएनएल द्वारा एडीएसएल 2+ आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर ट्रिपल प्ले सेवाएं अर्थात् वायस (वीओआईपी सहित) उच्च गति इंटरनेट और आईपीटीवी की पेशकश की जा रही है। उपभोक्ताओं के बीच यह सेवा काफी लोकप्रिय है। इस समय एमटीएनएल की ब्रॉडबैंड क्षमता 10.42 लाख की है और इसका उपभोक्ता आधार 7.03 लाख तक पहुंच गया है।

इस समय दिल्ली और मुंबई दोनों स्थानों पर दो ब्रॉडबैंड परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इनमें से एक 500 के बीबी पोर्ट्स नेटवर्क अभिगम उपस्कर परियोजना है जिसका कार्य मैसर्स एसओटीएल को सौंपा गया है और दूसरी एक मिलियन बीबी पोर्ट्स ब्रॉडबैंड विस्तार परियोजना है जिसका कार्य मैसर्स एल्काटेल को सौंपा गया है। चरण-II (दिल्ली में 150 के और मुंबई में 100 के पोर्ट्स) में उपस्कर की संस्थापना का कार्य प्रगति पर है जिसकी आपूर्ति मैसर्स एसओटीएल द्वारा की जानी है।



एक मिलियन ब्रॉडबैंड की परियोजना को दो चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। विक्रेता मुंबई में चरण-1 और ॥ के प्रत्येक चरण में 300 के पोर्ट्स और दिल्ली में चरण-1 और ॥ के प्रत्येक चरण में 200 के पोर्ट्स चालू करेगा। परियोजना के चरण-1 के क्रियान्वयन हेतु मैसर्स एल्काटेल को क्रय आदेश दिया जा चुका है।

आईपी/एमपीएलएस नेटवर्क

सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एमटीएनएल का अपने नेटवर्क का विस्तार करने और उसका उन्नयन करने के कार्य में निवेश को जारी रखने का विचार है। एमटीएनएल ने सभी सेवाओं के लिए अभिसारित आईपी नेटवर्क प्रदान करने की दृष्टि से दिल्ली और मुंबई में अत्याधुनिक आईपी/एमपीएलएस कोर नेटवर्क चालू किया है। यह एमपीएलएस कोर नेटवर्क सभी अगली पीढ़ी के नेटवर्क की वायस, डाटा ब्रॉडबैंड और वीडियो परियोजना को भी समाहित करेगा ताकि एमटीएनएल अपने बैंडविड्थ का दक्ष उपयोग करने में समर्थ हो सके। इस समय यह नेटवर्क एमटीएनएल के ब्रॉडबैंड, आईपीटीवी और जीएसएम के परियात का संवहन कर रहा है। एमटीएनएल द्वारा इस नेटवर्क के माध्यम से लेयर-2 और लेयर 3 वीपीएन सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। एमटीएनएल अपने आईपी/एमपीएस नेटवर्क के विस्तार के संबंध में कार्रवाई कर रहा है ताकि इसके नेटवर्क की आईपी की पहुंच का आगे विस्तार किया जा सके।

एमटीएनएल ने वायस, डाटा और वीडियो मल्टी मीडिया नेटवर्कों के एकल एकीकृत पैकेट आधारित मल्टी सर्विसेज़ वाले ऐसे प्लेटफार्म में कन्वर्जेंस की सुविधा प्रदान करने के लिए अभिसारित नेटवर्क हेतु निविदा जारी की है जो ऐसा भावी स्वतंत्र नेटवर्क प्रदान कर पाने में सक्षम हो जो नई सेवाओं को तीव्रता से और कम खर्च में शुरू करने की सुविधा प्रदान कर सके। इस निविदा को रद्द कर दिया गया है और नई निविदा की योजना बनाई है और इसे शीघ्र जारी किए जाने की संभावना है।

एनजीएन श्रेणी-IV

दिल्ली और मुंबई में प्रत्येक में एक-एक श्रेणी-4 एनजीएन (अगली पीढ़ी का नेटवर्क) पर आधारित 32 के टैंडेम क्षमता को मार्च, 2009 में चालू कर दिया गया है।

डीडब्ल्यूडीएम

एमटीएनएल ने अपने पारिषण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए 40 चैनलों के 10जीबी/चैनल डीडब्ल्यूडीएम उपस्कर के 42 टर्मिनलों (दिल्ली के लिए 20 और मुंबई के लिए 22) की आपूर्ति हेतु क्रय आदेश दे दिया है। विक्रेता द्वारा किए जाने वाले 10 टर्मिनलों के लिए उपस्कर के संस्थापन का कार्य पूरा कर दिया गया है जबकि शेष टर्मिनलों के संस्थापन का कार्य प्रगति पर है। उपस्कर के परीक्षण का कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है और उपस्कर का टीएसईसी पूरा हो गया है।

उपभोक्ता परिसर उपस्कर

ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बढ़ती मांग को पूरा करने की दृष्टि से, लगभग 3.40 लाख एडीएसएल2+ सीपीई के लिए वैश्विक निविदा जारी की गई थी और इसके लिए मैसर्स एसटीएल और मैसर्स सेमिंडिया को क्रय आदेश दिया गया था। मैसर्स एसटीएल से सीपीईएस की आपूर्ति मिलने का कार्य प्रगति पर है।

इंटरनेट अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ

दिल्ली में 3.44 जीबी और मुंबई में 2.88 जीबी का इंटरनेट अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ प्राप्त कर लिया गया है। इसे मांग के अनुरूप रखने के लिए इसका निरंतर संवर्द्धन किया जा रहा है। फिलहाल वर्ष 2009-10 के लिए इंटरनेट बैंडविड्थ का प्रापण करने के लिए निविदा जारी की गई है। प्राप्त की जाने वाली बैंडविड्थ की मात्रा दिल्ली के लिए 5.87 जीबी और मुंबई के लिए 5.50 जीबी है।



मैनेज्ड लीज़ लाइन नेटवर्क (एमएलएलएन) का विस्तार

25,600 एमएलएलएन के प्रापण हेतु निविदा जारी की गई थी और मैसर्स आईटीआई लिमिटेड को क्रय आदेश दिया गया है। उपस्कर की संस्थापना का कार्य प्रगति पर है।

जीएसएम सेल्युलर मोबाइल सेवा

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल के जीएसएम नेटवर्क की कुल क्षमता मुंबई में 2325 के और दिल्ली में 1775 के है।

दिल्ली और मुम्बई के लिए 2जी/3जी जीएसएम/डब्ल्यूसीडीएमए नेटवर्क के विस्तार के लिए क्रमशः मैसर्स मोटोरोला और मैसर्स आईटीआई को क्रयादेश दिया गया है।

दिल्ली और मुम्बई में 3जी सेवाएं संस्थापित करने के लिए 8 अगस्त, 2008 को एमटीएनएल को 2100 मेगाहर्टज बैंड में फ्रीक्वेंसियां उद्दिष्ट की गईं। एमटीएनएल को दिल्ली और मुम्बई में संस्थापन के लिए प्रत्येक 5 मेगाहर्टज का 1 कैरियर आवंटित किया गया है।



प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 'इंडिया टेलीकॉम-2008' प्रदर्शनी के दौरान 11-13 दिसंबर, 2008 को एमटीएनएल के पैवेलियन में 3जी जादू का प्रदर्शन



11 दिसम्बर, 2008 को माननीय प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एमटीएनएल की 3जी मोबाइल सेवाओं का उद्घाटन किया। यह भारत में किसी आपरेटर द्वारा शुरू की गई सबसे पहली 3जी सेवाएं हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रम के बेहतर और कुशल उपयोग के लिए 3जी सेवाएं उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाओं की पेशकश करेंगी जैसे वीडियो टेलीफोनी, हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड, मोबाइल टीवी, वीडियो स्ट्रीमिंग, मांग-पर-वीडियो, आन लाइन खेल आदि। 3जी सेवाओं को शीघ्र ही वाणिज्यिक बनाया जाएगा। 5 फरवरी, 2009 को एमटीएनएल ने दिल्ली के एनडीएमसी क्षेत्र में 3जी सेवाएं (50 नोड बी के साथ) 'जादू' ब्रांड नाम से शुरू की। तथापि, सम्पूर्ण दिल्ली में सेवाओं के वाणिज्यीकरण में कुछ और समय लगेगा। मुम्बई में नेटवर्क मान्यकरण परीक्षण का कार्य चल रहा है और एमटीएनएल, मुम्बई शीघ्र ही दक्षिण मुम्बई क्षेत्र में सेवाओं को वाणिज्यिक बनाने की योजना बना रहा है।

एमटीएनएल के 2जी/3जी ग्राहकों को हाई स्पीड डाटा सेवाएं प्रदान करने की बाबत एमटीएनएल खुली निविदा के माध्यम से डाटा कार्डों की खरीद (एचएसडीपीए) कर रहा है।

सीडीएमए आधारित मोबाइल सेवाएं

दिल्ली और मुम्बई में सीडीएमए नेटवर्क अत्याधुनिक सीडीएमए 20001X प्रौद्योगिकी आधारित 400 हजार लाइनों की क्षमता का नेटवर्क है जिसमें से प्रत्येक 144 कैंबीपीएस तक डाटा स्पीड बनाए रखने में सक्षम है।

मौजूदा सीडीएमए अवसंरचना से नियत राजस्व सुनिश्चित करने हेतु एमटीएनएल द्वारा राजस्व हिस्सेदारी आधार पर दिल्ली और मुम्बई प्रत्येक शहर में सीडीएमए वायर्स और डाटा वायरलेस सेवाओं के 2 लाख पोर्टों के माध्यम से वास्तविक उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए फ्रेंचाइजी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। 14 अगस्त, 2008 को एमटीएनएल ने पांच वर्षों की अवधि के लिए मैसर्स आई ओ एल नेटकॉम लिमिटेड के साथ फ्रेंचाइजी करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

माइक्रोवेव अभिगम हेतु विश्वव्यापी अन्तरप्रचालनीयता (वाई-मैक्स)

प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करने हेतु एमटीएनएल ने दिल्ली और मुम्बई में वाई-मैक्स सेवाओं का परीक्षण संचालित किया था।

8 अगस्त, 2008 को दिल्ली और मुम्बई में ब्रॉडबैंड बेतार अभिगम सेवाओं की स्थापना के लिए एमटीएनएल को भारत सरकार द्वारा 2.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में फ्रीक्वेंसियां उद्दिष्ट की गईं। ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम (बीडब्ल्यूए) सेवा प्रदान करने के लिए एमटीएनएल को टीडीडी मोड में 20 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ आवंटित किया गया है। एमटीएनएल ने राजस्व हिस्सेदारी आधार पर दिल्ली और मुम्बई में वाई-मैक्स सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। इस समय एमटीएनएल इसके लिए अभिरूचि अभिव्यक्ति को अंतिम रूप से तैयार करने और आमंत्रित करने के कार्य में लगा है।

एमटीएनएल की परिसम्पतियों का उपयोग

एमटीएनएल ने संस्थागत उपयोग जैसे कि प्रशिक्षण केन्द्र आदि के लिए सेक्टर-62 नोएडा में 80,000 वर्ग मीटर भूमि अधिग्रहीत की है। चूँकि एमटीएनएल दूरसंचार क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुम्बई में आईएसओ अभिप्रमाणित अत्याधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर चुका है, इसलिए इस भूमि का वैकल्पिक उपयोग विभिन्न प्रकार की सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित अन्य प्रशिक्षण सुविधाओं (कॉल सेंटर आदि सहित) के लिए करने का निर्णय लिया गया।

एमटीएनएल इस भूमि को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट सहभागिता) मॉडल पर एक कोर नोलेज पार्क में विकसित कर रहा है।

रक्षा सेवाओं से स्पेक्ट्रम मुक्त किया जाना

देश में 3जी सेवाओं की शुरुआत करने के लिए रक्षा बलों को स्पेक्ट्रम मुक्त करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से दूरसंचार विभाग ने रक्षा बलों अर्थात् थल सेना, वायु सेना और नौसेना के लिए अखिल भारतीय स्तर पर वैकल्पिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्मित करने और उन्हें सौंपने का निर्णय लिया है।



यह परियोजना दूरसंचार विभाग और रक्षा बलों के परामर्श से एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है और इसे दूरसंचार विभाग द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। एमटीएनएल को दिल्ली और मुंबई में अपने सेवा क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दूरसंचार विभाग के निर्णय के अनुसार थल सेना और नौसेना के लिए निर्माण कार्य को फिलहाल प्रास्थगित रखा गया है और वायु सेना के नेटवर्क का कार्य कुछ इलाकों जैसे कि अपेक्षित अनुमति न मिलने से मुंबई में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई समुद्री बंदरगाह आदि, को छोड़कर पूरा कर लिया गया है। एमटीएनएल ने दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया है कि वे इन प्राधिकारियों के परिसरों में बिना बाधा के खुदाई कराने और केबल बिछाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए इनके साथ मामले को उठाएं ताकि लंबित कार्य आगे बिना किसी बिलम्ब के पूरा किया जा सके।

कोनेक्सस मोबाइल अलायंस में शामिल होना

एमटीएनएल एशिया प्रशांत क्षेत्र के कोनेक्सस मोबाइल अलायंस में शामिल हो गया है। इस अलायंस में इसकी भागीदारी होने से निम्नलिखित कार्यकलापों में तेजी आई है :

- (i) जीआरएक्स के साथ अंतरराष्ट्रीय डाटा रोमिंग का लागू होना ।
- (ii) सभी कोनेक्सस सदस्यों के साथ प्री-पेड रोमिंग।
- (iii) सिम प्रतिस्थापन/स्थानीय रोमिंग नंबर इत्यादि जैसे द्विपक्षीय सरलीकरण एवं प्रक्रिया में सुधार लाते हुए रोमिंग उपभोक्ताओं हेतु ग्राहक सेवा में सुधार।

कोनेक्सस मोबाइल अलायंस की विभिन्न कार्यकारी समूहों की अंतिम बैठक एवं बोर्ड की बैठक मार्च, 2009 में बैंकॉक में आयोजित की गई। यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न कार्यकारी समूहों की अगली बैठकें जून, 2009 में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी तथा इनकी मेजबानी एमटीएनएल एवं बीएसएनएल द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। डाटा (ब्लैकबेरी सहित) एवं प्रीपेड रोमिंग हेतु विभिन्न कोनेक्सस सदस्यों के साथ परीक्षण एवं करारों पर हस्ताक्षर का कार्य प्रगति पर है।

समुद्री केबल बिछाने की परियोजना

एमटीएनएल बीएसएनएल के साथ 50 : 50 ईक्विटी भागीदारी सहित अपने संयुक्त उद्यम मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एमटीएल) के माध्यम से समुद्री केबल सिस्टम संस्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसके अंतर्गत भारत के पूर्वी समुद्र तट से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तथा भारत के पश्चिमी समुद्री तट से लेकर मध्य-पूर्व तक मुख्य और शाखा खंड शामिल होंगे जिसका उद्देश्य विद्यमान तथा पूर्वी और पश्चिमी, दोनों मार्गों के माध्यम से हाल ही में नियोजित समुद्री केबलों के जरिए यूरोप और उत्तर अमेरिका को आगे संपर्कता प्रदान करना है। इसके लिए बोलियां दिसंबर, 2008 में खोली गईं। फिलहाल, बोली का तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन जारी है। एमटीएल का जून, 2009 में एमसीएस परियोजना के लिए संविदा को अंतिम रूप देने एवं सौंपने का विचार है। इस परियोजना के पूरा होने की संभावित तिथि संविदा सौंपे जाने की तिथि से लगभग 30 महीने बाद की है। तदनुसार, इस परियोजना के पूरा होने की अनंतिम तिथि वर्ष 2011 की चौथी तिमाही होगी।

ई-प्रापण प्रणाली

एमटीएनएल ने दिल्ली और मुंबई में क्रमशः जनवरी, 2009 एवं अप्रैल, 2009 में ई-प्रापण प्रणाली चालू कर दी है। इस प्रणाली के एक बार चालू हो जाने पर एमटीएनएल की सभी प्रापण प्रक्रियाओं की सुनिश्चित ऑनलाइन हैंडलिंग की सुविधा हो जाएगी। जिसमें निविदा सृजन, अपलोडिंग, प्रस्तुति, मूल्यांकन तथा आंतरिक अनुमोदन चक्रों इत्यादि हेतु स्वतः प्रवाह-सभी का ऑन लाइन एवं सुनिश्चित तरीके से हैंडलिंग शामिल हैं। इस प्रणाली से बोली दस्तावेज की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा/ छेड़छाड़रहित, विखंडन रहित तथा आवश्यक प्रयोक्ता प्रमाणन/अभिगम अधिकार प्रबंधन सहित सभी आवश्यक सुरक्षा अपेक्षाओं की पूर्ति होगी। इस प्रणाली में विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं एवं एमटीएनएल प्रयोक्ताओं द्वारा एमटीएनएल डिजिटल प्रमाण-पत्रों को उपयोग करने की सुविधा होती है।



अभिसरित ओएसएस प्रणाली

एमटीएनएल ने अभिसरित प्रणाली को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है, जिसके लिए इसने पहले ही तीन विक्रेताओं (ईओआई के माध्यम से) का पैनल बनाया है ताकि मौजूदा नेटवर्कों एवं प्रणालियों का अध्ययन, अंतराल विश्लेषण किया जा सके तथा तदनुसार समाधान की सलाह देता है। चुनिंदा विक्रेता फील्ड में अध्ययन कर रहे हैं। अभिसरित ओएसएस की योजना टीएमएफ (टेली प्रबंधन फोरम) के एनजीओएसएस (अगली पीढ़ी ओएसएस) के आधार पर बनाई गई है। अभिसरित ओएसएस एमटीएनएल की अभिसरित बिलिंग तथा क्रियान्वयनाधीन सी आर एम प्रणाली के साथ एकीकृत हो जाएगी।

इस प्रणाली के माध्यम से तीन उदीयमान सूचना प्रौद्योगिकी शिल्प/प्रौद्योगिकियां यथा एनजीओएसएस, आभासीकरण एवं सेवोन्मुख शिल्प का उपयोग करने का प्रस्ताव है। इस प्रणाली के क्रियान्वयन से एमटीएनएल के संपूर्ण व्यवसाय क्षेत्र यथा पारेषण नेटवर्क, पीएसटीएन, मोबाइल, बीबी एवं एनजीएन, इत्यादि में सभी नेटवर्कों एवं प्रणालियों हेतु केंद्रीकृत प्रचालन एवं प्रबंधन की सुविधा होगी। इसमें आपूर्तिकर्ता साझेदार प्रबंधन इत्यादि जैसे अन्य व्यवसाय प्रक्रिया स्वचालन के अतिरिक्त मुख्यतः केंद्रीकृत सेवा आवासन (एनएमएस) एवं केंद्रीकृत पूर्ति (संभरण) शामिल होंगे। ओएसएस प्रणाली के माध्यम से एसएलए आधारित आद्यांत प्रबंधन एवं एकल संभरण केंद्र पर एक ही स्थान पर सभी एमटीएनएल नेटवर्कों एवं प्रणालियों का आद्यांत अवलोकन करने में सुविधा होगी।

इंटरनेट सुरक्षा समाधान

एमटीएनएल ने अपने ब्रॉडबैंड एवं नैरोबैंड इंटरनेट उपभोक्ताओं को "राजस्व साझेदारी मॉडल" के आधार पर उपभोक्ता आधारित नेटवर्क डाउनलोड करने लायक सुरक्षा समाधानों (जिसमें एंटी वायरस, एंटी स्पैम, सॉफ्टवेयर एवं फर्मवेयर इत्यादि शामिल हैं) को उपलब्ध कराने हेतु अंतिम रूप से मैसर्स एफ-सिक्योर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को "इंटरनेट सुरक्षा समाधान प्रदाताओं" का स्वरूप प्रदान किया है, ताकि ग्राहक को सॉफ्टवेयर सुरक्षा कार्यों से मुक्त रखा जा सके तथा उन्हें संतुष्टि प्रदान की जा सके। इसके लिए मैसर्स एफ सिक्योर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एपीओ जारी कर दिया गया है।

आईएमएस आधारित एनजीएन नेटवर्क

मौजूदा विक्रेताओं से सहायता नहीं मिलने के कारण मौजूदा टीडीएम एक्सचेंज के प्रचालन की दृष्टि से अनुपयुक्त हो जाने तथा पुराने पड़ जाने की स्थिति से निजात पाने के लिए तथा अपने ग्राहकों को अगली पीढ़ी की मल्टीमीडिया सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, एमटीएनएल एनजीएन के क्रियान्वयन पर विचार कर रहा है, जो मुख्यतः आईएमएस प्लेटफार्म पर आधारित होगा। आरएफजी निर्माण की प्रक्रिया चल रही है तथा निविदा को यथा समय जारी किए जाने की संभावना है।

प्रमाणन प्राधिकरण समाधान

डिजिटल सिग्नेचर की उपलब्धता हेतु प्रमाणन प्राधिकरण समाधान की निविदा 16 मार्च, 2009 को जारी की गई है। यह नई प्रमाणन प्राधिकरण (सीए) समाधान व्यवस्था एमटीएनएल की मौजूदा व्यवस्था के स्थान पर प्रयोग में आएगी, जो दिल्ली में लगी आग से क्षतिग्रस्त हो गया है।

संयुक्त उद्यम

यूनाइटेड दूरसंचार लिमिटेड (यूटीएल)

नेपाल वेंचर (प्रा0) लिमिटेड (एनवीपीएल) सहित टीसीआईएल, वीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की गई है ताकि नेपाल में सीडीएमए आधारित बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। यूटीआई के पास राष्ट्रीय लंबी दूरी एवं अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाओं को प्रचालित करने का भी लाइसेंस है। एमटीएनएल ने अब तक यूटीएल में इक्विटी के रूप में 29.015 करोड़ रु0 का निवेश किया है। वर्तमान में कंपनी का लगभग, 1,36,000 का उपभोक्ता आधार है जिनमें से करीब 73,000 उपभोक्ता सीडीएमए मोबाइल सेवा का उपयोग कर रहे हैं।



एमटीएनएल - एसटीपीआईआईटी सेवा लिमिटेड

एमटीएनएल - एसटीपीआईआईटी सर्विसेज लिमिटेड सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के बीच 50: 50 का संयुक्त उद्यम है। 2006 में बनाए गए संयुक्त उद्यम में एसटीपीआई का इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में गहरा अनुभव और एमटीएनएल का भारतीय समुदाय को प्रमुख वेबपोर्टल सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से भारत की अग्रणी दूरसंचार प्रचालन कंपनी के रूप में सुदीर्घ रिकार्ड का संयोजन विद्यमान है।

यह परियोजना तीन अलग-अलग चरणों में कार्यान्वित की जाएगी। पोर्टल तथा निःशुल्क ई-मेल सेवाओं के अतिरिक्त, राजस्व के अभिज्ञात 'स्रोतों में एसएमएस के लिए होस्टेड मैसेजिंग सॉल्युशन्स फ़ैमिली मेल बॉक्स, वेब होस्टिंग, एप्लीकेशन होस्टिंग, उद्यम संसाधन आयोजना (ई0आर0पी0) सामाधान, पोर्टल के माध्यम से पोर्टल विज्ञापन आदि शामिल हैं। प्रस्तावित डाटा केंद्र के लिए स्थल की पहचान पहले ही कर ली गई है। उक्त डाटा केंद्र चेन्नै में एसटीपीआई भवन में बनाया जाएगा।

मैसर्स विप्रो को डाटा केंद्र हेतु अवसंरचना का सृजन करने के लिए आदेश दे दिया गया है और कार्य पूरा होने वाला है। मुख्य डाटा केंद्र के लिए उपस्करों का मैसर्स एचसीएल को दिया हुआ अग्रिम क्रयादेश (एपीओ) निरस्त कर दिया गया है और इस बावत पुनः निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2008-09 के दौरान डाटा केंद्र चालू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एमटीएल)

एमटीएल, एमटीएनएल और बीएसएनएल की क्रमशः 50: 50 की इक्विटी की सहभागिता वाली संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी ने पूर्व और पश्चिम दोनों मार्गों द्वारा मौजूदा/नए नियोजित समुद्री केबलों के माध्यम से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के साथ आगे की कनेक्टिविटी के उद्देश्य से भारतीय पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व एशिया और भारतीय पश्चिमी तट से मध्य पूर्व तक समुद्री ओएफसी केबल बिछाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत के साथ साझेदारी स्थापित की है। उक्त कार्य के लिए निविदा दिसंबर, 2008 में खोला गया था। वर्तमान में तकनीकी वाणिज्यिक बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है और जून, 2009 के अंत तक ठेका दिए जाने की संभावना है।

सहायक कंपनियां

महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल)

एमटीएनएल ने मॉरीशस में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएमएल) के नाम से अपनी 100% सहायक कंपनी स्थापित की है। कंपनी के पास स्थिर टेलीफोन सेवा, मोबाइल सेवा, अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस है।

एमटीएनएल अपने ग्राहकों को किफायती सेवाएं मुहैया करा रहा है। एमटीएमएल अपनी सीडीएमए आधारित स्थिर तथा मोबाइल सेवाएं और इंटरनेट तथा आईएलडी सेवाएं पहले ही शुरू कर चुका है। 30 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार कंपनी का 73,479 का उपभोक्ता आधार है।

प्रतिस्पर्धा का सामना

कड़ी प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए एमटीएनएल ने विभिन्न कदम उठाए हैं। विभिन्न स्तरों पर पुनर्गठन और सेवा पोर्टफोलियो को व्यापक आधार दिए जाने के अलावा, नई और मूल्यवर्धित सेवाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया है। कंपनी ने अद्यतन एडीएसएल 2+ प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए वर्ष 2005 में वाणिज्यिक रूप से ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू की हैं। और अभी इसके ग्राहकों की संख्या 700 हजार है और यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में एमटीएनएल ने आईपीटीवी और वीओआईपी सेवाओं की शुरुआत की है जिनका उद्देश्य केवल ग्राहकों की पसंदीदा सेवाएं जोड़ना ही नहीं बल्कि अधिकाधिक उपभोक्ताओं को एमटीएनएल की लैंडलाइन सेवाओं के लिए नामज़द करना है।



कंपनी ने अपने उत्पादों का अधिक उत्साहपूर्वक विपणन करने के लिए विपणन, विक्रय, कारपोरेट विक्रय नामक नई इकाईयां स्थापित की हैं। एमटीएनएल ने उपभोक्ता सेवा में वृद्धि करने के लिए अपनी उपभोक्ता सेवा कॉल सेंटर की सेवाओं को आंशिक रूप से आउटसोर्स भी किया है।

एमटीएनएल दोष दर कम करने और नई सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने नेटवर्क का निरंतर आधुनिकीकरण कर रहा है। कंपनी लगातार सबसे वहनीय दरों पर पीएसटीएन और मोबाइल नेटवर्क पर मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान कर रही है।

वित्तीय कार्य निष्पादन

वर्ष 2008-09 के दौरान एमटीएनएल का वित्तीय कार्य निष्पादन निम्नानुसार रहा :-

अन्य प्रचालको से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के बावजूद एमटीएनएल ने पिछले वर्ष के 5329.94 करोड़ रुपए के कारोबार की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान 5304.21 करोड़ रुपए का वित्तीय कारोबार किया। एमटीएनएल ने पिछले वित्तीय वर्ष के 631.65 करोड़ रुपए के मुकाबले 214.83 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ दर्ज किया।



श्री ए. राजा, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, 22 अक्टूबर, 2008 को श्री आर.एस.पी. सिन्हा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – एमटीएनएल से अंतिम लाभांश का चेक लेते हुए; उनके ठीक बायीं तरफ हैं श्री एस. बेहुरा, अध्यक्ष दूरसंचार आयोग और सबसे दायीं तरफ श्रीमती अनीता सोनी, निदेशक (वित्त) – एमटीएनएल



प्रौद्योगिकी पर पूंजीगत व्यय

वर्ष 2008-09 के दौरान, एमटीएनएल ने पिछले वर्ष में 932.46 करोड़ रूपए के पूंजीगत व्यय के मुकाबले 779.05 करोड़ रूपए की राशि खर्च की है। यह पूर्णतः आंतरिक संसाधन सृजन के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

राजस्व आश्वासन

राजस्व आश्वासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि नेटवर्क पर होने वाले बिल बनाने योग्य समस्त कार्यकलापों का ब्योरा सही ढंग से लिया जाए, दरें लगाई जाएं और उनके बिल बनाए जाएं। एमटीएनएल में भी एक राजस्व आश्वासन कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है जिसमें यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि अधिकतम राजस्व बिलिंग और राजस्व वसूली की जाए ताकि अतिरिक्त बकाया देय राशि का पता लगाया जा सके। उपर्युक्त कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :-

- वाणिज्यिक आंकड़ों और बिलिंग के आंकड़ों का मिलान।
- सृजित सीडीआर और बिल किए गए सीडीआर का मिलान।
- बिलों को समय पर जारी करना ताकि भुगतान शीघ्रतापूर्वक प्राप्त हो जाए।
- इंटरकनेक्ट बिलिंग का निपटान
- पुरानी बकाया देय राशि आदि की वसूली हेतु प्राइवेट वसूली एजेंटों की नियुक्ति।

इसके अतिरिक्त, ट्राई ने विभिन्न दूरसंचार प्रचालकों के लिए, ट्राई द्वारा ही बनाए गए लेखापरीक्षकों के पैनल द्वारा बिलिंग और मीटरिंग प्रणाली की लेखा परीक्षा करवाना भी अनिवार्य कर दिया है जिससे एमटीएनएल द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राजस्व आश्वासन कार्यक्रम संपूर्ण हो जाता है।

कन्वर्जेंट बिलिंग प्रणाली की संस्थापना की जा रही है, जिसमें राजस्व आश्वासन का महत्वपूर्ण घटक शामिल है। इससे एमटीएनएल के राजस्व आश्वासन संबंधी प्रयासों में और सुधार होने की संभावना है।

राजस्व आश्वासन कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एमटीएनएल ने लैंडलाइन अन्तर्संयोजन बिलिंग प्रक्रिया के राजस्व आश्वासन की लेखा परीक्षा के लिए मुंबई में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी की लेखा परीक्षा फर्म तैनात की है। बुनियादी कॉल प्रभारण विश्लेषण की इस विस्तृत समीक्षा में राजस्व प्राप्ति में अधिक सुधार के लिए सीडीआर समाधान को समाप्त करने, सेवा के उपयोग में यथार्थता, बिल बनाने के लिए सही रिकार्ड रखना/स्थिरता/साझेदारों के साथ अंतर्संयोजन करार का डाटा बेस तैयार किया जा रहा है।

कर्मचारियों की संख्या

31मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल में विभिन्न श्रेणियों के कुल 46,091 (सफाई वाला को छोड़कर) कर्मचारी थे। कुल कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या 8369 है जो कुल कर्मचारियों का 18.13% है। अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या 1580 है जो कुल कर्मचारियों का 3.42% है।



(31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार)

समूह	कुल कर्मचारी	महिला	निःशक्त व्यक्ति*	अनु.जनजाति	अनु.जाति
क	1269	44	2	55	218
ख	5175	568	26	113	778
ग	27412	7596	180	512	4744
घ	12235	1264	38	900	2629
				1580	8369
डीआरएम	64			-	-
जोड़	46155	9472	246	1580	8369

एमटीएनएल शेयरों का कारोबार

एमटीएनएल के शेयर देश में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई स्टॉक एक्सचेंजों के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। इन शेयरों का भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई तथा बीएसई) में नियमित रूप से कारोबार किया जा रहा है। कंपनी द्वारा जारी किए गए एडीआर न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवाईएसई) में सूचीबद्ध हैं और वहां नियमित रूप से कारोबार किया जाता है।



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एमटीएनएल बीजिंग ओलंपिक 2008 के कांस्य पदक विजेता एवं एमटीएनएल में कर्मचारी के पुत्र श्री सुशील कुमार का सम्मान करते हुए



विकास लक्ष्य/उपलब्धियां-दिल्ली

क्र० सं०	मदे	लक्ष्य (एमओयू) 2007-08	उपलब्धियां 2007-08	लक्ष्य (एमओयू) 2008-09	उपलब्धियां 2008-09
क	स्विचन (हजार लाइनों में)				
	i कुल क्षमता	*	776.88	*	39.614
	ii रद्दी घोषित करना	*	26.48	*	39.614
	iii निवल क्षमता \$	1000	750.4	500	0
ख	सीधी एक्सचेंज लाइने (हजार लाइनों में)				
	i कुल	*	667.969	*	701.072
	ii निवल \$	580	182.638	475	404.451
ग	टीएएक्स/टैंडम (हजार लाइन में)	100	0	48	32
घ	पारेषण (प्रणाली का नाम)	*		*	
	क) एसडीएच प्रणाली		65		
	(i) एसटीएम-16		41		12
	(ii) एसटीएम-4		72		31
	(ii) एडीएम-1/एसटीएम-1				30
घ	ऑप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी.में)	*	591.157	*	246.415
ड	ऑप्टिकल फाइबर केबल (फाइबर कि.मी.में)	20000	21895.188	23000	11299.068
च	आईएसडीएन	*	15	*	-506
छ	प्रतीक्षा सूची	*	-	*	-
ज	ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	*	47752	*	81488
झ	इंटरनेट कनेक्शन	*	17824	*	7216
ञ	आईपीटीवी उपभोक्ता	40000	3314	10000	5350
ट	वीओआईपी	-	1523	5000	2103

\$ इसमें (स्थिर लाइन, डब्ल्यूएलएल तथा जीएसएम) शामिल है।

* एमओयू में लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

विकास लक्ष्य/उपलब्धियां-मुंबई

क्र० सं०	मदे	लक्ष्य (एमओयू) 2007-08	उपलब्धियां 2007-08	लक्ष्य (एमओयू) 2008-09	उपलब्धियां 2008-09
क	स्विचन (हजार लाइनों में)				
	i कुल क्षमता	*	61.448	*	1123.268
	ii रद्दी घोषित करना	*	44.51	*	123.268
	iii निवल क्षमता \$	1000	16.938	500	1000
ख	सीधी एक्सचेंज लाइने (हजार में)	*		*	
	i कुल	*	665.67	*	723.42
	ii निवल \$	580	305.43	475	441.419
ग	टीएएक्स/टैंडम (हजार लाइन में)	100		48	45
घ	पारेषण (प्रणाली का नाम)				
	क) एसडीएच प्रणाली				
	(i) एसटीएम-16		70		59
	(ii) एसटीएम-4		79		45
	(ii) एडीएम-1/एसटीएम-1	*	170	*	125
घ	ऑप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी.में)	20000	588.027	23000	545.85
ड	ऑप्टिकल फाइबर केबल (फाइबर कि.मी.में)	*	21161.748	*	25239.45
च	आईएसडीएन	*	1209	*	418
छ	प्रतीक्षा सूची	*		*	
ज	ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	*	88149	*	43421
झ	इंटरनेट कनेक्शन	40000	45358	10000	65102
ञ	आईपीटीवी उपभोक्ता	-	3138	5000	2127
ट	वीओआईपी	*	1302		1224

\$ इसमें (स्थिर लाइन, डब्ल्यूएलएल तथा जीएसएम) शामिल है।

* एमओयू में लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



VIII. 3 आईटीआई लिमिटेड

प्रस्तावना

आईटीआई लिमिटेड 1948 से दूरसंचार के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख उपक्रम है।

छह स्थानों पर अत्याधुनिक विनिर्माणकारी सुविधाओं तथा देशव्यापी विपणन नेटवर्क/सेवा केन्द्रों के साथ यह कंपनी दूरसंचार उत्पादों की पूरी रेंज तथा सम्पूर्ण समाधान प्रस्तुत करती है जिसमें स्विचन, पारेषण, अभिगम्यता और उपभोक्ता परिसर उपकरण का पूरा स्पेक्ट्रम शामिल है। प्रौद्योगिकीय रूझानों के अनुरूप, आईटीआई ने जीएसएम (ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल) तथा सीडीएमए (कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस) प्रौद्योगिकियों दोनों के आधार पर मोबाइल अवसंरचना उपकरण का निर्माण शुरू कर दिया है। आईटीआई ने ब्रॉडबैंड इंफ्रा उपकरणों तथा आईपी प्रौद्योगिकी पर आधारित अगली पीढ़ी के नेटवर्क उपकरणों के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण भी किया है। आईटीआई के पास उपकरणों को संस्थापित करने और उन्हें चालू करने तथा टर्नकी परियोजनाओं को शुरू और मूल्यवर्द्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समर्पित नेटवर्क प्रणाली इकाई है। आईटीआई ने पिछले चार वर्षों से भारतीय दूरसंचार में बेहतरीन टर्नकी सेवा कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त की है।

आईटीआई अपने मनकापुर और रायबरेली संयंत्रों में बीटीएस उपकरण के विनिर्माण सुविधा के उद्घाटन के साथ जीएसएम प्रौद्योगिकी की विश्व स्तर की कंपनियों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिसके कारण देश में स्वदेशी मोबाइल उपकरणों के उत्पादन में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने बीएसएनएल से कुल 18 मिलियन लाइनों का आदेश प्राप्त किया है, जिसमें पश्चिम जोन और दक्षिण जोन प्रत्येक के लिए 9 मिलियन लाइनें शामिल हैं तथा दोनों आदेशों के लिए उपस्कर की आपूर्ति पहले ही चालू हो गई है। प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता की सफलता आईटीआई की सभी इकाइयों में दिखाई पड़ती है जो आईएसओ 9001:2000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के सर्वथा अनुरूप है। आईएसओ 14001 : 2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मानक भी पालक्कड, मनकापुर (पीसीबी ओर हाइब्रिड सिक्रिट डिवाइज) और बेंगलुरु संयंत्रों में सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। नई पीढ़ी के सॉफ्ट स्विच और एसटीपी (सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट) का उत्पादन इसके पलाक्कड स्थित संयंत्र में किया जाएगा, जहां पहले से ही सिम (सब्सक्राइबर आईडेंटिटी मोड्यूल) कार्डों का निर्माण किया जा रहा है। नैनी संयंत्र में डीएलसी (डिजिटल लूप कैरियर) उपकरणों के अलावा, एसडीएच (सिंक्रोनस डिजिटल हायरआर्की) तथा डीडब्ल्यूडीएम (डेंस वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग) ऑप्टिकल उपकरणों का निर्माण शुरू किया गया है। कंपनी ने रायबरेली संयंत्र में विमेक्स/विमेक्स-सीपीई और जीपीओएन जैसे ब्रॉडबैंड उपस्कर का विनिर्माण भी चालू कर रही है। कंपनी रक्षा सेवाओं के सम्पूर्ण नेटवर्क और संचार संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सभी उपकरण उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। बेंगलूर स्थित संयंत्र सीडीएमए इंफ्रा उपकरण और आईएफडब्ल्यूटी (एकीकृत स्थिर बेतार टर्मिनल) के निर्माण कार्य में लगा है तथा साथ ही बैंकों/वित्तीय सेक्टर और दूरसंचार से संबंधी अन्य साफ्टवेयर के लिए आईपी परियोजनाओं हेतु डाटा केंद्र स्थापित कर रहा है।

अपनी गहन दूरसंचार विशेषज्ञता और व्यापक अवसंरचना का उपयोग करके, कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं में कार्य शुरू कर रही है, जिसके कारण कनवर्जेंस मार्केट में इसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल रहा है। डब्ल्यूएन (वाइड एरिया नेटवर्किंग) के क्षेत्र में आईटीआई की क्षमता की झलक बीएसएनएल के लिए सफलतापूर्वक चालू की गई निम्नलिखित दो प्रमुख परियोजनाओं में दिखाई पड़ती है : देशव्यापी एमएलएलएन (मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क) और एसएसटीपी (स्टैण्डएलोन सिग्नल ट्रांसफर प्वाइंट)। आईटीआई राष्ट्रीय आईडी कार्डों की तैयारी के लिए चुनी गई एजेंसियों में से एक एजेंसी है। कंपनी ने ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए केयू बैंड पर वी-सैट आधारित नेटवर्क तैयार करने हेतु बीएसएनएल के साथ महत्वपूर्ण गठबंधन किया है। इस प्रकार आईटीआई ने आईपी आधारित



उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाओं के नए क्षेत्र में देश के सबसे बड़े प्रचालक के साथ राजस्व की हिस्सेदारी शुरू की है। एमटीएनएल के इंटरनेट सेवा उपकरणों का विस्तार करने संबंधी परियोजना का सफल कार्यान्वयन सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कंपनी के अनवरत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीडीएमए-डब्ल्यूएलएल (वायरलेस इन लोकल लूप) टर्न-की परियोजना, जिसे आईटीआई ने अफगानिस्तान में टीसीआईएल (टेलिकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड) के लिए पूरा किया है, से कंपनी के निर्यात संबंधी कारोबार को बढ़ावा मिला है।



दूरसंचार विभाग के सचिव एवं दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ बेहुरा और आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस.के. चटर्जी दूरसंचार आयोग और आईटीआई के बीच वर्ष 2009-10 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान करते हुए

सामरिक संचार में कंपनी को विशेषज्ञता हासिल है और भारतीय रक्षा सेवाओं के लिए सुरक्षित संचार नेटवर्क का निर्माण करने का आईटीआई का प्रमाणित रिकॉर्ड रहा है। विभिन्न उपभोक्ताओं को उनके अनुकूल समाधान प्रदान करने के लिए इनक्रिपन, एनएमएस, आईटी और अभिगम उत्पादों के विशिष्ट क्षेत्रों में कंपनी के अंदर ही व्यापक अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है।

पूंजीगत ढांचा

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 700 करोड़ ₹ थी। इस तारीख को प्रदत्त शेयर पूंजी 588 करोड़ ₹ थी (10-10/- ₹ मूल्य के 288 करोड़ ₹ मूल्य के इक्विटी शेयर तथा 100-100 ₹ मूल्य



के 300 करोड़ रुपए के अधिमानी शेयर)। 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार इक्विटी में केन्द्र सरकार का शेयर प्रतिशत 92.87% है।

निर्माणकारी संयंत्र

संयंत्र स्थल	उत्पाद विनिर्माण
बेंगलूर संयंत्र	डब्ल्यूएलएल-सीडीएमए इन्फ्रा, सीडीएमए आईएफडब्ल्यूटी, ब्राडबैंड कोरडेक्ट, ओसीबी-सीएसएन एमएम, एएन आरएएक्स, सैटकॉम, पीसीएम एमयूएक्स, एडीएसएल-डीएसएलएएम-सीपीई, जीएसएम परियोजना के लिए एंटीना तथा माइक्रोवेव उपस्कर, रक्षा सेवा के लिए टेलीफोन उपकरण तथा अन्य रक्षा उपस्कर
मनकापुर संयंत्र	जीएसएम-बीटीएस, सी-डॉट उत्पाद, बैंकिंग ऑटोमोन उत्पाद
रायबरेली संयंत्र	जीएसएम-बीटीएस, एसएमपीएस, रूफ टॉप टॉवर, शेल्टर और शक्ति संयंत्र, विमेक्स और विमेक्स सीपीई और जीपीओएन
नैनी संयंत्र	आप्टिकल उत्पाद एसटीएम-1, 4, 16 और 64, 2/34 आप्टीमैक्स और डीडिएफ डीएलसी, डीडब्ल्यूडीएम, टेलीफोन उपकरण, सीएलआईफोन तथा सोलर पेनल
पालक्कड संयंत्र	एनजीएन, आईपी टैक्स, एसएसटीपी, ओसीबी -283 कोर, टैक्स/टैण्डम, एमएलएलएन, सिमकार्डस/स्मार्ट कार्ड, नेशनल आईडी कार्डस
श्रीनगर संयंत्र	टेलीफोन उपकरण और सीएलआई फोन/सेवाएं.

वर्ष 2008-09 (अंतिम) के दौरान निष्पादन की विशेषताएं

- जीएसएम-947.26 करोड़ ₹0 मूल्य के आई और सी उपस्कर की आपूर्ति की गई।
- डब्ल्यूएलएल-सीडीएमए इन्फ्रा, 66.94 करोड़ ₹0 के उपस्कर की आपूर्ति की गई।
- एसएसटीपी उपस्कर की आपूर्ति तथा सभी 24 स्थलों में आई और सी का कार्य संपन्न।
- 66.5 करोड़ ₹0 के एमएलएलएन उपस्कर की आपूर्ति की गई तथा आई और सी का कार्य चल रहा है।
- 12.44 करोड़ ₹0 मूल्य के सीडीएमए डब्ल्यू एल एल आई एफ डब्ल्यूटी टर्मिनल की सप्लाय की गई।
- 147.86 करोड़ ₹0 मूल्य के एसटीएम ऑप्टिक फाइबर उपस्करों की आपूर्ति की गई।
- एडीएसएल-डीएसएलएएम+सीपीई, 45.86 करोड़ ₹0 मूल्य के उपस्कर की आपूर्ति की गई।
- 136.21 करोड़ ₹0 मूल्य के डीडब्ल्यूडीएम प्रणालियों की आपूर्ति की गई।
- 21.25 करोड़ ₹0 मूल्य के सिम कार्ड की आपूर्ति की गई।
- आईटी परियोजनाएं एमएसडब्ल्यूएन का कार्य चल रहा है।
- 262.34 करोड़ ₹0 मूल्य की गैर दूरसंचार विभाग पीएसयू व्यापार/टर्नकी परियोजनाएं कार्यान्वित की गई।



वर्ष 2006-2007, 2007-2008 तथा 2008-2009 के लिए वास्तविक उपलब्धियों का ब्योरा निम्नानुसार है :

प्रमुख उत्पाद	अकाउंटिंग युनिट	2006-07	2007-08	2008-09 (अनंतिम)
निर्माण उत्पाद				
ओसीबी-283 लोकल/सीएसएन एवं अतिरिक्त उपस्कर	रु0 करोड़	28.84	62.19	18.36
ओसीबी-टीएएक्स/टैंडम	रु0 करोड़	54.28	24.40	0
सी-डॉट उत्पाद तथा अतिरिक्त उपस्कर	रु0 करोड़	34.95	41.77	18.06
सैटकॉम	रु0 करोड़	1.80	8.89	7.48
एसटीएम/ऑप्टिक फाइबर उपस्कर	रु0 करोड़	65.47	45.67	147.86
पीसीएम एमयूएक्स एंड 64 केबीपीएस	रु0 करोड़	22.99	17.48	16.11
ईपीबीटी/कॉलर आईडी	रु0 करोड़	5.46	1.82	0.24
एसपीवी/अन्य फोन	रु0 करोड़	3.60	6.39	0
सिम कार्ड्स / वीआरएलए बैटरी	रु0 करोड़	8.23	17.60	21.25
जीएसएम, - बीटीएस, आरटीटी, शेल्टर, पी/पी	रु0 करोड़	233.46	106.79	219.78
विविध उत्पाद	रु0 करोड़	0	10.11	0
डब्ल्यूएलएल - सीडीएमए इन्फ्रा	रु0 करोड़	339.07	62.07	66.94
जीएसएम - इन्फ्रा (नेट वर्किंग)	रु0 करोड़	431.29	160.00	727.48
सीडीएमए डब्ल्यूएलएल-आईएफ डब्ल्यूटी/हैण्ड सेट्स	रु0 करोड़	72.70	77.35	12.44
एमएलएलएन	रु0 करोड़	134.06	125.88	66.50
विविध उत्पाद: आईपीटैक्स / एसएसटीपी	रु0 करोड़	53.96	2.61	57.05
डीडब्ल्यूडीएम	रु0 करोड़	12.42	58.13	136.21
एसडीएल डीएसएलएम सीपीई	रु0 करोड़	-	7.71	45.86
मूल्य वर्धित सेवाएं	रु0 करोड़	-	-	4.97
गैर दूरसंचार विभाग पीएसयू व्यापार/टर्नकी परियोजनाएं	रु0 करोड़	315.76	373.14	262.34
ईडी सहित कुल	रु0 करोड़	1818.33	1210.00	1828.93

नियोजित भावी प्रौद्योगिकियां

आईटीआई द्वारा शुरू किए जाने के लिए नियोजित नई प्रौद्योगिकियां इस प्रकार है :

❖ विमैक्स/विमैक्स सीपीई

विमैक्स (माइक्रोवेव अभिगम के लिए विश्व-स्तरीय इंटरोपैरेबिलिटी) प्रौद्योगिकी का उपयोग हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड



अभिगम के लिए किया गया है। आईटीआई आरंभ में एसकेडी स्तर पर विमैक्स उपस्कर के निर्माण की योजना बना रही है। आईटीआई विमैक्स-सीपीई के निर्माण की भी योजना बना रही है। इन उत्पादों का निर्माण रायबरेली संयंत्र में किए जाने की योजना है।

❖ जी-पीओएन (गीगाबीट-पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क)

यह प्रौद्योगिकी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से उपभोक्ता को हायर बिट रेट ब्रॉडबैंड अभिगम की सुविधा उपलब्ध कराएगी। केवल एक फाइबर ही बहुसंख्यक उपभोक्ताओं को कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है। इस उपस्कर का निर्माण रायबरेली संयंत्र में किया जाएगा।

❖ जीएसएम-3जी

आईटीआई ने जीएसएम-3जी उपस्कर, जोकि अगली पीढ़ी का मोबाइल स्विच है, जिसने डाटा हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाया है, के निर्माण के लिए रायबरेली में विनिर्माण सुविधाओं में विस्तार करने का निर्णय किया है। एमएससी और बीएससी का निर्माण, विनिर्माण के व्यवहार्यता आकलन पर आधारित होगा।

❖ ट्विन टीआर एक्स

आईटीआई ने जीएसएम-बीटीएस, जिसका निर्माण वर्तमान में आईटीआई द्वारा किया जा रहा है, में फिट करने के लिए ट्विन-टीआर एक्स का निर्माण आरंभ किया है, जोकि बीटीएस की उपभोक्ता कनेक्टिविटी क्षमता को बढ़ा/दोगुना कर देगा। इसका उत्पादन आईटीआई की रायबरेली और मनकापुर संयंत्रों में किया जाता है।

❖ जीएफडब्ल्यूपी

आईटीआई ने इस उत्पाद के कारोबार के लिए मैसर्स लिंकटॉप, चीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बीएसएनएल से आरक्यू आदेश प्रतिक्षित है। इस उत्पाद का विनिर्माण आईटीआई के बेंगलुरु संयंत्र में किया जाएगा।

❖ नेक्स्ट जेनरोन नेटवर्क (एनजीएन-आईपी टेक्स) श्रेणी 4

आईटीआई ने एनजीएन प्रौद्योगिकी उत्पादों अर्थात साफ्टस्विच आधारित आईपी उत्पादों, जिसमें आईपी/एमपीएलएस बैकबोन नेटवर्क है, के निर्माण/आपूर्ति के लिए हुआवेई चीन के साथ करार किया है। यह बहु-सेवाएं अर्थात वॉइस, डाटा ओर वीडियो ट्रांसमिशन प्रदान करने में सक्षम है। इस उपस्कर का विनिर्माण पालक्कड संयंत्र में किए जाने की योजना है।

❖ एनजीएन-श्रेणी 5

आईटीआई ने श्रेणी 5 एनजीएन उत्पादों के विनिर्माण के लिए मैसर्स जेडटीई, चीन के साथ करार किया है। आईटीआई ने बीएसएनएल द्वारा जारी निविदा में भाग लिया जिसका तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।

❖ सौर पैनल

ऊर्जा उत्पादन के लिए व्यवहार्य विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आईटीआई ने अमोरफस सिलिकॉन आधारित पतली-फिल्म सौर ऊर्जा पैनल के निर्माण की शुरुआत के लिए बेंगलुरु और नैनी संयंत्रों पर विनिर्माण सुविधाएं संस्थापित की हैं। बेंगलुरु और नैनी में मौजूदा भवनों और मानवाक्ति को इस उद्देश्यार्थ सार्थक रूप से लगाया जाएगा, जिसे राजस्व साझेदारी माडल पर संस्थापित किया जा रहा है।



❖ डाटा केंद्र

बैंकों/वित्तीय सेक्टर और अन्य दूरसंचार से संबंधी साफ्टवेयर के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बंगलुरु संयंत्र के मौजूदा भवन में डाटा केंद्र संस्थापित करने का कार्य चल रहा है। यह कार्य राजस्व साझेदारी मॉडल पर आधारित है।

❖ जीएसएम - दक्षिण अंचल

आईटीआई हुआवेई, चीन के साथ प्रौद्योगिकी संधि के तहत बीएसएनएल-जीएसएम दक्षिण अंचल अवसंरचना परियोजना भी आरंभ कर रहा है। यह जीएसएम बीएसएनएल पश्चिम अंचल, जिसको अल्काटेल - लुसेंट, फ्रांस के साथ प्रौद्योगिकी संधि के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है, के अतिरिक्त एक परियोजना है।

महत्वपूर्ण कार्यकलाप/घटनाएं

- बीएसएनएल ने 18 मिलियन लाईन जीएसएम उपस्कर के लिए एक कुल आदेश दिया है, इसमें पश्चिम अंचल और दक्षिण अंचल प्रत्येक के लिए 9 मिलियन लाइनों शामिल हैं। 731 करोड़ ₹0 के उपस्कर की आपूर्ति मार्च, 2009 के अंत तक होगी तथा बाकी आपूर्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है।
- एमटीएनएल ने जीएसएम उपस्कर के लिए 171 करोड़ ₹0 के आदेश जारी किए हैं, उपस्कर की आपूर्ति की प्रक्रिया भी चल रही है।
- डब्ल्यूएलएल-सीडीएमए इन्फ्रा : आईटीआई ने बीएसएनएल से एल-1 के रूप में 205 करोड़ ₹0 मूल्य के डब्ल्यूएलएल-सीडीएमए-इन्फ्रा उपस्कर की 9.4 लाख लाइनों की आपूर्ति की निविदा प्राप्त की है तथा साथ ही 99 करोड़ ₹0 मूल्य की 4.03 लाख लाइनों की एल-2 के लिए अतिरिक्त निविदा मात्रा भी प्राप्त की है।
- डब्ल्यूएलएल-सीडीएमए इन्फ्रा : आईटीआई ने 118 करोड़ ₹0 मूल्य की 5.76 लाख लाइनों की आपूर्ति के लिए बीएसएनएल से आदेश आरक्यू प्राप्त किया है तथा 67 करोड़ ₹0 मूल्य के उपस्कर की आपूर्ति पहले ही कर दी गई है।
- डीडब्ल्यूडीएम : बीएसएनएल से 136 करोड़ ₹0 मूल्य का कुल आदेश प्राप्त हुआ है, जिसे कार्यान्वित किया गया है।
- एसएसटीपी : आईटीआई ने बीएसएनएल से निविदा कोटा के अंतर्गत 59 करोड़ ₹0 मूल्य के एसएसटीपी उपस्कर की आपूर्ति हेतु आदेश प्राप्त किए हैं। आदेश को पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है तथा सभी 24 स्थलों के लिए आई एंड सी का कार्य पूरा हो गया है।
- एसटीएम-1,16 और 64 : 148 करोड़ ₹0 मूल्य के एसटीएम उपस्कर की आपूर्ति की गई है तथा बाकि 111 करोड़ ₹0 मूल्य के आदेश का निष्पादन हो रहा है।
- एडीएसएल - बीएसएनएल से 46 करोड़ ₹0 मूल्य के सीपीई आदेश का निष्पादन कर दिया गया है तथा मार्च, 2009 के दौरान 37 करोड़ ₹0 मूल्य का एक अन्य आदेश प्राप्त हुआ है।
- एमटीएनएल ने एमएलएलएन उपस्कर की आपूर्ति के लिए 72 करोड़ ₹0 मूल्य का आदेश जारी किया है। सभी उपस्करों की आपूर्ति कर दी गई तथा आई और सी का कार्य चल रहा है।
- आईटीआई ने फरवरी, 2009 के दौरान बीएसएनएल से 238 करोड़ ₹0 मूल्य के जीपीओएन नेक्स्ट जेनरेशन प्ले नेटवर्क उपस्कर, 79 करोड़ ₹0 मूल्य के एमपीएलएस आधारित आईपी टैक्स उपस्कर तथा 39 करोड़ ₹0 मूल्य के डीडब्ल्यूडीएम 32 चैनल के लिए अग्रिम क्रय आदेश भी प्राप्त किए हैं।



निर्यात

वर्ष 2007-08 के लिए निर्यात कार्य निष्पादन 9.12 करोड़ रु0 का है जिसमें अल्काटेल सीआईटी, फ्रांस को 200 जीएसएम बीटीएस उपस्कर तथा अफगानिस्तान को सीडीएमए डब्ल्यूएलएल सेवाएं शामिल हैं।

कार्मिक संबंधी स्थिति

कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या पिछले वर्ष के अंत में 13045 की तुलना में वर्ष 2008-09 के अंत में 12556 थी। वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना प्रचालन में नहीं थी। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के आरंभ से 13744 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति को चुना है।

प्रदर्शनियां



प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 18 से 20 मार्च, 2009 के दौरान आयोजित कन्वर्जेस इंडिया 2009 प्रदर्शनी के दौरान आईटीआई लिमिटेड के स्टाल का दृश्य

— ★ ★ ★ ★ ★ —



VIII. 4 टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड

प्रस्तावना

टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में 10 मार्च, 1978 को निगमित किया गया था। कंपनी की स्थापना व्यापक भारतीय दूरसंचार विशेषज्ञताओं का लाभ भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखनेवाले विकासशील देशों तक भी पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी। कंपनी ने 1 अगस्त, 1978 से काम करना शुरू किया। तब से कंपनी ने मुख्यतः विकासशील देशों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए विश्वस्तरीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकियों को अपनाना जारी रखा है। कंपनी परिवर्तित दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश में स्वयं को स्थापित कर रही है तथा इसने सूचना और प्रौद्योगिकी तथा सिविल निर्माण के क्षेत्र में अपने क्रियाकलापों का विस्तार किया है।

परिकल्पना

"प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर अवसरों के माध्यम से विश्वभर में आईसीटी, विद्युत और नागरिक अवसरंचना के क्षेत्रों में समाधान प्रदान करने में उत्कृष्टता प्राप्त करना।"

लक्ष्य

कंपनी का लक्ष्य वाक्य है "विश्व भर में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा सेक्टर में टर्नकी आधार पर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपनी उत्कृष्टता प्राप्त करते हुए अग्रणी बने रहना।

उद्देश्य

- दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में दुनिया भर में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी और भारतीय विशेषज्ञता प्रदान करना।
- उपयुक्त बाजार नीतियां विकसित करके विदेशी/भारतीय बाजारों में अपने क्रियाकलापों को बनाए रखना, उनमें विस्तार करना और उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- निरंतर आधुनिकतम प्रौद्योगिकी अर्जित करते रहना और नेतृत्व बनाए रखना।
- साइबर पार्क, साइबर शहरों, इंटेलिजेंट भवनों, राजमार्गों एवं सड़कों तथा अन्य सिविल कार्यों में कार्यकलापों का विस्तार करना।
- नए दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्कों के निर्माण और विद्यमान नेटवर्कों के उन्नयन के लिए किफायती नेटवर्क प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में प्रवेश करना।
- ब्रॉडबैंड मल्टीमीडिया कन्वर्जेंट सेवा नेटवर्क पर गतिविधियां केंद्रित करना।
- दूरसंचार बिलिंग, ग्राहक सेवा, मूल्यवर्धित सेवाएं, ई-गवर्नेंस और अन्य ऐसी सेवाओं में प्रणाली संयोजक के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवेश करना।
- टीसीआईएल के तकनीकी विशेषज्ञों का उपयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में विदेशों में ओ और एम (कार्यालय और पद्धति) संबंधी ठेकों में अधिकाधिक संवर्द्धन करना।



- विदेशों में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अवसरचना का विकास करना।
- विभिन्न राज्यों में एसडब्ल्यूएन परियोजनाओं में बढ़ चढ़ कर भागीदारी करना।

विशिष्ट क्षमता

कंपनी, भारत और विदेशों में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में परियोजनाएं चला रही है। कंपनी की विशिष्ट क्षमताएं नेटवर्क परियोजनाओं और सॉफ्टवेयर सहायता, स्विचन और पारिषण प्रणालियों, सेल्युलर सेवाओं, ग्रामीण दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर आधारित मूलभूत नेटवर्क, सीडीएमए आधारित बैंक बोन नेटवर्क, बिलिंग, मिडिएशन एवं विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए उपभोक्ता सेवा तंत्र के क्षेत्र में हैं। कंपनी अपने क्रियाकलापों का अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में भी प्रसार कर रही है जैसे कि बिजली संबंधी उपयोगिताओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर ऑन ग्राउंड वायर, भारत में राज्य सरकारों के लिए ई-गवर्नेन्स, हवाई अड्डा टर्मिनलों और लाइट हाउसों के लिए संचार व्यवस्था, इंटेलेजेंट भवन, साइबर पार्को, सड़कों, इत्यादि का निर्माण ।

कंपनी ने भारत और विदेशों में संयुक्त उद्यमों के माध्यम से बुनियादी और अन्य लाइसेंसीकृत सेवाओं के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। टीसीआईएल की राजस्थान में संयुक्त उद्यम के माध्यम से जीएसएम सेल्युलर मोबाइल सेवा तथा एमटीएनएल, वीएसएनएल तथा एक नेपाली भागीदार के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से नेपाल में डब्ल्यूएलएल प्रणाली आधारित बुनियादी सेवाएं प्रचालन में हैं।

कंपनी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों में भाग लेकर करोबार प्राप्त कर रही है। कंपनी पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार आदि में सामरिक संचार लिंक उपलब्ध कराने में भी सहायता प्रदान कर रही है।



सचिव (दूरसंचार) एवं अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग, श्री सिद्धार्थ बेहरा की उपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल तथा ट्रांसपैरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया के अध्यक्ष, ऐडमिरल (सेवानिवृत्त) आर.एच. तहिलियानी द्वारा 27 अगस्त, 2008 को इंटीग्रिटी पैक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये



टीसीआईएल में सरकारी निवेश

कंपनी 10 लाख ₹ की प्रदत्त पूंजी के साथ 1978 में निगमित की गई थी। वर्ष 1982-83 में सरकार द्वारा कंपनी की प्रदत्त पूंजी बढ़ाकर 30 लाख ₹ कर दी गई थी। 1987-88, 1992-93, 1994-95, 1996-97, 2001-02, 2002-03 और 2008-09 में सात बोनस इश्यू जारी किए जाने के बाद कंपनी की प्रदत्त पूंजी 43.20 करोड़ ₹ हो गई है। कंपनी ने केवल 30 लाख ₹ के निवेश पर अब तक भारत सरकार को लाभांश के रूप में 164 करोड़ ₹ से अधिक राशि प्रदान की है।

31.3.2008 को कंपनी का निवल मूल्य 400 करोड़ ₹ था।

विदेशी कार्यकलाप

कंपनी ने अब तक 58 देशों में काम किया है। मौजूदा चालू कार्यकलाप मॉरीशस, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, अल्जीरिया, नेपाल, भूटान, इथोपिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, सूडान, जॉर्डन, बहरीन तथा कतर में हैं। कंपनी अफ्रीका में सभी 53 सदस्य देशों को शामिल करते हुए पीएनएन अफ्रीका ई-शिक्षा का क्रियान्वयन कर रही है।

वित्तीय निष्पादन - मुख्य बातें

(आंकड़े करोड़ ₹ में)

	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08 वास्तविक	2008-09 अंतिम
कारोबार	483.50	410.61	414.87	602.00
कर पूर्व लाभ	17.40	5.94	3.51	4.50
भारत को प्रत्यावर्तित विदेशी मुद्रा	22.02	28.00	69.57	31.20
निवल मूल्य	396.65	397.87	399.99	400.60

2008-09 की मुख्य-मुख्य बातें

परियोजना निर्यात

वर्ष 2008-09 के दौरान अनुमानित परियोजना निर्यात 234 करोड़ ₹ होने की आशा है।

कारोबार एवं लाभ

वर्ष 2008-09 में पिछले वर्ष के 414.87 करोड़ ₹ के कारोबार की तुलना में 605 करोड़ ₹ का कारोबार होने की आशा है तथा समझौता ज्ञापन लक्ष्य 750 करोड़ ₹ है।

हाईटेक परियोजनाओं पर विशेष बल

कंपनी ने ओपीजीडब्ल्यू आधारित ब्रॉडबैंड नेटवर्क, जीएसएम/सीडीएमए परियोजनाओं, एफटीटीएच, लाइट हाऊस एवं लाइट शिप, उपग्रह नेटवर्क, ई-चिकित्सा, ई-शिक्षा, ई-गवर्नेंस की नई प्रौद्योगिकियों में हाई-टेक परियोजनाओं और साइबर शहरों के निर्माण में परामर्श का कार्य तथा विधिसम्मत अंतरावरोधन अनुश्रवण प्रणाली (एलआईएम) संस्थापित करने पर विशेष बल दिया है।



सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं

दूरसंचार परिदृश्य में परिवर्तन होने पर, कंपनी ने साहसपूर्ण कदम उठाते हुए नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रयास किए तथा संबद्ध क्षेत्रों में अपने कार्यकलापों के विस्तार का समावेश किया। कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी और नेटवर्किंग परियोजनाओं में भाग लेने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग को सॉफ्टवेयर विकास से सुदृढ़ और पुनर्गठित भी किया है तथा इसे विकास का प्रमुख क्षेत्र बनाया है। इन पहलों से बहुत लाभ पहुंचा है और इसे एक प्रगतिशील दृष्टिकोण से युक्त उच्च प्रौद्योगिकी कंपनी में तब्दील कर दिया है जो फाइबर टु द होम (एफटीटीएच), विधिसम्मत अंतरावरोधन, नई पीढ़ी का नेटवर्क (एनजीएन), आईटी कन्सलटेंसी, ई-गवर्नेंस आदि जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकियों के प्रचालन में सक्षम है।

प्राप्त हुए आदेश

वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी को 532.00 करोड़ ₹ के आदेश प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान प्राप्त प्रमुख आदेश निम्नुसार हैं :

- बीएसएनएल से 162.56 करोड़ ₹ मूल्य का एनआईबी-II के लिए अतिरिक्त आदेश।
- संचार मंत्रालय कुवैत से 20.00 करोड़ ₹ मूल्य की एफटीटीएच परियोजना।
- नेपाल में 12 करोड़ ₹ मूल्य की वी-एसएटी परियोजना को आपूर्ति, संस्थापन और चालू करना।
- ओमान में 13.00 करोड़ ₹ मूल्य के बाहरी संयंत्र नेटवर्क को आपूर्ति, संस्थापन और चालू करना।
- कुवैत में 8.80 करोड़ ₹ मूल्य की 276 कि०मी० ओएफसी बिछाने/जोड़ने/चालू करने की परियोजना।
- कुवैत में केएनपीसी परिष्करणशालाओं (रिफाइनरी) और स्थानीय विपणन के डाटा नेटवर्क को विस्तार करने के लिए 7.95 करोड़ ₹ मूल्य की परियोजना।
- मारीशस में निर्माण, केबल बिछाने और विविध अन्य कार्यों के लिए 3.62 करोड़ ₹ मूल्य की बहु-आदेश संविदा।
- नेपाल में 21.90 करोड़ ₹ मूल्य की तुलसीपुर-सालयाल सड़क परियोजना का उन्नयन।
- 108 करोड़ ₹ मूल्य की ग्रामीण सड़क परियोजनाएं।
- हिसार में 32.29 करोड़ ₹ मूल्य के मकानों का निर्माण
- दिल्ली में 13.65 करोड़ ₹ मूल्य का डीएमआरसी का कार्य।
- भारत पावर ग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के लिए 8.2 करोड़ ₹ मूल्य का फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम पैकेज।
- उत्तर प्रदेश में 13.06 करोड़ ₹ की यूपीआरआरडीए परियोजना।
- एमआरटीसी परियोजना के यमुना बैंक कॉरिडोर पर तीन स्थानों पर 13.64 करोड़ ₹ मूल्य का वास्तुशिल्प संबंधी सजावट कार्य।
- आरजीजीवीवाई स्कीम के तहत कार्यों के पर्यवेक्षण और गुणवत्ता निगरानी कार्य के लिए झारखंड राज्य विद्युत परिषद से 14.81 करोड़ ₹, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से 0.55 करोड़ ₹ और विद्युत विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार से 15.80 करोड़ ₹ की संविदाएं प्राप्त हुईं।



वर्ष 2008-09 के लिए वित्तीय निष्पादन (अनंतिम)

(करोड़ ₹ में)

	समझौता ज्ञापन लक्ष्य (2008-09) (बहुत अच्छा)	अप्रैल 2008 - मार्च 2009 (अनंतिम)	अप्रैल 2007- मार्च 2008
कारोबार	750	602.00	414.87
कर पूर्व लाभ	11.60	4.50	3.51
भारत को प्रत्यावर्तित विदेशी मुद्रा	20	31.20	69.57

टीसीआईएल के संयुक्त उद्यम

भारती हेक्साकॉम लिमिटेड (हेक्साकॉम इंडिया लिमिटेड - पूर्व नाम)

टीसीआईएल राजस्थान सर्किल में सेल्युलर टेलीफोन सेवाएं टीसीआईएल द्वारा प्रवर्तित संयुक्त उद्यम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड के माध्यम से प्रचालित कर रही है तथा इस समय नई दिल्ली स्थित भारती टेलीवेंचर्स लिमिटेड के साथ साझेदारी में सेवाओं का प्रचालन कर रही है। इस समय कंपनी के उपभोक्ताओं की संख्या 2.00 मिलियन से अधिक है तथा बाजार में इसका शेयर 30% से अधिक है। इस कंपनी में 106.20 करोड़ ₹ के निवेश के साथ टीसीआईएल की शेयरधारिता 30% है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी ने मार्च 2009 तक 1849.06 करोड़ ₹ का टर्नओवर और 413.51 करोड़ ₹ का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। संयुक्त उद्यम में अगस्त, 2008 में टीसीआईएल का निवेश 91.26 करोड़ रुपए से बढ़कर 106.20 करोड़ रुपए हो गया है तथा संयुक्त उद्यम के राइट इयू 50/- ₹ प्रतिशेयर के प्रीमियम पर जारी किए गए हैं।

इंटेलिजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल)

इस कंपनी में 36 लाख ₹ के निवेश के साथ टीसीआईएल की शेयरधारिता 36% है। इस कंपनी ने मार्च, 2009 तक 2.50 करोड़ ₹ का कारोबार किया और 0.25 करोड़ ₹ का कर पूर्व लाभ अर्जित किया।

तमिलनाडु टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड (टीटीएल)

तमिलनाडु टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड (टीटीएल) को 1988 में तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टीआईडीसीओ) के साथ ही शुरू किया गया। कंपनी ने ऑप्टिक फाइबर केबल का विनिर्माण करके अपने प्रचालन कार्यों में विस्तार किया है। टीसीआईएल ने टीटीएल में 6.95 करोड़ ₹ का निवेश किया है। इस कंपनी ने मार्च, 2009 तक 21.33 करोड़ ₹ का कारोबार किया है।

टीसीआईएल बेलसाउथ लिमिटेड

टीसीआईएल ने अमरीका की बेलसाउथ कंपनी के साथ मिलकर टीसीआईएल बेलसाउथ लिमिटेड (टीबीएल) को संस्थापित किया है। इस कंपनी की इक्विटी में टीसीआईएल का शेयर 84 लाख ₹ है। टीबीएल ने यूक्रेन, मलेशिया, जिम्बाब्वे और बोलिविया समेत अनेक देशों में दूरसंचार बिलिंग और प्रशासन परियोजनाएं चलाई हैं। टीबीएल ने हाल ही में मलावी, स्वाजीलैंड और नेपाल में बिलिंग प्रणाली और ग्राहक सेवा पैकेज क्रियान्वित की है। कंपनी ने मार्च, 2009 तक 0.28 करोड़ ₹ का कारोबार किया है।



जाम्बिया गणराज्य के माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिग्रेडियर जनरल डॉ. ब्रॉयन चिट्वो, एमपी नई दिल्ली में टीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर.के. उपाध्याय के साथ

टीसीआईएल सऊदी कंपनी लिमिटेड

टीसीआईएल ने सऊदी अरब में "टीसीआईएल सऊदी कं0लि0 (टीएससीएल)" के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है जिसमें 67 लाख ₹ के निवेश के साथ टीसीआईएल की इक्विटी 40% है। अन्य हिस्सेदार नाटेल की इक्विटी 60% है। नाटेल ने संयुक्त उद्यम कंपनी की हिस्सेदारी छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। किसी अन्य उपयुक्त हिस्सेदार द्वारा उनका स्थान लिए जाने तक संयुक्त उद्यम कंपनी ने नाटेल के साथ यह व्यवस्था की है कि टीसीआईएल टीएससीएल के नाम पर परियोजनाएं चलाएगी और लाभ तथा हानि के लिए जिम्मेदार होगी जबकि नाटेल की प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं होगी तथा नाटेल को इन ठेकों के मूल्य का 3% से 5% प्रायोजन शुल्क के रूप में दिया जाएगा। इस प्रकार, टीएससीएल के माध्यम से किया गया कारोबार टीसीआईएल प्रचालनों के साथ विलयित कर दिया गया है। टीएससीएल प्रचालनों के अतिरिक्त, टीसीआईएल अपने नाम से भी परियोजनाएं चला रही है। मार्च, 2009 तक कंपनी ने 31.86 करोड़ ₹ का कारोबार किया और 2.53 करोड़ ₹ का लाभ कमाया है।

यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड

टीसीआईएल ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) और नेपाल वेन्चर्स प्रा0 लि0 (एनवीपीएल) के साथ मिल कर संयुक्त उद्यम कंपनी यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड का गठन किया है। कंपनी को नेपाल में वायरलेस-इन-लोकल लूप प्रदान करने के लिए सीडीएमए प्रौद्योगिकी आधारित बुनियादी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस दिया गया है। यूटीएल ने सितंबर, 2003 में अपनी सेवाएं शुरू की हैं। कंपनी ने मार्च, 2009 तक 39.81 करोड़ ₹ का कारोबार किया है।

टीसीआईएल ओमन एलएलसी

वर्ष 2008-09 क दौरान इस कंपनी ने ओमान की एमएसई के साथ मिलकर एक अन्य संयुक्त उद्यम की स्थापना की। इस कंपनी में टीसीआईएल की शेयरधारिता 70% अर्थात 1,05,000/- ₹ है। यह संयुक्त उद्यम कंपनी ओमान में संविदाएं (ठेका) प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वयं को विभिन्न विभागों के साथ पंजीकृत कराने की प्रक्रिया में है।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



IX. सांख्यिकी परिशिष्ट

	पृष्ठ
सारणी 1 सापेक्ष निष्पादन	127
सारणी 2 प्रति सौ व्यक्ति टेलीफोन-शहरी/ग्रामीण (टेलीघनत्व)	128
सारणी 3 टेलीफोनों की संख्या (वायर लाइन और वायर लेस)	129
सारणी 4 उन गांवों की संख्या जिनमें दूरसंचार सेवाओं की सीधी सुविधा उपलब्ध है	130
सारणी 5 कर्मचारियों की संख्या - अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक (शारीरिक दृष्टि से शक्त और अशक्त) और महिलाएं	131
सारणी 6 विकलांग कर्मचारियों की संख्या	131

सारणी-1

मार्च, 2007 से मार्च, 2009 के दौरान सापेक्ष निष्पादन

क्र.सं.	विवरण	अंत में स्थिति		संपूर्ण परिवर्तन(4-3)	अंत में स्थिति		संपूर्ण परिवर्तन(7-6)	
		मार्च'07	मार्च'08		मार्च'07	मार्च'08		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	वायर लाइन टेलीफोन (लाख में)	सार्वजनिक	374.61	352.28	-22.33	352.28	329.20	-23.09
		निजी	33.13	41.85	8.72	41.85	50.45	8.60
		कुल	407.74	394.13	-13.61	394.13	379.65	-14.49
2	वायर लेस फोन (जीएसएम+सीडीएमए) (लाख में)	सार्वजनिक	339.30	443.21	103.91	443.21	566.27	123.06
		निजी	1311.64	2167.58	855.94	2167.58	3351.34	1183.76
		कुल	1650.94	2610.79	959.85	2610.79	3917.61	1306.82
3	कुल टेलीफोन	2058.68	3004.92	946.24	3004.92	4297.25	1292.33	
4	टेलीघनत्व	18.22%	26.22%	-	26.22%	36.98%	-	
5	स्विचन क्षमता (लाख में)	888.17	959.76	71.59	959.76	1103.68	143.92	
6	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (बीपीटी)	564610	532281	-	532281	561959	29678	
7	पीसीओ (लाख में)	23.65	22.91	-0.74	22.91	20.89	-2.02	
8	ओएफसी रूट कि.मी.	519155	564166	45011	564166	609223	45057	
9	टैक्स लाइन (लाख में)	82.20	86.85	4.65	86.85	88.33	1.48	
10	ग्रामीण फोन (वायर लाइन और वायर लेस)	47099514	76499675	29400161	76499675	123512759	47013084	



प्रति 100 व्यक्ति टेलीफोन-शहरी/ग्रामीण (टेलीघनत्व) 31 मार्च 2008 तथा 2009 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	सर्किल/राज्य	टेली घनत्व						कुल टेलीफोन						समग्र डीईएल में ग्रामीण डीईएल का प्रतिशत	
		समग्र		शहरी		ग्रामीण		समग्र		शहरी		ग्रामीण		2008	मार्च'09
		2008	मार्च'09	2008	मार्च'09	2008	मार्च'09	2008	मार्च'09	2008	मार्च'09	2008	मार्च'09	2008	मार्च'09
1	अंडमान और निकोबार	18.36	21.24	25.38	28.89	14.20	16.57	82702	99037	42578	51065	40124	47972	48.52%	48.44%
2	आंध्र प्रदेश	28.25	39.59	74.97	103.38	10.44	15.22	23288508	32952403	17056445	23783900	6232063	9168503	26.76%	27.82%
3	असम	14.74	20.65	76.30	86.98	4.44	9.36	4343409	6161988	3221811	3774963	1121598	2387025	25.82%	38.74%
4	बिहार	12.64	22.18	91.99	133.00	3.33	9.17	11847799	21102313	9056682	13296677	2719117	7805636	23.56%	36.99%
5	छत्तीसगढ़	4.38	5.15	14.87	16.69	1.39	1.81	1019940	1217845	768249	886879	251691	330966	24.68%	27.18%
6	गुजरात	33.63	45.16	60.14	75.43	16.37	25.21	19244956	26224524	13568463	17400289	5676493	8824235	29.50%	33.65%
7	हरियाणा	30.39	43.75	58.18	75.98	17.18	28.10	7355723	10775666	4537293	6120251	2818430	4657315	38.32%	43.21%
8	हिमाचल प्रदेश	41.16	55.50	127.78	179.81	30.81	40.47	2716613	3700542	899861	1293426	1816752	2407116	66.88%	65.05%
9	जम्मू और कश्मीर	21.84	32.76	61.16	77.42	7.87	16.72	2461397	3743780	1807428	2338207	653969	1405573	26.57%	37.54%
10	झारखंड	3.60	4.11	11.67	13.02	1.19	1.44	1086690	1260723	810557	920845	276133	339878	25.41%	26.96%
11	कर्नाटक	34.53	45.21	74.98	98.73	11.53	14.36	19887339	26326539	15653416	21023170	4233923	5303369	21.29%	20.14%
12	केरल	45.34	58.48	100.79	125.35	26.18	35.43	15370914	19976503	8774742	10976819	6596172	8999684	42.91%	45.05%
13	मध्य प्रदेश	20.29	30.08	60.21	80.36	5.28	11.07	13964581	21057043	11322444	15435929	2642137	5621114	18.92%	26.69%
14	महाराष्ट्र	27.42	37.90	56.97	69.67	12.59	21.70	24721967	34615611	17166797	21493048	7555170	13122563	30.56%	37.91%
15	पूर्वांचल	27.67	44.49	93.46	139.10	7.15	14.67	1936420	3150042	1554962	2360195	381458	789847	19.70%	25.07%
16	पूर्वांचल-II	9.14	9.21	28.43	27.36	3.33	3.69	524386	535179	377594	371053	146792	164126	27.99%	30.67%
17	उड़ीसा	15.00	23.30	55.59	78.09	7.14	12.55	5953313	9334750	3580756	5133558	2372557	4201192	39.85%	45.01%
18	पंजाब	47.89	58.25	82.79	95.85	25.08	33.11	13399833	16530246	9154840	10899559	4244993	5630687	31.68%	34.06%
19	राजस्थान	23.74	37.15	59.06	102.56	12.74	16.71	15343775	24422555	9066299	16050138	6277476	8372417	40.91%	34.28%
20	तमिलनाडु	35.09	50.46	58.62	79.48	15.78	25.62	20786207	30038512	15652648	21819719	5133559	8218793	24.70%	27.36%
21	उत्तरांचल	10.61	11.59	25.01	25.97	5.13	6.04	1010049	1120078	656293	698627	353756	421451	35.02%	37.63%
22	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	16.19	24.91	52.15	77.76	6.28	10.24	17677690	28674570	11429308	18646938	6248382	10027632	35.35%	34.97%
23	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	#	#	#	#	#	#	13176916	19659617	10038672	14128941	3138244	5530676	23.82%	28.13%
24	पश्चिम बंगाल	14.36	22.51	57.38	77.86	7.38	13.50	10503632	16612575	5858965	8042754	4644667	8569821	44.22%	51.59%
25	कोलकाता	64.22	89.68	9330552	13180947	8600104	12138680	730448	1042267	7.83%	7.91%
26	चेन्नई	103.90	127.38	8436749	10633508	8315304	10510771	121445	122737	1.44%	1.15%
27	दिल्ली	110.05	140.18	18703590	24501382	18703590	24501344	0	38	0.00%	0.00%
28	मुम्बई	83.48	110.52	16316779	22114803	16316663	22114677	126	126	0.00%	0.00%
	अखिल भारत	26.22	36.98	66.39	88.84	9.46	15.11	300492429	429725181	223992754	306212422	7649675	123512759	25.46%	28.74%

उत्तर प्रदेश (पूर्व) एवम् उत्तर प्रदेश (पश्चिम) की जनसंख्या के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

टेलीफोनों की संख्या 31 मार्च 2008 तथा 2009 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	सर्किल / राज्य	वायर लाईन फोन						वायर लेस फोन						कुल	
		कुल		पीएसयू प्रचालक		निजी प्रचालक		कुल		पीएसयू प्रचालक		निजी प्रचालक		2008	मार्च '09
		2008	मार्च '09	2008	मार्च '09	2008	मार्च '09	2008	मार्च '09	2008	मार्च '09	2008	मार्च '09	2008	मार्च '09
1	अंडमान और निकोबार	24856	19355	24856	19355	*	*	57846	79682	57846	79682	*	*	82702	99037
2	आंध्र प्रदेश	2710876	2547736	2459235	2226078	251641	321658	20577632	30404667	2471074	3431448	18106558	26973219	23288508	32952403
3	असम	430310	351030	430310	351022	0	8	3913099	5810958	918680	973106	2994419	4837852	4343409	6161988
4	बिहार	978340	968222	972623	963222	5717	5000	10869459	20134091	1263367	2185500	9606092	17948591	11847799	21102313
5	छत्तीसगढ़	318908	290923	258605	230235	60303	60688	701032	926922	701032	926922	*	*	1019940	1217845
6	गुजरात	2276756	2114175	2128219	1928277	148537	188898	16968200	24110349	2251183	2646288	14717017	21464061	19244956	26224524
7	हरियाणा	954266	875206	923438	839816	30828	35390	6401457	9902360	1336768	1740668	5064689	8161692	7355723	10777566
8	हिमाचल प्रदेश	417515	379854	413908	375823	3607	4031	2299098	3320688	636383	891513	1662715	2429175	2716613	3700542
9	जम्मू और कश्मीर	259485	239796	259484	239795	1	1	2201912	3503984	922082	930683	1279830	2573301	2461397	3743780
10	झारखंड	446461	416622	446461	416622	*	*	640229	844101	640229	844101	*	*	1086690	1260723
11	कर्नाटक	2843783	2782816	2314581	2173393	529202	609423	17043556	23543723	2085432	2743511	14958124	20800212	19887339	26326539
12	केरल	3672698	3576370	3586119	3463628	86579	112742	11698216	16400133	2669643	3090388	9028573	13309745	15370914	19976503
13	मध्य प्रदेश	1473275	1384955	1208622	1109960	264653	274995	12491306	19672088	1654567	2207724	10836739	17464364	13964581	21057043
14	महाराष्ट्र	3642641	3270288	3464144	3015349	178497	254939	21079326	31345323	3598078	4071576	17481248	27273747	24721967	34615611
15	पूर्वांचल-1	212255	207603	212255	207603	0	0	1724165	2942439	315614	361927	1408551	2580512	1936420	3150042
16	पूर्वांचल-2	130019	127817	130019	127817	*	*	394367	407362	394367	407362	*	*	524386	535179
17	उड़ीसा	773157	647460	768243	647189	4914	5671	5180156	8687290	1174997	1609081	4005159	7078209	5953313	9334750
18	पंजाब	1684329	1648662	1425306	1344911	259023	303751	11715504	14881584	2019720	2896302	9695784	11985282	13399833	16530246
19	राजस्थान	1757037	1665813	1563591	1480889	193446	184924	13586738	22756742	2539357	3240641	11047381	19516101	15343775	24422555
20	तमिलनाडु	2502157	2260000	2336847	2081254	165310	178746	18284050	27778512	2808102	3490931	15475948	24287581	20786207	30038512
21	उत्तरांचल	324484	300680	324484	300680	*	*	685565	819398	685565	819398	*	*	1010049	1120078
22	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1512422	1525037	1454315	1445029	58107	80008	16165268	27149533	4573728	6093491	11591540	21056042	17677690	28674570
23	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	975480	984996	944506	949340	30974	35656	12201436	18674621	1530255	1830665	10671181	16843956	13176916	19659617
24	पश्चिम बंगाल	1122537	1034372	1117703	1028542	4834	5830	9381095	15578203	1503169	1931460	7877926	13646743	10503632	16612575
25	कोलकाता	1488116	1537935	1374363	1374422	113753	163513	7842436	11643012	1053154	1573896	6789282	10069176	9330552	13180947
26	चेन्नई	1375549	1404179	1010059	1011580	365490	392599	7061200	9229329	982380	1125970	6078820	8103359	8436749	10633508
27	दिल्ली	2420641	2521309	1574417	1525981	846224	995328	16282949	21980073	1607046	2059933	14675903	19920140	18703590	24501382
28	मुम्बई	2685109	2881401	2101452	2047225	583657	834176	13631670	19233402	1926933	2422579	11704737	16810823	16316779	22114803
	अखिल भारत	39413462	37964612	35228165	32919637	4185297	5044975	261078967	391760569	44320751	56626746	216758216	335133823	300492429	429725181

* संबंधित सर्किलों में जुड़े हुए हैं।



दूरसंचार सुविधाओं की सीधी पहुँच वाले गांवों की संख्या

क्र. सं.	सर्किल / राज्य	गांवों की संख्या	गांवों की संख्या (सशोधित अक्टूबर '07 से)	निम्न स्थिति के अनुसार वीपीटी युक्त गांव				निम्न स्थिति के अनुसार पीसीओ (स्थानीय+एसटीडी+राजमार्ग)		
				सार्वजनिक		निजी*	कुल वीपीटी		31.03.2008	31.03.2009
				31.03.2008	31.03.2009		31.03.2008	31.03.2009		
1	अंडमान और निकोबार	201	501	179	271	0	179	271	963	702
2	आंध्र प्रदेश	29460	26613	20396	21600	1408	21804	23008	241212	200291
3	असम	24685	25124	22407	23369	0	22407	23369	34518	33862
4	बिहार	41077	39032	36620	37870	0	36620	37870	66388	67160
5	छत्तीसगढ़	19720	19744	17185	17480	0	17185	17480	9311	8630
6	गुजरात	18125	18159	14978	16504	4114	19092	20618	106021	89587
7	हरियाणा	6850	6764	6369	6600	0	6369	6600	28218	26273
8	हिमाचल प्रदेश	16925	17495	15945	17045	0	15945	17045	12020	11416
9	जम्मू और कश्मीर	6764	6417	5642	5795	0	5642	5795	14395	12693
10	झारखंड	31703	29354	26534	27170	0	26534	27170	21111	18954
11	कर्नाटक	27066	27481	26425	27254	0	26425	27254	256305	242020
12	केरल	1468	1372	1372	1372	0	1372	1372	129135	123469
13	मध्य प्रदेश	51806	52117	49636	51893	611	50247	52504	56377	56992
14	महाराष्ट्र	42467	41442	35245	38437	2643	37888	41080	313780	262797
15	पूर्वांचल-I	7125	7347	4132	4274	0	4132	4274	9731	9531
16	पूर्वांचल-II	7020	7340	3785	4066	0	3785	4066	7924	8628
17	उड़ीसा	46989	47529	38835	40783	0	38835	40783	28848	24796
18	पंजाब	12687	12301	12000	12008	879	12879	12887	27837	23897
19	राजस्थान	39483	39753	33998	38560	3010	37008	41570	63132	55445
20	तमिलनाडु	17899	13837	13351	13794	0	13351	13794	236417	216555
21	उत्तरांचल	15610	15761	12521	13005	0	12521	13005	12868	11065
22	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	79792	76993	70457	76485	0	70457	76485	122849	124809
23	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	23604	20949	19468	20061	0	19468	20061	43426	44103
24	पश्चिम बंगाल	38337	37365	30110	31533	0	30110	31533	65685	60181
25	कोलकाता	437	1040	567	567	0	567	567	60024	64083
26	चेन्नई	NA	1655	1459	1498	0	1459	1498	82711	79513
27	दिल्ली	191	0	0	0	0	0	0	82692	73819
28	मुम्बई	NA	NA	0	0	0	0	0	156643	137409
	अखिल भारत	607491	593485	519616	549294	12665	532281	561959	2290541	2088680

सारणी-5

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या - कुल, अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, (शारीरिक दृष्टि से शक्त और अशक्त) और महिलाएं

समूह	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक (शक्त)	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक (अशक्त)	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	महिला कर्मचारी	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत
क	631	97	15.37%	52	8.24%	0	0.00%	0	0.00%	73	11.57%
ख	617	76	12.32%	29	4.70%	0	0.00%	0	0.00%	122	19.77%
ग	477	101	21.17%	31	6.50%	11	2.31%	0	0.00%	76	15.93%
घ	349	125	35.82%	31	8.88%	3	0.86%	0	0.00%	22	6.30%
जोड़	2074	399	19.24%	143	6.89%	14	0.68%	0	0.00%	293	14.13%

सारणी-6

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार अशक्त कर्मचारियों की संख्या

श्रेणी	संख्या		अंतर
	स्वीकृत का प्रतिशत	कार्यरत	
अल्प दृष्टि	5	4	1
श्रवण दोष	4	1	3
अपंग अथवा मानसिक पक्षाघात युक्त	6	9	-3
जोड़	15	14	1

— ★ ★ ★ ★ ★ —






X. ग्राफ एवं चार्ट

	पृष्ठ
आकृति-1 दूरसंचार नेटवर्क का विकास (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र)	135
आकृति-2 वर्ष 1999 से टेलीघनत्व (फोन प्रति 100 व्यक्ति)	136
आकृति-3 वायर लाइन टेलीफोन एवं वायर लेस टेलीफोन	137
आकृति-4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्रों में सीधी एक्सचेंज लाइनों (वायर लाइन और वायर लेस) का वितरण	138
आकृति-5 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की सुविधा	139
आकृति-6 दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों की संख्या का समूह-वार वितरण	140



आकृति-1


दूरसंचार नेटवर्क का विकास (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र) (लाख में)



31 मार्च को समाप्त वर्ष




आकृति-2 टेलीघनत्व (प्रति 100 की जनसंख्या पर टेलीफोनों की संख्या), 1999 से



31 मार्च को समाप्त वर्ष




आकृति-3 वायर लाईन एवम् वायरलेस फोन



31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

आकृति - 4

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र में सीधी एक्सचेंज लाइनों {वायर लाईन-वायरलेस फोन} का वितरण







आकृति-5

गाँवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों {वीपीटी} की सुविधा

31 मार्च 2009 की स्थिति




31 मार्च 2009 की स्थिति





आकृति -6

दूरसंचार विभाग के समूहवार कर्मचारियों की संख्या का वितरण
31 मार्च 2009 की स्थिति



— ★ ★ ★ ★ ★ —



परिवर्णी - शब्द

एसीसी	एकाउंट्स कूलींग कॉर्ड
एडीसी	अभिगम्य घाटा परिवर्तन (एक्सेस डेफिसिट चेंज)
एडीएसएल	विषम डिजिटल उपभोक्ता लाइन (एसिमीट्रीकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन)
एपीटी	एशिया प्रशान्त दूरसंचार (एशिया पैसिफिक टेलिकम्युनिकेशंस)
एटीएम	अतुल्यकालिक अन्तरण मोड (एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड)
बीआरबीआरएआईटीटी	भारत रत्न भीम राव अम्बेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान
सीएसीटी	दूरसंचार संघटक अनुमोदन केंद्र
सीएडी	कंप्यूटर सहायता प्राप्त (एडिड) डिजाइन
सी-डॉट	टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र
सीआईडीए	कनाडाई अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण
सीएलआईपी	कालर्स लाइन आइडेन्टिफिकेशन प्रोटोकॉल
सीएमपी	सेल्यूलर मोबाइल फोन्स
सीओएमएसी	केन्द्रीयकृत प्रचालन और अनुरक्षण केन्द्र
सीएसएमएस	उपभोक्त सेवा प्रबंधन प्रणाली
डीसीसी	विकास समन्वय समिति
डीसीएमई	डिजिटल सर्किट गुणन उपस्कर
डीईसीटी	डिजिटल वर्द्धित तार-रहित टेलीफोन (डिजिटल एनहान्सड कॉर्डलेस टेलीफोन)
डीआईएस	सीधी इन्टरनेट अभिगम्य प्रणाली
डीएलसी	डिजिटल लूप संवाहक (कैरियर)
डीडब्ल्यूडीएम	डेन्स वेवलैंग्थ डिविजन मैल्टिप्लेक्सिंग
ईएमटीएस	तुरंत मुद्रा अंतरण सेवा
एफएसएस	फाइबर अभिगम्य प्रणाली
एफआरएस	दोष सुधार सेवा
जीएमपीसीएस	उपग्रह द्वारा सार्वभौमिक मोबाइल निजी संचार
जीपीएसएस	गेटवे पैकेट स्विचिंग प्रणाली
जीआर	सामान्य (जिनेरिक) आवश्यकताएं
एचईसीएस	उच्च वर्द्धित क्षमता स्विच (हाई एर्लेग कैपिसिटी स्विच)
एचएसडीएल	हाई बिट रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन
आईएफआरबी	अन्तर्राष्ट्रीय आवृत्ति विनियामक बोर्ड
आईएलडी	अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी
आईएमआरबी	भारतीय विपणन अनुसंधान ब्यूरो



आईएल	इन्टेलिजेंट नेटवर्क
इनसैट	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह
आईआर	अंतरापृष्ठ आवश्यकताएं (इंटरफेस रिक्वायरमेंट)
आईएसडीएन	एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क (इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क)
आईएसपी	इंटरनेट सेवा प्रदाता
आईटीयू	अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ
आईयूसी	अंतःसंपर्क प्रयोग प्रभार (इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज)
आईवीआरएस	अंतर्क्रिया ध्वनि प्रतिक्रिया प्रणाली (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम)
एलएमडीएस	स्थानीय बहु-बिंदु वितरण प्रणाली
एलओआई	आशय पत्र
एमसीआईबीएस	सूक्ष्म संसाधित्र नियंत्रित इंटेलिजेंट भवन प्रणाली (माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल्ड इंटेलिजेंट बिलिडिंग सिस्टम्स)
एमसीपीसी	बहु चैनल प्रति संवाहक (मल्टि चैनल पर कैरियर)
एमएलएलएन	मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क
एमएमएस	मल्टी मीडिया मेसेजिंग सर्विस
एमपीएलएस	मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग
एमएसएस	चल उपग्रह प्रणाली
एमटीएल	मिलेनियम टेलिकॉम लिमिटेड
एमयूएक्स	मल्टीप्लेक्सर
एनआईबी	राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन
एनएलडीएस	राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा
एनटीपी	नई दूरसंचार नीति
एनवाईएसई	न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज
ओएफसी	आप्टिकल फाइबर केबल
ओएलटीई	ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेटिंग उपस्कर
क्यूटीएस	टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता
क्यूओएस	सेवा की गुणवत्ता
पीसीबी	मुद्रित सर्किट बोर्ड
पीसीओ	सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र
पीसीएस	वैयक्तिक संचार प्रणाली
पीएमआरटीएस	सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा
पीओआई	प्वाइंट ऑफ इन्टरकनेक्शन
पीओटी	साधारण पुराना टेलीफोन
पीआरएस	प्रीमियम दर सेवा



पीएसटीएन	सार्वजनिक स्विचन दूरसंचार नेटवर्क
आरएबीएमएन	दूरस्थ क्षेत्र व्यवसाय संदेश नेटवर्क
आरएएन	रेडियो अभिगम नेटवर्क
आरटीटीसी	क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र
एसएसएस	लेखांकन पृथक्करण प्रणाली
एसबीएन	सिग्नल बेस मॉड्यूल
एसडीसीए	अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र
एसडीएच	सिन्क्रोनस डिजिटल हायरकी
एसआईएम	उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल
एसएसए	गौण स्विचन क्षेत्र
एसटीएम	सिनक्रोन्स ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल
टीसीपी	ट्रान्समिशन कनेक्शन प्रोटोकॉल
टीडीएमए	टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस
टीडीएसएटी	दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण
टीआरआई	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
टीएसपी	जनजातीय उप योजना
टीटीएल	दूरसंचार प्रशिक्षण प्रयोगशाला
टीटीओ	दूरसंचार प्रशुल्क आदेश
यूएचएफ	अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी
यूमएस	एकीकृत संदेश सेवा
यूसएफ	वैश्विक सेवा निधि
यूसओ	वैश्विक सेवा दायित्व
यूटीएल	यूनाईटेड टेलीकॉम लिमिटेड
वीसीसी	वर्चुअल कॉलिंग कार्ड
वीएमएस	वायस मेल सर्विस
वीपीएन	वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क
वीपीटी	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन
वीआरएलए	वेल्यू रेगुलेटेड लीड एसिड
वीएसएटी	वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल
डब्ल्यूएलएल	वायरलैस इन लोकल लूप
डब्ल्यूपीसी	बेतार आयोजना एवं समन्वय
डब्ल्यूपीएचएस	वेब पेज होस्टिंग सर्विस
डब्ल्यूएसएचएस	बेव सर्वर होस्टिंग सर्विस

— ★ ★ ★ ★ ★ —

